

(1100/MY/RC)

(प्रश्न 101)

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर्): अध्यक्ष महोदय, भूकंप का नाम लेते ही मन भय से कांप उठता है। जब भूकंप आता है तो वहां कई पेड़-पौधे और मकान ध्वस्त हो जाते हैं। मानव के साथ-साथ जीव-जंतु भी घरों में दबकर मर जाते हैं तथा चारों ओर प्रलय का दृश्य दिखाई देता है। इस प्रकार का भूकंप होता है और अनेक प्रकार की कष्टदायक पीड़ा दे जाता है।

माननीय अध्यक्ष: भूकंप तो कष्टदायक होता ही है, आप क्वेश्चन पूछो ना

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर्): अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में हिमालय के क्षेत्र में, पूर्वोत्तर के क्षेत्र में, गुजरात में और महाराष्ट्र के लातूर में भी इस प्रकार के भूकंप आ चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भूकंप के कारण होने वाले नुकसान को कम करने हेतु भूकंप रोधी इमारतें बनाए जाने के लिए जो दिशा-निर्देश, नियम आज तक निर्धारित किए गए हैं, उनका अनुपालन करने वाली और न करने वाली सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं व एजेंसियों का विवरण अलग-अलग क्या है? सरकार यह सुनिश्चित करे कि इस संबंध में बनाए गए दिशा-निर्देशों और नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। क्या अभी इसके लिए कुछ कदम उठाए गए हैं?

श्री अश्विनी कुमार चौबे: अध्यक्ष महोदय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को देश में भूकंपों के बारे में उसकी निगरानी करने का मैनडेट प्राप्त है। साथ ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत नेशनल सेन्टर फॉर सीस्मोलॉजी देश और देश के आसपास में भूकंप की गतिविधियों पर नजर रखती है। हमने उसको राष्ट्रीय भूकंपीय नेटवर्क में सभी प्रकार के संचालन तथा रख-रखाव करने का दायित्व भी दिया हुआ है। जहां तक केन्द्र की सभी उपयोगकर्ता एजेंसियां हैं, जितनी भी एजेंसियां हैं और आपदा प्रबंधन के जो प्राधिकरण हैं, उनसे भूकंप आने के पांच मिनट के अंदर हम सभी सूचनाएं कलेक्ट करके और सभी मापदंडों के अनुसार उनको भेजते रहे हैं।

जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है कि भूकंप अवरोधी विभाग के द्वारा क्या-क्या हो रहा है, तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा विभाग है, भारतीय मानक ब्यूरो, भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद तथा आवास शहरी विकास निगम (हुडको) आदि द्वारा भूकंप के कारण जान-माल की हिफाजत करने के लिए तथा उसके नुकसान को कम करने के लिए भूकंप प्रतिरोधी संरचनाओं के डिजाइन और निर्माण के लिए दिशा-निर्देश बराबर भेजते रहे हैं।
(1105/CP/SNB)

भूकम्प प्रभावी क्षेत्रों में भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाओं के डिजाइन और निर्माण के लिए दिशा-निर्देश देने का काम विभाग करता रहा है। उसका उत्तरदायित्व प्रशासनिक अधिकारियों और वहां के जो कोरपोरेशन या जो भी इस प्रकार म्युनिसिपल बॉडीज हैं या ग्रामीण पदाधिकारी हैं, उन पर रहता है। हालांकि भूकम्प प्रतिरोधी भवनों के निर्माण से संबंधित नीतिगत मुद्दों के लिए हमारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय उत्तरदायी नहीं है, फिर भी, अपितु, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा दिल्ली और कोलकाता दोनों प्रमुख शहरों में भूकम्पीय माइक्रो जोनेशन हमने कर लिया है। साथ ही सिक्किम, गुवाहाटी और बंगलुरु जैसे शहरों में हमारे सीस्मिक माइक्रो जोनेशन के काम परियोजना मोड में पूरे हो चुके हैं और अभी चेन्नई, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर और मंगलौर का सीस्मिक माइक्रो जोनेशन शुरू किया गया है।

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर्): महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि वर्ष 2001 में गुजरात में आए भीषण भूकम्प के बाद एक सर्वे में देश की कई हजार ऐसी इमारतों की पहचान की गई, जो भूकम्प के झटके झेलने के हिसाब से कमजोर और बेहद खतरनाक थीं। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इन सभी इमारतों को भी भूकम्परोधी बनाए जाने हेतु क्या आज तक कोई सकारात्मक कदम उठाया गया है?

श्री अश्विनी कुमार चौबे: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि हमारी अर्थ विज्ञान मिनिस्ट्री बनाती नहीं है, बल्कि यह निर्देश देती है। इसके लिए मैंने पहले ही कहा कि हमने बीआईएस को, बीएमटीपीसी और हुडको को समय-समय पर इसके लिए दिशा-निर्देश किए हैं। विशेषकर जो भूकम्प वहां आया था, उसके बारे में जो नई इमारतें बननी हैं, उसके अनुसार वह वहां बन रहा है।

(इति)

(प्रश्न 102)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने पॉवरटेक्स इंडिया स्कीम के तहत बुनाई और बुना हुआ कपड़ा क्षेत्र, जो मुख्य रूप से लघु उद्योग के क्षेत्र से बराबर है। मुख्य रूप से यह विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में आता है। यह रोजगार का मुख्य उत्पादन क्षेत्र है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कुल कपड़ा उत्पादन में बुनाई और बुना हुआ कपड़ा कितना प्रतिशत होता है और बुनाई और बुने हुए कपड़े के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: महोदय, जो भी कपड़ा पहना जाता है, वह हैंडलूम अथवा पॉवरलूम के माध्यम से बुना जाता है। कुल कितना कपड़ा बुना जा रहा है, वह नंबर ऑफ प्रोडक्शन डे-टु-डे वेरी करता है। मुख्यतः मैं आपके माध्यम से सांसद महोदय का ध्यान इस विषय की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ कि सरकार ने गारमेंटिंग की दृष्टि से और गारमेंटिंग में हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, उसकी दृष्टि से विशेष 6 हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश कपड़े बुनने में और सिलने में हिंदुस्तान में हो सके।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए अति प्रसन्नता है कि कई राज्यों की सरकारों ने भी विशेष टेक्सटाइल पॉलिसी का निर्माण किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशक भी आएँ और साथ ही वहां रोजगार के साधन भी बढ़ें। उदाहरणतः झारखंड में बहुत ही पॉपुलर टेक्सटाइल पॉलिसी वर्तमान में चल रही है। प्रदेश की सरकार के साथ समन्वय के साथ-साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ समन्वय कर हम क्लस्टर-बाई-क्लस्टर काम करते हैं। जिस पॉवरटेक्स स्कीम का उल्लेख माननीय सांसद जी ने किया, उसके संदर्भ में भी पॉवरटेक्स स्कीम बनाने से पहले इंडस्ट्री और क्लस्टर के साथ विशेष, जो छोटी ईकाई के एंटरप्राइजोर्स हैं, एम.एस.एम.ई. हैं, जिनकी ओर माननीय सांसद ध्यान आकृष्ट कर रहे थे, उनकी समस्याओं को लेकर उन्हें कैसे सब्सिडी प्रदान की जाए, मुद्रा लोन और स्टैंड अप इंडिया से जोड़ा जाए, इसका प्रावधान हमने टेक्सटाइल कमिश्नर के आफिस के माध्यम से किया है।

(11110/NK/RU)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): अध्यक्ष महोदय, इस योजना में मौजूदा पॉवरलूम सर्विस सेंटर के आधुनिकीकरण और पॉवरटेक्स योजना के अंतर्गत यार्न बैंक सामान्य सुविधा केन्द्र और बीमा कवरेज योजना की परिकल्पना की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि विशेष कर अभी तक महाराष्ट्र में कितने पॉवरलूम सेवा केन्द्रों और संस्थानों को आधुनिक बनाया गया है?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि वर्तमान में यार्न बैंक स्कीम की चर्चा माननीय सांसद ने आपके माध्यम से सदन के सम्मुख प्रस्तुत की है। उसके संदर्भ में देश भर में 96 प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए हैं और कुल 26 करोड़ रुपये रिलीज किए गए हैं। मैं यह भी कहना चाहूँगी कि इन्होंने विशेष रूप से महाराष्ट्र की दृष्टि से प्रश्न रखा है। यार्न बैंक स्कीम के अंतर्गत इंडस्ट्री टैक्सटाइल कमिश्नर के पास बैंकों के माध्यम से एक एसपीपी बनाकर जाती है, तभी इस प्रकार की योजनाओं को हम उस क्षेत्र में निर्धारित रूप से बना सकते हैं। अगर वह विशेष जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में किस-किस इंडस्ट्री ने एमएसएमई के स्तर पर यार्न बैंक की कल्पना के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और कितने पास हुए हैं तो वह जानकारी मैं टैक्सटाइल कमिश्नर के ऑफिस से माननीय सदस्य को उपलब्ध करवा दूँगी।

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे (बीड): अध्यक्ष महोदय, एकचुअली में मैं सवाल मराठी में पूछना चाहती थी But apparently, since the interpreter is not there, I would put my Supplementary in English.

The hon. Minister has given us the answer. But through you, I would like to know whether there is any scope for including Maharashtra, specially Marathwada region, which is a drought prone area, under Powertex India, but cotton is a cash crop which is taken up on a very large scale there. Is there any scope to include Marathwada Region, specially my district, Beed, under is

Scheme as it grows cotton in a few blocks on a very large scale? Is there any scope to include Beed under Powertex India Scheme?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : अध्यक्ष महोदय, आपल्या माहीत आहेत कि माला पण मराठी येते, पण त्यानी खूप छान निर्णय घेतला कि हिंदी मध्ये बोलाइची किंवा इंग्लिश मध्ये बोलाइची। I can only, through you, tell the hon. Member that with respect to knitwear, textile, handloom and handcraft or for that matter power loom, if the hon. Member deems it fit to communicate with my office, specially regarding drought prone areas, I am more than happy to extend all the help from the Ministry of Textiles for drought affected areas.

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना) : स्पीकर महोदय, लुधियाना टैक्साइल्स हब है। मैं मंत्री जी की इस बात के लिए तारीफ भी करूंगा क्योंकि जो वह स्कीम्स लेकर आई हैं, खासतौर पर यार्न खरीदने के लिए पांच करोड़ रुपये तक इंट्रेस्ट फ्री उन्होंने किया है, चाहे कोई लेबरर ट्रेनिंग लेना चाहे तो मिनिस्ट्री की तरफ से दस हजार रुपये दिया जाता है।

स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, खासतौर से छह हजार करोड़ रुपये का कॉटन चीन को एक्सपोर्ट करते हैं। चीन अपनी टी-शर्ट और शर्ट बना कर किसी भी तरीके से बंगलादेश भेज देता है। बंगलादेश से सारा माल इंडिया में आता है क्योंकि हमारी उससे ट्रीटी है, न हम इम्पोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं, न कस्टम ड्यूटी लगा सकते हैं। इससे इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट पर मार पड़ती है। उसके साथ ही जो बात जुड़ी हुई है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए हम मिनिस्ट्री की तरफ से फंड देते हैं, लेकिन आज 4500 केसेज पेन्डिंग पड़े हुए हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जहां ग्राज कंपनी की एक नीडल आती है, चाहे जापान, कोरिया, इटली, चीन और जर्मनी से इम्पोर्ट करनी पड़ती है। अगर हम उस टेक्नोलॉजी को यहां नहीं ला सकते तो फिर इम्पोर्ट ड्यूटी 16 परसेंट क्यों लगाई हुई है? उसे कम करना चाहिए और जहां हमें अपग्रेडेशन करना चाहिए।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सांसद श्री को बताना चाहती हूँ निटवियर हब की दृष्टि से लुधियाना में एक विशेष प्रोजेक्ट ...(व्यवधान)।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जब माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं तो उनके सामने नहीं आएं।

(1115/NKL/SK)

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को अवगत कराना चाहती हूँ कि निटवेयर और टैक्सटाइल की दृष्टि से लुधियाना शहर के लिए विशेष 2 करोड़ के यार्न बैंक का प्रावधान किया गया और साथ ही टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में दो करोड़ रुपये का एक और प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया है।

माननीय सांसद ने आपके माध्यम से एक विशेष कंपनी का उल्लेख किया है। टैक्सटाइल कमिश्नर आफिस में टेक्नोलाजी से संबंधित पैरामीटर्स सैट होते हैं जो इंडस्ट्री के साथ बाकी संबंधित मंत्रालयों के समन्वय से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। इस टेक्नोलॉजी के आधार पर बाकी मशीनरी का काम सब्सिडी की दृष्टि से अलाऊ किया जाता है।

माननीय सदस्य ने बांग्लादेश का विषय रखा है। जहां तक बांग्लादेश के माध्यम से कपड़ा आने की बात है, यह विषय बार-बार आता है। जब भी इंडस्ट्री यह विषय मंत्रालय के सम्मुख उठाती है, हम उनसे बार-बार आग्रह करते हैं कि डब्ल्यूटीओ का प्रोटोकाल देखते हुए, डीजीएफटी के आफिस में अपनी एप्लीकेशन एविडेंस के साथ प्रस्तुत करें ताकि टैक्सटाइल कमिश्नर आफिस से डाटा को वैलीडेट कर इस विषय पर कोई ठोस कदम उठा सकें।

मेरा आपके माध्यम से सांसद महोदय को यह बताने का प्रयास है कि अब तक जब भी डाटा वैलीडेट हुआ है, जैसे जूट की डम्पिंग होती थी, हमने उसे रोका है। यह इंडस्ट्री फंक्शन है, सरकार की भूमिका इसमें लिमिटेड है इसलिए मैं आपके माध्यम से दोबारा उल्लेख करना चाहती हूँ कि रूल्स आफ ओरिजिन को पढ़ते हुए डीजीएफटी में इंडस्ट्री अपने विषय को प्रस्तुत करती है तो हम टैक्सटाइल कमिश्नर से डाटा वैलीडिटी का काम मंत्रालय के माध्यम से सुनिश्चित कराएंगे।

SHRI K. SHANMUGA SUNDARAM (POLLACHI): Thank you, Sir for giving me this opportunity. I would also like to thank my Party President, Mr. Stalin.

Sir, there is an important issue regarding Textile Industry in Coimbatore and Tiruppur.

Around 25,000 projects covered under various Technology Upgradation Fund Schemes are yet to receive the TUF subsidy amounting to around Rs. 10,000 crore. Now, it is pending with the Government. This is causing severe financial stress to the textile industry and greatly affecting the new investments, exports and job creation. Out of the total fund of Rs. 17,822 crore, allotted for this purpose, not even Rs. 3,000 crore was utilised. The necessary support may be extended to the hon. Union Minister for Textiles and release the subsidy as early as possible.

There is one more issue....(*Interruptions*) The Government is refunding the taxes for the export of textiles and clothing products by way of duty drawback and Rebate of State and Central Taxes and Levies including embedded taxes. Currently, RoSCTL benefit is extended only for garments and made-ups. It is essential to extend this benefit for yarns and fabrics to enable spinning mills and power looms to utilise the idle capacity, to provide jobs for lakhs of people and also to prevent them from becoming sick and coming to a grinding halt. We export around 50 to 60 lakh bales of raw cotton. This could be converted into value added yarns and fabrics. So, I would like to know from the hon. Minister as to when the Government will release the subsidy.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, through you, I would like to tell the hon. Member that subsidy is not a right. It is a facilitation given by the Government of India on the basis of papers inspected by the banks and the officials who go to that particular company to see whether the proposal that the company has made can be validated through the technology that the company claims to have and the number of people the company claims to employ. Given that, the Joint Inspection Committees are undertaken through the Textile Commissioner's Office to see whether the application given by the company is in no way flawed. Any application where the company is found to give flawed information is struck down immediately. A UID is generated. It is a transparent and automated mechanism. There is an instruction in the Ministry of Textiles that every Joint Inspection Committee which finds validated proof of the claims made by a company will release the subsidy within the first seven working days. But if the claim of the company is found to be false, then subsidy is not released so that the banks do not get the added pressure of having NPAs and the companies do not stand to gain illegally from the Government and the tax payers' coffers.

(1120/KSP/MK)

Sir, I would also like to take this opportunity to attract the hon. Member's attention to the fact that Tiruppur has received one project of Yarn Bank, two projects of Common Facility Centre and one Group Work Shed Scheme. In fact, under ATUFS, the city of Tiruppur only has received more than Rs. 178 crore. At my level, every month I meet industry representatives, be it small

scale or otherwise and industry associations, including from the cities of Tiruppur and Coimbatore.

In terms of Duty Drawback and RoSCTL, let me inform the hon. Member, through you, that RoSCTL on garments and made-ups was given because for every crore invested, 70 jobs were assured by the industry. In yarn, the job creating capacity is less and any other segment of textile, where job creating capacity is seemed to be enhanced and can be validated by the industry, is currently under study by the Department of Commerce.

(ends)

(प्रश्न 103)

श्री लल्लू सिंह (फैजाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि जबसे माननीय मोदी जी की सरकार देश में बनी है, तबसे चहुँमुखी विकास की योजनाएं चल रही हैं। नई प्रौद्योगिक योजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अनेकों कदम युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए हैं। परन्तु आज भी देश में विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है। हमारा सवाल है कि सरकार विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आज छात्रों की भागीदारी का प्रतिशत कितना है तथा छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजना चल रही है, ताकि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बढ़ सके?

श्री अश्विनी कुमार चौबे: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मैं उनको बताना चाहूंगा और पूरे देश के छात्रों और युवाओं को अपने लोकप्रिय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का वह संदेश भी पुनः आपके माध्यम से देना चाहूंगा। महोदय, आप जानते हैं कि सरकार ने युवा वैज्ञानिकों को अनुसंधान करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए तथा उनकी सहायता करने के लिए बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई हैं। विशेषकर, प्रथमतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में युवा वैज्ञानिकों की दो तरीके से हम सहायता करते हैं। इसमें महिलाएं भी हैं और छात्रों में युवती और युवा दोनों हैं। महोदय, डॉक्टरल एवं पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधानकर्ताओं दोनों के लिए अनुसंधान फेलोशिप भारतीय विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और उद्योग में शिक्षण करने एवं अनुसंधान करियर अपनाने के लिए हम उन्हें दो से पाँच वर्ष तक प्रशिक्षित करते हैं।

दूसरा, अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से आरंभिक करियर अनुसंधान सहायता कार्यरत युवा संकायों एवं वैज्ञानिकों को उच्च गुणवत्तापूर्ण एवं राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में प्रासंगिक अनुसंधान करने के लिए हमारी सहायता की जा रही है।

महोदय, हिन्दुस्तान में पहली बार हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में 30 हजार नए युवकों को जो हम हर साल वैज्ञानिकों को सहायता प्रदान करते हैं, अनुसंधान करते हैं। वे अच्छे शिक्षक बनें, अच्छे वैज्ञानिक बनें और देश के भविष्य को आगे ले चलने में वे पूरी मेहनत के

साथ सफल हों, इसका प्रयास हमारी सरकार बराबर कर रही है। जो ब्रेन ड्रेन है उसको ब्रेन गेन करने का भी काम हम कर रहे हैं। जो विदेशों में गए हैं, उनके लिए भी हमने योजनाएं बनायी हैं।

श्री लल्लू सिंह (फैजाबाद): अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल है कि क्या यह सत्य है कि भारतीय अंतरीक्ष अनुसंधान संगठन इस वर्ष से स्कूल के बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम चलाने वाला है? यदि हां तो उसके क्या परिणाम रह रहे हैं? पूरे देश से उसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के कितने बच्चों को शामिल किया गया है?

श्री अश्विनी कुमार चौबे: अध्यक्ष महोदय, हालांकि माननीय सांसद ने जो प्रश्न किया है, वह थोड़ा इतर है। युवा वैज्ञानिक तो ठीक है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है विद्यालयों में लगातार इस मंत्रालय के द्वारा तीन जगहों पर देश में, चेन्नई, दिल्ली और लखनऊ में, ऐसे बच्चों को जो सभी सांसदों के आदर्श ग्राम के बच्चे थे, वहां उनको बुलाया गया था। हालांकि यह प्रश्न से बाहर है। हजारों बच्चों ने इसमें भाग लिया है और उनका बहुत ज्ञानवर्धन हुआ है। एक अच्छे वैज्ञानिक बनने का उनका सपना आगे भविष्य में साकार होगा ऐसा मुझे लगता है।

(1125/MK/SRG)

SHRI HEMANT TUKARAM GODSE (NASHIK): Hon. Speaker Sir, our country has created a separate S&T research and teaching system. On the contrary, the most innovative country such as United States blend research and teaching. Upto some extent, our leading institutions such as IITs are following the same approach. However, our S&T research institutions have been slow in building teaching capacity. Such capacity building can provide huge benefits to young scientists.

So, I want to ask hon. Minister whether Government is planning to reform agenda to make our leading S&T research institutions such as NCL,

DRDO, BARC and ISRO into at least post-graduate research and teaching institutions and further into full-fledged research universities in the future.

श्री अश्विनी कुमार चौबे: महोदय, माननीय सांसद जी ने जो कहा है तो निश्चित रूप से हमारे जो युवा वैज्ञानिक हैं, वे अच्छी-अच्छी जगहों पर जाएं, पहले तो वे छात्र के रूप में रहते हैं और हम फैलोशिप देकर उनको बढ़ाते हैं। जहां तक 'इंस्पायर' की बात है, जो हमारी सर्वाधिक लोकप्रिय और अति सम्मानित राष्ट्रीय योजना हमारी सरकार ने बनायी है, दूसरा, एन.पी.जी.एफ. के द्वारा राष्ट्रीय पोस्ट डॉक्टोरल फैलोशिप और तीसरा जो आरंभिक करियर अनुसंधान पुरस्कार तथा चौथा सी.एस.आई.आर., यू.जी.सी. अनुसंधान फैलोशिप है, इनके माध्यम से हम 31 हजार से लेकर 1 लाख 35 हजार रुपये तक उनको छात्रवृत्ति देते हैं और देश भर में इस प्रकार की 30 हजार छात्रवृत्तियां हम दे रहे हैं। भविष्य में हमारी सरकार की जो स्टार्टअप इंडिया योजना की बात प्रधान मंत्री जी ने की है, उसे हम और आगे बढ़ाने का काम का काम कर रहे हैं।

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और एच.आर.डी. मिनिस्ट्री के द्वारा पिछले लगभग पांच सालों के अन्दर माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में जितना अच्छा काम इस देश में हुआ है, बहुत स्तुति है इतना अच्छा काम पिछले बहुत सालों में नहीं हुआ है।

मेरा एक सवाल यह है कि दुनिया में ग्लोबल सर्वे यह कहता है कि करीब 82 परसेंट जो दुनिया की डिस्कवरीज़ हैं, वह यंग साइंटिस्टों ने की हैं। हमारे यहां अभी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, रिसर्च इंस्टिट्यूट्स के अंदर ज्यादातर जो रिसर्च फंड हैं, वह सीनियर प्रोफेसर और सीनियर साइंटिस्ट लेकर जाते हैं। क्या भारत सरकार कोई ऐसी योजना बना रही है, विचार कर रही है कि कम-से-कम 50 परसेंट जो रिसर्च फंड है वह यंग साइंटिस्टों के लिए रिजर्व किया जाएगा? यह मेरा सवाल है।

श्री अश्विनी कुमार चौबे: महोदय, माननीय सांसद मंत्री भी रहे हैं और बड़े विद्वान हैं। उन्होंने ठीक ही कहा है कि 50 परसेंट जो नयी पीढ़ी के युवा वैज्ञानिक हैं उनको कैसे फंड दिया जाए। जहां तक मेरी जानकारी है युवा वैज्ञानिकों के लिए, इन सभी स्कीमों जिनके बारे में हमने पहले कहा, इसके अतिरिक्त 40 वर्ष से कम आयु वाले ऐसे 37 प्रतिशत युवा वैज्ञानिक और जो 45 वर्ष से कम आयु के 65 प्रतिशत हैं, ऐसे वैज्ञानिकों को एस.ई.आर.बी. की मुख्यधारा वाली अनुसंधान सहायता स्कीमों के जरिए निधि प्राप्त कराते रहें और इसके लिए हम उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि भविष्य में अपने उज्ज्वल भविष्य को आगे बढ़ाते रहें।

(इति)

(प्रश्न सं 104)

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): माननीय अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी ने भारत के गरीबों के लिए 'आयुष्मान योजना' नाम का एक ऐसा उपहार दिया, जो ऐसी खुशहाली लाया है कि भारत के गरीब जन्म-जन्मान्तर तक नरेन्द्र मोदी जी को प्रधान मंत्री बनाये रखना चाहते हैं। दिल्ली ने भी सात की सात सीटें देकर प्रधान मंत्री जी के प्रति एक गजब का विश्वास दिया है, लेकिन दिल्ली में 'आयुष्मान योजना' को दिल्ली सरकार ने रोक दिया है।

(1130/YSH/KKD)

तो इसका प्रतिफल यह हुआ है कि दिल्ली हेल्थ इंडेक्स में पांचवें स्थान पर पिछड़ गई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जहां पर मोहल्ला क्लिनिक भी, अब इलाज की जगह भ्रष्टाचार का केन्द्र बन गया है, क्या दिल्लीवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए केन्द्र सरकार कोई कदम उठा रही है? क्या आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने के लिए ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि ऐसी गरीब विरोधी सरकारों को झटका लगे और गरीबों को इसका लाभ मिले?

श्री अश्विनी कुमार चौबे: अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न किया है, वह प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े अच्छे नेता भी हैं और अभिनेता भी हैं। सचमुच में उनके नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश काफी आगे बढ़ रहा है। महोदय, जहां तक आयुष्मान भारत की योजना जो आप जानते हैं कि देश में और दुनिया में यह अनूठी योजना प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने 23 सितम्बर को पिछली बार लागू की थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर।

महोदय, आपको यह भी जानकर अच्छा लगेगा कि लगभग 11 करोड़ परिवार हैं, जिनमें 50 करोड़ या 52 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो इसके अंदर आते हैं, उनको हम लाभ दे रहे हैं। आपको यह भी जानकर अच्छा लगेगा कि दिल्ली और देश दुनिया के लोगों ने जो यह अनूठी योजना अपनाई है, गरीबों ने अभी हाल के चुनावों में इसकी सराहना की है। महोदय, जिनको कभी कोई

चीज दिखाई नहीं पड़ती थी, उन माँ बहनों के लिए, उन गरीबों के लिए कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पॉकेट में पैसा न हो और उसके बावजूद भी वह दिल्ली में आकर इलाज करवाएं। हमारी चिंता इस बात की है कि दिल्ली प्रदेश की जो सरकार है, वह हमारी आयुष्मान भारत योजना से नहीं जुड़ी है। अभी 33 ऐसे आयुष्मान भारत से हमारे राज्य जुड़े हैं। और राज्यों को भी अभी हाल में दूसरी सरकार बनने के बाद भी हमारे मंत्री जी ने मुख्य मंत्री जी को हमारी सरकार की ओर से पत्र भी लिखा है, आग्रह भी किया है। जहां तक दिल्ली प्रदेश की बात है तो दिल्ली प्रदेश में 17 हॉस्पिटल जो बड़े-बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, 12 प्राइवेट हैं और 5 सरकारी हॉस्पिटल हैं, उनको हमने एम्पैनल किया है। एम्पैनल करने के माध्यम से दिल्ली में दूर के गांव का, चाहे वह अहमदाबाद का गरीब हो, गांव का रहने वाला हो या बिहार का हो, गांव का गरीब बच्चा बिना पैसे लिए हुए आता है और यहां दिल्ली के बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज करवाता है,

महोदय, हमारा आपसे आग्रह है कि दिल्ली जैसे प्रदेश में, दिल्ली दिल वालों की है, पूरे देश की है। महोदय, दिल्ली में जो यहां झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाला गरीब है, जो यहां के लोग हैं, देश के कोने-कोने से यहां आकर बसते हैं, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि बाहर के लोग यहां के अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। दिल्ली के मूलवासी यहां इलाज करवाने से वंचित हैं। यह राज्य सरकार को सोचना होगा। दिल्ली सरकार को गंभीरता से इस पर निर्णय करना होगा। हम आमंत्रित करते हैं कि दिल्ली प्रदेश भी जल्द से जल्द इसमें शामिल हो।

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): माननीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद करता हूँ, जो जवाब दिया मंत्री जी ने, उन्होंने हमारी दिल्ली का दर्द समझा है, लेकिन ये जो अस्पताल बता रहे हैं, वे तो केन्द्र सरकार के अस्पताल हैं, जो दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नहीं हैं। तो दूसरा पूरक प्रश्न मेरा यह है कि जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जो अस्पताल पैनलबद्ध किए गए हैं, वे बहुत ही दायम दर्जे के और ऐसे अस्पताल हैं, जहां इलाज तो क्या, बड़ा खतरा हो जाता है। राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में भी यही स्थिति न हो जाए, इसलिए मेरा सवाल है

कि क्या आयुष्मान भारत योजना के जो पैनलबद्ध अस्पताल हैं, उनमें भी कोई कागज पत्र लिया जाए, कोई नकदी रहित सुविधा प्रदान की जाए? यदि ऐसा हो रहा है तो उसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और ए.बी.वाई. कार्यक्रम के दौरान सरकार के समक्ष सारी रुकावटों, खामियों का ब्यौरा क्या है, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा।

श्री अश्विनी कुमार चौबे: महोदय, जो माननीय मंत्री जी ने आज आयुष्मान भारत के लिए कहा है आप जानते हैं, आयुष्मान भारत के दो कंपोनेंट हैं। एक प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना और दूसरा जो आयुष्मान भारत के अंदर हमने पूरे देश में 2022 तक डेढ़ लाख सबसेन्टर एडीशनल प्राइमरी हेल्थ सेन्टर इसको हमने वैलनेस सेन्टर में बदलने का निश्चय किया है, इसमें जो बीमार हैं, उनको स्वस्थ बनाने का निश्चय किया है।

(1135/RPS/RP)

महोदय, जहां तक राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अस्पतालों की बात माननीय सदस्य ने कही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे अच्छे सरकारी और प्राइवेट अस्पताल वहां चल रहे हैं, वहां लोगों का इलाज हो रहा है। माननीय सदस्य को हम इस बारे में आंकड़े और जानकारी अलग से भेज देंगे कि कहां कितने लोगों का इलाज हुआ है। यह जानकारी हम बाद में उनको व्यक्तिगत रूप से भेज देंगे।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि मैं बिहार से आता हूँ। ... (व्यवधान) लॉटरी में आया है। ... (व्यवधान) बिहार का हर संसद सदस्य डॉक्टर है, कम्पाउण्डर है या नर्स है, क्योंकि कोई भी ऐसा संसद सदस्य नहीं है, जिसके घर के पीछे एक डिस्पेंसरी न चल रही हो, जहां सैकड़ों की संख्या में मरीज न आ रहे हों और हम सब डॉक्टर हैं। आज आप दिल्ली के किसी संसद सदस्य से पूछ लीजिए, वह एम्स के दस डॉक्टर्स के नाम और मोबाइल नम्बर बता देंगे, आरएमएल हॉस्पिटल और मेडिसिटी का बता देंगे, क्योंकि आजकल बिहार में हम जिस सबसे बड़े संकट का सामना कर रहे हैं, वह यही है।

अध्यक्ष जी, आप देख सकते हैं कि मैं एक कागज लेकर आया हूँ, यह प्रधान मंत्री जी के राहत कोष का है और 23 मई तक, मुझे लगता है कि अभी तक लगभग सवा दो करोड़ रुपये, पिछले पांच साल में मैंने सीधे प्रधान मंत्री जी से लिया है। शायद इसी पीड़ा को समझकर उन्होंने यह बड़ी योजना, जो दुनिया की ऐसी सबसे बड़ी योजना है, शुरू की है। हम पार्लियामेंट में यह कार्ड लगाकर आए हैं, यह हम सब लोगों को लगाना चाहिए, यह मेरी पहचान है। ... (व्यवधान) मैं प्रश्न पर आ रहा हूँ। ... (व्यवधान) भारत में ऐसा कार्ड ... (व्यवधान) आपने मुझे टोक दिया, ... (व्यवधान) इसी कार्ड के कारण आप वहाँ बैठे हैं और हम 303 की संख्या में पहुँचे हैं। ... (व्यवधान) आपको पता ही नहीं है कि देश में क्या हो रहा है। ... (व्यवधान) अगर आपने अपने राज्य में यह कार्ड लागू कर दिया होता तो आपकी सीटें भरी हुई दिखतीं। इसलिए ऐसा मत बोलिए। ... (व्यवधान)

सर, हम लोगों को सीजीएचएस कार्ड मिलता है। ... (व्यवधान) पहले देश के प्रधान मंत्री रहे। ... (व्यवधान) यह कार्ड सदन की सम्पत्ति है, यह प्रधान मंत्री जी का कार्ड है। ... (व्यवधान) मैं उस दिन के इंतजार में हूँ। मुझे जब टोकेंगे तो ऐसा ही जवाब मिलेगा। ... (व्यवधान) महोदय, यह सीजीएचएस का कार्ड पहले हम लोगों को मिला करता था और हम लोग अपने आपको ... (व्यवधान) मुझे मत टोकिए, अन्यथा जवाब यही मिलेगा। ... (व्यवधान) महोदय, हम सभी संसद सदस्यों को सीजीएचएस कार्ड मिलता था। आज देश के प्रधान मंत्री जी ने 50 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड देने की बात की है। ... (व्यवधान) जिस दिन हमारा यह लक्ष्य पूरा होगा, ... (व्यवधान) गोल्डन कार्ड का लक्ष्य पूरा होगा। ... (व्यवधान) जिस दिन भारत का हर गरीब यह गोल्डन कार्ड अपनी गर्दन में लगाकर घूमेगा, उस दिन देश के प्रधान मंत्री को इस कुर्सी से हटाने की ताकत किसी में नहीं होगी। ... (व्यवधान) यह कार्ड ही ताकत है और ऐसी सैकड़ों योजनाएं ताकत हैं, जिन्होंने हमें 303 और 353 की संख्या में यहाँ बैठाया है। ... (व्यवधान) यह एक सच्चाई है।

महोदय, मेरा सवाल यह है कि कब तक देश की सरकार 50 करोड़ गरीबों के पास यह कार्ड पहुंचा देगी? इसके लिए लक्ष्य क्या है और प्रस्ताव क्या है? ... (व्यवधान) मैं यह भी जानना चाहूंगा

कि यह गोल्डन कार्ड कब तक 50 करोड़ गरीबों के पास पहुंच जाएगा? इसका लक्ष्य क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है और आप इसके लिए क्या कदम उठाएंगे?

श्री अश्विनी कुमार चौबे: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हमारे बिहार के युवा साथी हैं। उन्होंने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अभी तक देश में तीन करोड़ से ज्यादा परिवारों तक प्रधानमंत्री जी का यह ई-कार्ड पहुंचाया जा चुका है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इतने कम समय में प्रधानमंत्री जी के पत्र लगभग करोड़ों के घर तक जा चुके हैं। मैंने तीन करोड़ परिवारों की बात की है, लाभक नहीं। दस करोड़ परिवारों में से तीन करोड़ परिवारों तक यह कार्ड पहुंच चुका है और दस करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री जी ने प्रत्यक्ष चिट्ठी भी लिखी है कि अगर वे इस बीच में किसी कारण बीमार हो जाते हैं, तो वे हमारे एम्पैनलड अस्पताल में जाएंगे और वहां पर जाएंगे तो उनका तुरंत इलाज शुरू हो जाएगा। जो ई-कार्ड है, जब उनको वहां दोबारा जाना होगा, तब वहां बन जाएगा। सरकार इसके लिए जल्द ही प्रयास कर रही है कि इस दिशा में आगे बढ़ें।

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान से आता हूँ। राजस्थान में पूर्व सरकार ने भामाशाह कार्ड का काम किया था, जिसमें सभी लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला था, लेकिन वर्तमान सरकार ने आयुष्मान भारत को अब तक किया नहीं है।

(1140/RAJ/RCP)

आज मूल प्रश्न एम्पैनलमेंट का है। इसमें हमारे पूरे राजस्थान के क्षेत्र में तीन लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक में राहत मिले। राजस्थान के पूरे क्षेत्र के सभी परिवारों को इसका लाभ मिले। क्या वर्तमान की सरकार उनको इतना निर्देश देगी कि जल्द से हमारे सभी अस्पताल, जिसमें अड़ौती का क्षेत्र हो, जोधपुर का क्षेत्र हो या ऊपर के क्षेत्र हो, राजस्थान के पूरे क्षेत्र में यह इम्पैनलमेंट हो। हमारे सभी लोगों को स्वास्थ्य की सेवा मिले, जैसा आपने 'आयुष्मान मित्र' के बारे में कहा है, इसके संबंध में कुछ नहीं हो रहा है। अभी तक हमारे राजस्थान में इसको नहीं लागू किया गया है। आप इसे पूरे राजस्थान में कब लागू करेंगे?

श्री अश्विनी कुमार चौबे : अध्यक्ष महोदय, इनकी पीड़ा से मैं भी पीड़ित हूँ और हमारी सरकार भी पीड़ित है। मैं राजस्थान सरकार को भी बधाई देता हूँ कि जिन 33 राज्यों ने एमओयू किया, उसमें से राजस्थान सरकार भी है और साथ ही पंजाब सरकार भी है। अभी हाल में उन्होंने जो खबर की है कि जुलाई महीने में हम इस कार्य योजना को प्रारंभ कर देंगे। यह उन्होंने हमें आश्चस्त किया है कि हम जुलाई महीने में इस योजना को प्रारंभ करेंगे। ऐसा उन्होंने मंत्रालय को सूचित किया है।
...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी आप माननीय मंत्री नहीं बने हैं। जवाब दे दिया गया है, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

(इति)

(Q. 105)

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): Sir, viral diseases are alarmingly increasing in the country. The outbreak of acute encephalitis syndrome claimed about 150 lives in Muzaffarpur, Bihar and 16 deaths in Gorakhpur, Uttar Pradesh. The repeated outbreak of Nipah virus in Kerala caused panic in the State but it could be effectively controlled with the help of a strong public health system in the State.

I would like to know from the hon. Minister whether the Government will consider taking more effective measures to strengthen the public health system in the country and to implement a Centrally sponsored special programme to assist the States for prevention of viral diseases.

श्री अश्विनी कुमार चौबे : अध्यक्ष महोदय, यों तो इन्होंने निश्चित सवाल किया है, लेकिन मुख्य रूप से सवाल एच-1 और एन-1 वायरस के बारे में किया गया था। यह ठीक है कि इन्होंने अन्य वायरस के बारे में भी सवाल पूछा है। हम इन्हें बताना चाहेंगे कि एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम, ईईएस हम सभी के लिए चिंता का विषय है। यह बहुत दुःखद है। हमारे कुछ बच्चे उससे मृत्यु का शिकार हुए हैं... (व्यवधान) यह प्रश्न में नहीं है। ये दोनों प्रश्न के बाहर से हैं। मैं उसके बारे में बता रहा हूँ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): कितने बच्चों की मौत हुई है?

श्री अश्विनी कुमार चौबे : अधीर जी, कृपया आप बैठ जाइए। आप बिल्कुल अधीर न हों।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): बच्चे मरते हैं तो हम अधीर होते हैं।

श्री अश्विनी कुमार चौबे : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019 में एन्फ्लूएंजा, एच-1, एन-1 बहुत फैला। उसमें समय स्वाइन फ्लू के 26,140 मामले सामने आए थे। विशेषकर यही प्रश्न है। उसमें 1076 मौतें हुई थीं। वर्ष 2019 में मौसमी एन्फ्लूएंजा, जिसको एन-1, एन-1, स्वाइन फ्लू कहते हैं, इस

मामले में हम लोगों ने सभी राज्यों को एलर्ट किया और इसमें हमारी काफी उपलब्धि रही है। केरल में जो बीमारी फैली थी, उस पर पूरी टीम भेज कर हम ने 15 दिनों में नियंत्रण किया था।

(1145/IND/SMN)

मुजफ्फरपुर में भी हमारी केंद्र सरकार की तीन उच्च स्तरीय टीमों गई हैं। हमारे मंत्री हर्ष वर्धन जी ने चार घंटे तक 100 मरीजों को एक-एक करके देखा। उस समय हम उनके साथ थे। बिहार सरकार और केंद्र सरकार द्वारा हर प्रकार से बच्चों की जान बचाने के लिए व्यापक पैमाने पर अवेयरनेस का कार्यक्रम चल रहा है और साथ ही हमारी जो दवाइयां हैं, वे भी हम उपलब्ध करवा रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी आपकी पार्टी के सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री अश्विनी कुमार चौबे : दिल्ली के एम्स अस्पताल के 10 बड़े डाक्टरों वहां इलाज कर रहे हैं और बिहार के भी बड़े-बड़े डाक्टर वहां लगे हुए हैं। कुछ हद तक इस बीमारी में कमी आई है। हम भविष्य में इसके लिए दीर्घकालीन योजना भी बना रहे हैं। हमारी वहां 7 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज भी चल रही हैं। हम कैसे दीर्घकालीन योजना बनाकर इस बीमारी पर नियंत्रण कर सकते हैं, इसके लिए वायरोलॉजिकल लैब में उसके सिरम को भी जांच के लिए भेजा गया है। हम इस विषय पर पूरी तरह से काम करेंगे, ताकि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति न बने।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि उन बच्चों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा या नहीं?

श्री अश्विनी कुमार चौबे : उन बच्चों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ पूरी तरह से मिल रहा है। आप केवल अंदाज़ लगाकर प्रश्न मत कीजिए।

अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान भारत योजना का लाभ उन गरीबों को देने के लिए हम निश्चित रूप से वचनबद्ध हैं और दे भी रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं हैं।

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): The State of Kerala is more vulnerable to viral diseases.

As the former Health Minister of Kerala, I know the needs of the State very well. It is necessary to set well-equipped virology institutes in the State. I would like to know whether the Government will consider providing more financial assistance to set up advanced virology institutes in the States.

श्री अश्विनी कुमार चौबे : महोदय, इस प्रकार की कोई योजना फिलहाल नहीं है, लेकिन हम इस बारे में चिंतित हैं और वहां बराबर हम साइंटिस्ट्स को भेज रहे हैं। वायरोलॉजिकल लैबोरेट्री पूना से भी वहां जाते रहे हैं और उस राज्य में भी एक छोटी लैब है। भविष्य में इस बारे में यदि और कुछ किया जाएगा, तो माननीय सदस्य को बताएंगे।

(इति)

(Q. 106)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, the latest urban air quality database released by World Health Organisation reconfirms that most Indian cities are becoming death traps due to very high air pollution levels. India appears among the group of countries with highest particulate matter (PM) levels. Also, compared to other cities, Indian cities have the highest levels of PM10 and PM2.5 causing serious health hazards for the population especially, children and elderly people.

Combating air pollution must become the national priority as it endangers the future of the nation more than the effects of any calamity.

Taking into account the gravity of the matter, I would like to ask the Hon. Minister whether the Government is aware of the reports concerning dangerously high levels of particulate matter in various cities, and, one out of every seven deaths in India was attributable to air pollution.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, this is a very important question. The Government realises it and has started taking action very vigorously against air pollution because air pollution leads to ailments especially for lungs and others.

I will not give comment right now on the world reports because there is a must to read in between the lines.

It is a very good thing that we have taken five basic decision to tackle the air pollution. First is that the vehicle pollution has to be contained on the immediate basis.

(1150/MMN/VB)

We have already preponed the launch of BS-VI. We have skipped BS-V. We are giving now clean fuel in Delhi from this year and throughout the country from next year. The BS-VI compliant vehicles are also going to come from next year. That will reduce 90 per cent of the vehicular pollution. We are sitting in Delhi. For 20 years, the peripheral highways were not built. But now they have been built completely in four years, and the last batch will be done this year. So, 60,000 vehicles, which were coming to Delhi just to pass through, are not coming to Delhi now, and that much pollution is reduced.

We have closed Badarpur Thermal Power Plant. हमें समझना चाहिए पहले कल्पना यह थी कि थर्मल पावर स्टेशन शहर के बीचों-बीच होनी चाहिए लेकिन अब यह नई सोच है कि वहाँ प्रदूषकारी भी कुछ नहीं होना चाहिए बदरपुर थर्मल प्लांट हमने बंद कर दिया। हमने तीन साल में तीन वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट्स शुरू किये। स्टबल बर्निंग का जो इश्यू है, वह एक महत्वपूर्ण इश्यू है, यह हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों में होता है। उसका धुआँ दिल्ली में आता है। उसके लिए भी पाँच राज्यों की एक को-ऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। उसका परिणाम यह हुआ है, अभी नेक्स्ट मंथ में सत्र समाप्त होते ही, मैं इसकी बैठक बुला रहा हूँ। सभी राज्यों के मुख्य मंत्री और अधिकारियों को इकट्ठा बुलाकर, हमने जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लांग टर्म प्रोग्राम बनाए हैं, उनको रिव्यू करके, चूंकि यह ज्यादा नवम्बर में होता है, तो उसके लिए तैयारी अभी से ही करेंगे।

एक काम यह किया गया है कि सभी इंडस्ट्रीज़, जो प्रदूषणकारी हैं, के लिए ऑन-लाइन मॉनिटर्स बिठाए हैं। यदि आप मेरे कार्यालय में आएं, तो आपको हर इंडस्ट्री से कितना प्रदूषण हो रहा है, कितना एमिशन हो रहा है, प्रत्येक इंडस्ट्री की मॉनिटरिंग रिपोर्ट हर 15 मिनट पर आती है। देश भर की साढ़े तीन हजार कम्पनियों को मॉनिटर करने के लिए ऐसी मशीन लगाई गई है।

इसके साथ-साथ, जितने भी ब्रिककिल्न्स थे, all have been shifted to zig-zag technology. इस प्रकार से, ईंट-भट्टों से जो प्रदूषण होता था, वह भी खत्म हुआ है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): यह टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, जिग-ज़ैग?

श्री प्रकाश जावड़ेकर: आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, एक उचित टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जिससे ईंट-भट्टों का प्रदूषण खत्म होता है। समझने के लिए यह भी काफी है।

Suresh Ji, what you have asked about is PM10, and that has increased and that is the real worry. But let me tell you with confidence that in the last three years in the city of Delhi--every city has different PM10 or PM2.5 levels--पीएम-10 लेवल में 16 पर्सेंट कमी आई है। दिल्ली में पीएम-2.5, जो फाइन पार्टिकल्स हैं, उनमें 15 पर्सेंट की कमी आई है और गुड, मॉडरेट एंड सैटिस्फैक्ट्री यानी जिसमें हवा की तबीयत ठीक रहती है, ऐसे दिन वर्ष 2016 में 106 थे, 2017 ये 152 दिन हुए और अब ये 159 दिन हुए हैं। So, a number of good days are increasing. That is the good news for the environment.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Is the Government further aware of the World Health Organization's Report which states that exposure to particulate matter contributes to the risk of developing cardiovascular and respiratory diseases as well as lung cancer? If yes, cite the details of action taken to reverse the air pollution and to control the accelerating factors that cause pollution in the country.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Actually, I have narrated and I have given in the reply all the measures taken by the Government but importantly, let me tell you, दुनिया में यह प्रॉब्लम है। This is a global problem and not India's or Delhi's

problem. अमेरिका, यूरोप आदि देशों में जाइए, तो लोग प्रदूषण की चर्चा करते हैं। वहाँ ओज़ोन का प्रदूषण है, कहीं 'नॉक्स' पॉल्यूशन है, कहीं 'सॉक्स' पॉल्यूशन है।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): How will you tackle it in India?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Let us understand that this is a global phenomenon. The world is fighting against it. We are part of the global solution. Therefore, we have taken measures, and the result is that PM2.5, which causes really the chest problem, has been reduced by 15 per cent in three years. If we continue with this speed, I am very sure, we can reduce it further because in Delhi also, the problem aggravated since 2007 but the action started since 2014.

(1155/PC/VR)

SHRI FEROZE VARUN GANDHI (PILIBHIT): Construction dust accounts for about 45 per cent of all air pollutants in the National Capital Region. My question, through you, to the hon. Minister is, whether the Government plans to expand the scope of green building ratings to include adherence to environmentally sound construction processes for buildings thereof.

श्री प्रकाश जावड़ेकर : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अच्छा सुझाव है। ग्रीन रेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा नए भवन के निर्माण में पर्यावरण पूरक हो, इसके लिए हमने नए मानक बनाए हैं। अगर 5 हज़ार मीटर में भवन का निर्माण करोगे, तो भी कुछ पर्यावरण पूरक काम करने पड़ेंगे, 20 हज़ार मीटर का कार्य होगा, तो भी करने पड़ेंगे। जैसे-जैसे साइज़ बढ़ेगा, वैसे ही पर्यावरण के नियमों का और ज़्यादा पालन होगा। This is what we are trying.

So far as construction and demolition waste is concerned, we have formed rules for the first time in Independent India. When I went to see a metro tunnelling work, I could realize that they were removing huge quantity of dust everyday but there was no sign of dust anywhere being dumped. So, I took this concept from them as to how they manage and transport all the dust. Now these rules are notified for the management of construction and demolition waste. I think we are making pavements, side-lines and many other things from construction and demolition waste.

We are going to implement it very strictly. The National Green Tribunal has also asked all the Chief Secretaries to take immediate action on the management of construction and demolition waste. Your suggestion is very good and we are going ahead in this regard. ...(*Interruptions*)

श्री फिरोज़ वरुण गांधी (पीलीभीत) : सर, मेरा एक और क्वेश्चन भी है। ...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : आप लिखित में दे दीजियेगा।

...(*व्यवधान*)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में लिखा है कि साल भर में जितने पूअर और सिवियर डेज़ हैं, जब प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, वर्ष 2018 में 206 दिन ऐसे थे, जब ऐसा गंभीर वातावरण था कि सांस लेना भी मुश्किल था। एयर क्वालिटी पूअर से सिवियर है। आज भी अगर हम एयर क्वालिटी को देखें तो ज़्यादातर दिन, चाहे सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, ये 206 दिन हैं, जब पीएम 2.5 लेवल बहुत ज़्यादा होता है।

महोदय, मेरा सौभाग्य है कि मैं दो साल पहले पिता बना। आज मेरी जो चिंता है, वही लाखों परिवारों की चिंता है। दिल्ली शहर में बच्चे को पैदा करना और बड़ा करना बहुत मुश्किल हो गया

है। इसीलिए, मैं लाखों माताओं-पिताओं के हित में पूछना चाहता हूँ कि जब बहुत सिवियर डेज़ होते हैं, जब घर से बाहर निकलना भी उचित नहीं होता, तो मेडिकल एडवाइज़री आती है। यह मेडिकल एडवाइज़री भी यही कहती है कि आप घर के अंदर रहिए। मैं पूछना चाहता हूँ क्या केंद्र सरकार ऐसी कोई प्रक्रिया सोच रही है कि जब दिल्ली में वायु प्रदूषण सिवियर प्लस या इमरजेंसी लेवल पर होता है, तो सरकार एक पब्लिक हैल्थ एडवाइज़री जारी करे कि सारे नागरिक उन दो दिनों के लिए - क्योंकि सिवियर इमरजेंसी है - घरों के अंदर रहें। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिसमैन, सीपीडब्ल्यूडी, सैनिटेशन, एमसीडी, क्या इनको प्रदूषण से बचाने के लिए आप एयर क्वालिटी मास्क्स देंगे? क्या आप कोई ऐसी स्कीम निकालेंगे, ताकि हमारे जो ट्रैफिक पुलिसमैन हैं, जो गाड़ियों का धुआं अपने लंग्स में ले रहे हैं, उनको बचाने के लिए क्या आप एयर क्वालिटी मास्क्स डिस्ट्रिब्यूशन की कोई स्कीम लेकर आएंगे?

श्री प्रकाश जावड़ेकर : अध्यक्ष महोदय, गौरव गोगोई जी ने एक बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मैं एश्योर करना चाहूंगा कि 200 दिनों की क्या स्थिति है, ये अभी पूअर और सिवियर स्टेज में हैं, लेकिन वर्ष 2016 में 246 दिन ऐसे होते हैं, वर्ष 2017 में घटकर ये 213 दिन हो गए और अब ये 206 दिन हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अब हवा की तबीयत ठीक है, ऐसे दिन बढ़ रहे हैं, खराब है, ये दिन कम हो रहे हैं। इसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने इस कार्यक्रम को रूप दिया है और कॉम्प्रेहेंसिव उपाय किए हैं।

मैं एक अन्य बात बताना चाहता हूँ। आप तो विदेशों में भी घूमे हैं, आप शंघाई और बीजिंग भी गए हैं। आपने देखा है कि वैसी स्मॉग-लाइक सिचुएशन अपने यहां दीपावली के दिनों में होती है, उसके लिए फायर क्रैकर्स पर पाबंदी लगाई गई और बच्चे भी अब जागरूक हो गए हैं, वे अब फायर क्रैकर्स नहीं मांग रहे हैं। स्टबल बर्निंग के इश्यू में भी 15 परसेंट की कमी आई है। ... (व्यवधान) इस साल और किसानों को मदद देकर यह स्टबल बर्निंग कम होगी, जिससे ये दिन कम होंगे। हम इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

(इति)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त।

प्रश्न काल समाप्त

(1200/SPS/SAN)

**ANNOUNCEMENT RE: ORIENTATION PROGRAMME FOR THE NEWLY
ELECTED MEMBERS OF 17TH LOK SABHA**

1200 बजे

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण लोक सभा सचिवालय का संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो 17वीं लोक सभा के नव निर्वाचित माननीय सदस्यों के लिए एक प्रबोधन कार्यक्रम 3 जुलाई से 4 जुलाई और 9 जुलाई से 10 जुलाई, 2019 को मुख्य समिति कक्ष संसदीय शोध नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। इस प्रबोधन कार्यक्रम का उदघाटन 3 जुलाई, 2019 को छः बजकर पन्द्रह मिनट पर मुख्य समिति कक्ष नई दिल्ली में होगा। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में उपस्थित हों। इस कार्यक्रम से संबंधित विस्तृत जानकारी बुलेटिन दो में दी गयी है।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में घोषणा

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई हैं। यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, तथापि इनके लिए आज की कार्रवाई में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इन मामलों को अन्य अवसर पर उठाया जा सकता है। इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। श्रीमती स्मृति ईरानी।

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF TEXTILES (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Sir, I rise to lay on the Table a copy of the Notification No. S.O.797(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 11th February, 2019 nominating Joint Secretary (Silk), Ministry of Textiles, Government of India to serve as Member of the Central Silk Board for a period of three years with effect from 26.02.2019 subject to the provisions of the Central Silk Board Act, 1948 issued under sub-section (3) of Section 4 of the said Act.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I rise to lay on the Table:-

1. (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi, for the year 2017-2018, along with Audited Accounts.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi, for the year 2017-2018.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.
- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 33 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973:-

(i) The Homoeopathy Central Council (Minimum Standards Requirement of Homoeopathic Colleges and attached Hospitals) Amendment Regulations, 2019 published in Notification No. 12-15/2012-CCH(Pt.-I) in Gazette of India dated 27th February, 2019.

(ii) The Homoeopathy Central Council (Minimum Standards Requirement of Homoeopathic Colleges and attached Hospitals) Amendment Regulations, 2019 published in Notification No. 12-15/2012-CCH(Pt.-I) in Gazette of India dated 30th April, 2019.

(iii) The Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D.(Hom.) Amendment Regulations, 2019 published in Notification No. 12-11/2010-CCH(Pt.II)(1) in Gazette of India dated 11th February, 2019.

(iv) Notification No. 12-15/2012-CCH(Pt.) published in Gazette of India dated 9th January, 2019, containing corrigendum thereto published in Notification No. 515 in Gazette of India dated 18th December, 2018.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) राष्ट्रीय आरोग्य निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली का वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

BUSINESS OF THE HOUSE

1202 hours

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL):

Hon. Speaker, Sir, I rise to announce that the Government Business during the week commencing Monday, the 1st of July, 2019 will consist of:-

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's Order Paper. [It contains (i) Discussion on Resolution seeking approval for Extension of President's Rule in the State of Jammu and Kashmir for a further period of six months beyond 2nd July, 2019 under Article 356(4) of the Constitution of India; (ii) Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Ordinance, 2019 (Ordinance No. 8 of 2019) and consideration and passing of the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2019; and (iii) Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Ordinance, 2019 (Ordinance No. 9 of 2019) and consideration and passing of the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill, 2019.]
2. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Ordinance, 2019 (Ordinance No. 13 of 2019) and consideration and passing of the

Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Bill, 2019.

3. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2019 (Ordinance No. 5 of 2019) and consideration and passing of the Indian Medical Council (Amendment) Second Bill, 2019.
4. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Ordinance, 2019 (Ordinance No. 4 of 2019) and consideration and passing of the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2019.
5. Consideration and passing of the Dentists (Amendment) Bill, 2019.
6. Presentation of the Union Budget for 2019-20 at 11.00 a.m. on Friday, 5th July, 2019.

Thank you.

माननीय अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे सबमिशन में केवल विषय-वस्तु रखें, इसमें अपना भाषण न दें।

श्रीमती लॉकेट चटर्जी: उपस्थित नहीं।

DR. M.K. VISHNU PRASAD (ARANI): Sir, I would like to make the following submissions for inclusion in the Business to be transacted by the Government in the coming week:-

1. Development of tourist infrastructure at 13th Century Heritage Gingee Fort in Villupuram district of Tamil Nadu to make it a popular tourist place with rail and road connectivity.

2. Construction of a flyover at Kutteri Pattu road intersection in Mailam, near Villupuram NH45 in Tamil Nadu which is a frequent accident spot.

(1205/SM/KDS)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the following two items may be included in the List of Business commencing from 1st July, 2019:-

1. Sea erosion and its evil impact on the livelihood of fishermen in the Kerala coastal area for which a special financial package is required from Government of India to construct sea wall with groynes.
2. Crisis in cashew industry is adversely affecting millions of traditional cashew workers and entrepreneurs for which a special package is required from Government of India.

श्री अजय कुमार (खीरी): माननीय अध्यक्ष जी, मैं अनुरोध करता हूँ कि निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए:-

1. लखीमपुर (खीरी), उत्तर प्रदेश में स्वीकृत दूसरे केन्द्रीय विद्यालय गिदनिया के लिए धन आवंटित करके शीघ्र निर्माण प्रारम्भ करने पर विचार किया जाए।
2. जनपद, लखीमपुर में रेलवे के अमान परिवर्तन के तहत पूर्व से संचालित सभी रेलवे क्रॉसिंग को आवागमन हेतु चालू रखने के लिए अंडरपास, बैरियर या ओवरब्रिज बनाने पर विचार किया जाए।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं अनुरोध करता हूँ कि निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए:-

1. भीलवाड़ा जिला मुख्यालय राजस्थान में लौह खनन के लिए किए जा रहे अवैध विस्फोटों द्वारा हो रहे क्षतिग्रस्त आवासीय भवनों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण करवाए जाएं।

2. देश की प्रमुख मल्टी स्टेट वित्तीय सहकारी संस्था 'आदर्श कॉपरेटिव सोसायटी' के द्वारा निवेशकों की रकम के पुनर्भुगतान पर केन्द्र सरकार द्वारा लगाई गई रोक हटाने बाबत।

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपूर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं अनुरोध करता हूँ कि निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए:-

1. देश में खत्म होते भू-जल संकट से उबरने हेतु विचार एवं कार्य-योजना बनाई जाए।
2. देश भर के मरीजों के बढ़ते हुए भार को देखते हुए एम्स, नई दिल्ली में भूमि एवं भवन की कमी को पूरा करने पर विचार किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री नरेन्द्र कुमार- उपस्थित नहीं।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (आगरा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं अनुरोध करता हूँ कि निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए:-

1. देश में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतग्रहों की कमी एवं पर्याप्त सुविधा न होने के कारण देश में किसानों की बड़ी मात्रा में कच्ची फसलों आलू, प्याज़ अन्य सब्जियों, फलों फूलों का भण्डारण न होने के कारण तथा अन्य उत्पाद ना बन पाने के कारण किसानों की कच्ची फसलों का नष्ट होने एवं संग्रह भंडारण ना होने से लाभकारी मूल्य का न मिल पाना।
2. हानिकारक प्लास्टिक एवं पॉलीथिन के अंधाधुंध उपयोग होने के कारण, खेतों में फसलों का नुकसान, बीमारियों का कारण, नदी-नालों का चोक हो जाना, नदियाँ प्रदूषित होना, जलाये जाने पर प्रदूषण होना, कचरा प्रबंधन सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट ना होना, उसका जनजीवन पर दुष्प्रभाव पड़ना।

माननीय अध्यक्ष : श्री राहुल शेवले- अनुपस्थित।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं अनुरोध करता हूँ कि निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए:-

1 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए लोक महाकाव्य “आल्हा खंड” को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया जाए। विश्व के संभवतः एकमात्र खंड काव्य है जो अभी भी मौखिक रूप में जीवित है और लगभग 1000 वर्षों से बुंदेलखंड सहित देश के विभिन्न भागों में मुख्य रूप से हिंदी भाषी क्षेत्रों में गाया जाता है। यह अपने इतिहास और स्मृति तथा समुदाय की धारणा से जुड़ा हुआ है।

मुख्य रूप से यह बुन्देली भाषा का छन्दबद्ध काव्य है। एक लोक खंड काव्य के रूप में, आल्हा गायन दर्शाता है कि देशभक्ति, बलिदान, सहिष्णुता और सम्मिलन समकालीन दुनिया के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE (HOOGHLY): Sir, kindly include the following matters/issues in the List of Business of next week:-

1. To open new Passport Office in Hooghly for ensuring convenient passport service to the members of the general public.
2. Keeping in view the increasing number of patients, the existing capacity of the hospitals in Hooghly may be augmented by creating infrastructure.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTERS OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, I appeal to the House through you that Item nos. 7, 8 and 9 may be taken together and at the end, we may consider passing them separately.

माननीय अध्यक्ष: अगर सभा की सहमति है, तो आइटम नंबर 7,8,9 चर्चा के लिए एक साथ लिए जाते हैं।

...(व्यवधान)

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Mr. Speaker, Sir, item nos. 8 and 9 are in separate brackets. No. 8 deals with the extension of President's Rule in Jammu and Kashmir and item no. 9 deals with the reservation in Jammu and Kashmir...(*Interruptions*). These are two separate issues. They should not be taken up together. Let the item relating to President's Rule be taken up first and then the Bill should be taken up subsequently.

(1210/MM/AK)

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि चर्चा एक साथ होगी। मत-विभाजन अगर आप चाहते हैं तो अलग-अलग ही होने वाला है। अगर विपक्ष के व्यू दोनों बिलों पर अलग हैं तो मत-विभाजन के वक्त आप उसको व्यक्त कर सकते हैं। सवाल इतना ही है कि समय का बचाव करना। अगर इसमें भी इनको घोर आपत्ति है तो मुझे दोनों पर अलग-अलग चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बार उनको ही सुनना पड़ेगा, यह पहले समझ लें। अच्छा है, एक बार सुन लें।

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Speaker, Sir, the question is not of debate. ...(*Interruptions*) The question is of procedure and process. ...(*Interruptions*) The extension of President's Rule is one category and reservation issue is another category altogether. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस तरह की प्रथा रही है कि सबको एक साथ ले सकते हैं।

माननीय अमित शाह जी।

**STATUTORY RESOLUTION RE: APPROVAL OF PROCLAMATION BY
PRESIDENT IN RELATION TO STATE OF JAMMU AND KASHMIR,
AND
STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF JAMMU AND
KASHMIR RESERVATION (AMENDMENT) ORDINANCE
AND
JAMMU AND KASHMIR RESERVATION (AMENDMENT) BILL**

1211 बजे

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि यह सभा जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 की उद्घोषणा के प्रवर्तन को 3 जुलाई, 2019 से और 6 माह की अवधि के लिए आगे जारी रखने का अनुमोदन करती है।”

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Sir. I beg to move :

“That this House disapproves of the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Ordinance, 2019 (No. 8 of 2019) promulgated by the President on 1 March, 2019.”

श्री अमित शाह: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

माननीय अध्यक्ष जी, आज इस महान सदन के सामने मैं दो प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एक जम्मू-कश्मीर राज्य की स्थिति को देखते हुए वहां जो राष्ट्रपति शासन अभी चल रहा है, उसकी अवधि को 6 माह और बढ़ाने का प्रस्ताव है और दूसरा जम्मू-कश्मीर के

संविधान के सैक्शन 5 और 9 के तहत जो आरक्षण का प्रावधान है, उसमें भी संशोधन करके कुछ और क्षेत्रों को जोड़ने का प्रावधान है।

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं जम्मू-कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने का जो प्रस्ताव लेकर आया हूं, उसके बारे में मैं अपना पक्ष सदन के सामने रखना चाहूंगा।

महोदय, यह बिल जो आज मैं लेकर आया हूं उसका मूल तत्व यह है कि 2 जुलाई से 6 माह तक जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाया जाए। 28 दिसम्बर 2018 को राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन इसी सदन ने किया था और राज्य सभा से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।

महोदय, जब पीडीपी सरकार के पास बहुमत नहीं रह गया था तो जम्मू-कश्मीर संविधान के तहत जब किसी का बहुमत नहीं रहता है तो राज्यपाल महोदय सभी दलों से बात करने के बाद राज्यपाल शासन लागू करते हैं। जब किसी भी दल ने वहां सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया और न ही बहुमत की कोई स्थिति बनी तो राज्यपाल महोदय ने 6 महीने के लिए जम्मू-कश्मीर संविधान के तहत राज्यपाल शासन लागू किया।

21 नवम्बर, 2018 को कुछ सूचनाएं प्राप्त हुईं। विधायकों की खरीद-फरोख्त और हॉर्सट्रेडिंग के मामले भी सामने आने लगे और लम्बे समय तक अस्थिरता थी तो राज्यपाल महोदय ने निर्णय किया कि 21 नवम्बर 2018 को विधान सभा को भंग कर दिया जाए और 21 नवम्बर, 2018 को चुनी हुई विधान सभा को भंग करने का निर्णय राज्यपाल महोदय ने लिया। उसके बाद 9 दिसम्बर, 2018 को राज्यपाल शासन की अवधि समाप्त हो रही थी।

(1215/SJN/SPR)

वहां विधान सभा अस्तित्व में नहीं थी। इसलिए उसे ध्यान में रखकर धारा 356 का उपयोग करते हुए 20 दिसम्बर, 2018 से राष्ट्रपति शासन वहां अमल में है। राष्ट्रपति शासन का समर्थन राज्य सभा ने 3 जनवरी, 2019 में किया है। राज्य सभा से 3 जनवरी, 2019 का जो समर्थन प्राप्त

था, राष्ट्रपति महोदय को जो अधिकार प्राप्त थे, वह छः महीने के बाद, मतलब 2 जुलाई, 2019 को पूर्ण होंगे। इसलिए मैं यह प्रस्ताव लेकर सदन के सामने उपस्थित हुआ हूँ कि छः माह के लिए राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी राज्य में विधान सभा का अस्तित्व नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, चुनाव आयोग ने भी इसके पहले जम्मू-कश्मीर प्रशासन, भारत सरकार, सभी राजनीतिक दलों से बात करके और वहाँ की कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखकर, इस दरमियान आने वाले कुछ त्यौहार जैसे रमजान आया और अभी अमरनाथ यात्रा आएगी, इन सब चीजों को संज्ञान में लेते हुए चुनाव आयोग ने भी निर्णय किया है कि इस साल के अंत में वहाँ चुनाव कराए जाएंगे। इसको केन्द्र सरकार को सूचित कर दिया...(व्यवधान) आपको बोलने का मौका मिलेगा। आप तसल्ली से बोलिएगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। न मैं टोका-टाकी करूँगा और मेरी यह अपेक्षा है कि न आप टोका-टाकी करें। यह महत्वपूर्ण विषय है, देश की जनता के सामने आपके और हमारे दोनों के विचार पहुंच जाएं, यह बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि क्या चल रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, 7 मई से 4 जून तक रमजान का पवित्र महीना था। 30 जून से 15 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा होनी है। जिनकी 10 प्रतिशत आबादी है, ऐसे गुर्जर बकरवाल समुदाय जो पहाड़ियों पर चला जाता है, वह लगभग-लगभग अक्टूबर के बाद ही वापस आता है। इसलिए इस समय के दौरान चुनाव कराना उचित भी नहीं था, उपयुक्त भी नहीं था और संभव भी नहीं था। इसलिए चुनाव आयोग ने इस वर्ष के अंत में चुनाव कराने का फैसला लिया है। उसकी तिथि अभी चुनाव आयोग ने सूचित नहीं की है। वहाँ पर विधान मंडल नहीं है, राष्ट्रपति महोदय को छः महीने से ज्यादा का अधिकार इन दोनों सदनों ने नहीं दिया है। इसलिए यह अत्यंत जरूरी हो गया है कि राष्ट्रपति शासन की कालावधि को बढ़ाया जाए। जब तक छः महीने की कालावधि बढ़ेगी, मैं आशा करता हूँ कि वहाँ पर भी चुनाव हो जाएंगे। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कश्मीर में कई दशकों से इन महीनों में चुनाव नहीं हुए हैं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर राज्य की विशिष्ट परिस्थितियाँ होती हैं। हर बार तीन दशकों से इन महीनों के अंदर वहाँ पर चुनाव नहीं हुए हैं। यह पहली बार नहीं है कि जम्मू-कश्मीर राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणियाँ अभी इस बारे

में नहीं करना चाहता हूँ। सभी सदस्यों को सुनने के बाद अगर कोई टिप्पणी होगी, तो मैं जवाब जरूर दूंगा। मगर सात बार राज्यपाल शासन लगा है। दो बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। कई बार ऐसी भी स्थितियां हो गई हैं कि राष्ट्रपति शासन के लिए कानून के अंदर संशोधन कराना पड़ा है। छः साल तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव नहीं कराए गए थे।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति महोदय के शासन में और राज्यपाल महोदय के शासन में करीब-करीब एक साल की अवधि के अंदर जम्मू और कश्मीर में बहुत समय के बाद पहली बार आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार यार किया गया। देश के रक्षा मंत्री और तत्कालीन गृह मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। एक साल के अंदर आतंकवाद को जड़ों से उखाड़ने के लिए, उनकी जड़ों को हिलाने के लिए और उनके सभी तरह के तौर-तरीकों को नसीहत देने के लिए इस सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं बाद में इस पर डिटेल में बात करूंगा। जहां तक विकास का सवाल है, कई सालों से पंचायत के चुनाव नहीं कराए जाते थे। संविधान संशोधन 73 और 74 हो गया था, मगर जम्मू-कश्मीर के लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता था। इसी एक साल के अंदर पंचायत के चुनाव कराए गए हैं। 4,000 पंचायतों में 40,000 सरपंच आज जनता की सेवा कर रहे हैं।

(1220/GG/UB)

महोदय, इतना ही नहीं 3700 करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर के पंचों, सरपंचों और ग्राम पंचायतों का अधिकार था, सीधे उनके हाथ में जाए, वह पहुंचता नहीं था, उसमें से 700 करोड़ रुपये आज सीधे पंचायत के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने किया है। महोदय, इसका सर्टिफिकेट आने के बाद तुरंत ही और तीन हजार करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर की चार हजार पंचायतों को हम देने के लिए तैयार बैठे हैं। वहां के पंच-सरपंच भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कल मैं उनको मिल कर आया हूँ। वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।

महोदय, एक बात मैं सदन को विशेष रूप से बताना चाहूंगा, पक्ष-विपक्ष दोनों को इससे आनंद होगा कि कई बार जम्मू-कश्मीर में हमने रक्त रंजित चुनाव देखे हैं। सबके मन को दुख होता था, दिल में मलाल होता था कि चुनाव के अन्दर रक्त क्यों धरती पर बहाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, 40 हजार पदों के लिए चुनाव हुआ, लेकिन एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। लोक सभा का चुनाव हुआ। जम्मू-कश्मीर के हर मतदाता ने वोट डाला। अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मत प्रतिशत भी बढ़े हैं और हिंसा भी नहीं हुई है। यही दर्शाता है कि स्थिति और लॉ एण्ड ऑर्डर सरकार के कंट्रोल में है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक विकास का सवाल है, ढेर सारे नए इनिशिएटिव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिए हैं। पहली बार जम्मू-कश्मीर की जनता यह महसूस कर रही है कि जम्मू और लद्दाख, ये भी जम्मू-कश्मीर राज्य के ही हिस्से हैं। क्षेत्रीय संतुलन को नहीं संभाला जाता था। मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं आंकड़ों के साथ इसको सिद्ध कर सकता हूँ। जम्मू और लद्दाख के क्षेत्र की अवज्ञा की जाती थी। हमने अवज्ञा किसी की नहीं की। किसी का अधिकार नहीं छीना है। मगर जिसका अधिकार था, उसका अधिकार उसको पहुंचाने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने ही किया है और पहली बार किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, इसके कारण जम्मू क्षेत्र के अन्दर, लद्दाख क्षेत्र के अंदर पहली बार जनता संतोष का अनुभव कर रही है। वर्षों से लंबित कोई भी मसले थे, मैं देश के प्रधान मंत्री और तत्कालीन गृह मंत्री जी को सदन में रिकार्ड पर अभिनन्दन देना चाहता हूँ कि पहली बार एक साल के अन्दर इन सभी मसलों को एड्रेस किया गया और ज्यादातर मसलों को निपटा दिया गया।

जम्मू-कश्मीर से, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आए हुए जो शरणार्थी थे, उनका मसला हो, पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी थे, उनका मसला हो, उनके स्टेट सब्जेक्ट का मसला हो, हर विषय के अन्दर इनिशिएटिव लेने का काम इस राष्ट्रपति शासन के दौरान हुआ है।

महोदय, बंकर नहीं बनते थे, जानें चली जाती थीं, मवेशी मारे जाते थे, पशुधन मारा जाता था और कोई भी मुआवज़ा नहीं मिलता था। अब 50 हजार रुपये एक भैंस मारे जाने पर और संख्या

सीमित किए बगैर देने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार के दरम्यान हुआ है और राष्ट्रपति शासन में, राज्यपाल शासन में वह कंटीन्यू हुआ है। लगभग 15 हजार बंकर्स बनाने का फैसला हुआ है। हमारे लिए सीमा पर रहने वाले एक-एक व्यक्ति की जान अमूल्य है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। इसके लिए पैसों का विचार नहीं किया जाना चाहिए। अध्यक्ष जी, 15 हजार बंकर्स बनाने की बात थी, उनमें से 4400 बंकर्स बन चुके हैं। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो समय-सारणी श्रीमान् राजनाथ सिंह जी तय कर के गए हैं, वह समय-सारणी एक भी दिन लेट किए बगैर 15 के 15 हजार बंकर्स बना दिए जाएंगे।

महोदय, मेरा इतना ही कहना है कि करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। सदन के सभी सदस्य जब इस पर बोलेंगे तब मैं इसके जवाब में काफी सारी बातें बताऊंगा। मगर मैं इतना स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र बहाल रहे, यह भारतीय जनता पार्टी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें हम ज़रा भी लीपा-पोती नहीं करना चाहते हैं। जम्मू-कश्मीर के अंदर शांति बहाल रहे, कानून का शासन बहाल रहे और आतंकवादियों को जड़ समेत उखाड़ने के लिए कार्यवाही हो, इसके लिए भी यह सरकार कटिबद्ध है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों से अपील करना चाहता हूँ कि मैं जो प्रस्ताव ले कर आया हूँ, उसमें पक्ष-विपक्ष से ऊपर उठ कर जम्मू-कश्मीर की जनता के लिए, सरहदी राज्य है, पड़ोसी देश से जमीनी सीमा सटी हुई है, देश की सुरक्षा के मुद्दों के लिए, वहां की जनता के कल्याण के लिए इस प्रस्ताव का समर्थन करें। यह सदन छः महीने के लिए राष्ट्रपति शासन को शक्ति प्रदान करे।

(1225/KN/KMR)

महोदय, मैं दूसरा प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मैं जम्मू-कश्मीर के संविधान के सैक्शन 5 और 9 के तहत जो आरक्षण का प्रावधान है, उसमें थोड़ा बदलाव करके कुछ नए सूत्रों को जोड़ने का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। महोदय, जम्मू-कश्मीर आरक्षण कानून, 2004 के तहत 43 परसेंट वर्टिकल आरक्षण का प्रावधान जम्मू-कश्मीर के संविधान के अंदर हुआ है, जिसमें अनुसूचित जातियों को 8 परसेंट, अनुसूचित जनजातियों को 10 प्रतिशत, पिछले इलाकों में रहने वाले लोगों को 20 प्रतिशत और

कमजोर, निर्धन लोगों को 2 प्रतिशत और नियंत्रण रेखा से लगे हुए क्षेत्रों के निवासियों के लिए 3 प्रतिशत में आज जो प्रस्ताव लेकर आया हूँ कि वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों के निवासियों के लिए जो 3 परसेंट आरक्षण है, उसके अंदर उस 3 परसेंट के अंतर्गत ही इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक रहने वाले लोगों को भी इस आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। यह प्रस्ताव लेकर आया हूँ।

महोदय, इसका कारण है, चाहे एल.ओ.सी. हो, चाहे एल.ए.सी. हो, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, तीनों सीमाओं पर जो गाँव बसे हैं, उनकी हार्डशिप्स एक समान है। तीनों के उस ओर पाकिस्तान का कब्जे वाला कश्मीर या पाकिस्तान है। वे गोलाबारी करते हैं, सीजफायर का बार-बार उल्लंघन करते हैं, जब शैल यहाँ पर आते हैं तो यहाँ काफी नुकसान होता है। इससे बच्चों को अपनी पढ़ाई-लिखाई जारी रखने में बड़ी दिक्कत आती है। यह आरक्षण किसी को प्लीज करने के लिए नहीं है, मगर सदन को संवेदना के साथ इस बात पर विचार करना चाहिए, जब शैलिंग होती है, माह-माह तक, कई दिनों तक बच्चों को शैल्टर हाउस में रहना पड़ता है। स्कूल बंद हो जाते हैं। शालाएँ कई महीने तक चलती नहीं हैं। उनमें आई.क्यू. होने के बावजूद, इंटेलिजेंसी होने के बावजूद उसके मार्क लाने की क्षमता प्रभावित होती है, इसलिए उनको यह रिजर्वेशन दिया जाता है। जब कानून बना तब एल.ओ.सी. के लोगों को भी मिलना चाहिए, एल.ए.सी. के लोगों को भी मिलना चाहिए, मगर इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो गाँव हैं, वे शायद उसमें छूट गए हैं। उसका विचार नहीं किया गया था।

राज्यपाल महोदय ने यहाँ पर प्रस्ताव भेजा है कि अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी जो गाँव बसे हुए हैं, उनको भी इस आरक्षण का फायदा देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में नया कानून या कानून में संशोधन करने का विधान मंडल का जो अधिकार है, वह संसद में निहित है। इसलिए इस प्रस्ताव को मैं लेकर आया हूँ।

महोदय, इससे जम्मू क्षेत्र के करीब-करीब साढ़े तीन लाख नागरिकों को फायदा होगा। कठुआ, सांबा और जम्मू जिले के लोगों को फायदा होगा। कठुआ के 70 गाँव, सांबा के 133 गाँव और जिला जम्मू के 232 गाँव को इसका फायदा होगा। साढ़े तीन लाख लोगों की आबादी, पाकिस्तान के साथ

जब कभी भी सीज़फायर का उल्लंघन होता है, इसको झेल रही है। उनके बच्चों को जो इसके कारण नुकसान होता है, शायद इस आरक्षण से उस नुकसान की कुछ भरपाई हम कर पाएं। इतने उम्दा आशय के साथ मैं इस प्रस्ताव को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपके माध्यम से सदन से विनती करता हूँ कि इस प्रस्ताव को जम्मू-कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले बच्चों के लाभ के लिए इसका भी अनुमोदन करे और आरक्षण के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर के बच्चों को भी समाहित किया जाए। इतना निवेदन करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

“कि यह सभा जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी दिनांक 19 दिसंबर, 2018 की उद्घोषणा के प्रवर्तन को 3 जुलाई, 2019 से और 6 माह की अवधि के लिए आगे जारी रखने का अनुमोदन करती है।”

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 1 मार्च, 2019 को प्रख्यायित जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्याक 8) का निरनुमोदन करती है।”

“कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

1229 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, thank you very much for giving me this opportunity to move the Resolution as well as speak on the Bill seeking extension of President's Rule in the State of Jammu and Kashmir.

Sir, I strongly oppose the Statutory Resolution moved by the hon. Home Minister seeking the extension of President's Rule in the State of Jammu and Kashmir for a further period of six months with effect from 3rd July, 2019. Also, I would like to say in this august House that when I move the Statutory Resolution seeking the disapproval of the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Ordinance, I would like to support the contents of the Bill moved by the hon. Home Minister.

(1230/SNT/CS)

That is because the content of the Bill is in favour of the poor people who are living in the adjoining areas of international border of Jammu & Kashmir. Therefore, I fully support the Bill but I strongly oppose the Ordinance route of legislation because it is lacking a *bonafide* intent. It is just for the political motives that this Ordinance has been issued.

Sir, we are all talking about Jammu & Kashmir. We all have a sentimental attachment to the State of Jammu & Kashmir. All of us, we are always speaking and we are proud enough to say that Kashmir is an integral part of our country. We are all proud to say that. We will reiterate it. But when we say that it is an integral part of India, most of the times we are only concerned about the geographical integrity not the demographic integrity of Jammu & Kashmir. We

always talk about Kashmir and trying to protect the territory but not trying to protect the people of Jammu & Kashmir. That is the basic issue which I would like to highlight.

Sir, the Kashmir issue has always been seen as a border dispute, land dispute or a territory issue in spite of having so many ramifications. The main question to be considered by this august House is that it is a question of our attitude towards the Kashmir issue.

Sir, my suggestion is that a paradigm shift in our attitude towards Kashmir is required to win the confidence of the people of Jammu & Kashmir. I appeal to the whole House that Jammu & Kashmir issue or the issues pertaining to Jammu & Kashmir shall never be taken as an issue to just achieve the narrow political gains. It should be taken in a wider sense so as to protect the interest of the people of Jammu & Kashmir.

Sir, the Government at the Centre and the then State Government of Jammu & Kashmir led by the former Chief Minister of PDP-BJP coalition government, have miserably failed in handling the issue of Kashmir or in winning the confidence of the people of Kashmir. We want peace and social harmony in Kashmir, not threat, tension and violence; in order to achieve this, we have to win the confidence of the people. That is the main point which I would like to make.

Sir, is the Statutory Resolution moved by the hon. Home Minister as well as the Bill moved by the hon. Home Minister sufficient to win the confidence of the people? That is a point which I would like to elaborate.

Sir, regarding the Jammu & Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2019, I have already said that it is a long pending demand of the people of Jammu & Kashmir. I fully agree with it but kindly see the Ordinance route of legislation.

Article 123(1) gives the right to the Executive to promulgate an Ordinance only in extraordinary or compelling circumstances in which there is no other option and there is urgency, exigency or emergency. Then only the Government has the right to promulgate an Ordinance under Article 123(1).

Here, the Ordinance is issued on 1st March, 2019 and the Election Notification has come on 10th March, 2019. Sir, this Act is Act of 2004. The long pending demand of the people who are living adjoining to the international border, they were demanding for this right but unfortunately, that right has not been conceded to them. It has been given in the month of March which means it is just to achieve the narrow political gains. The NDA Government is in power for the last five years but it has been given in the month of March.

It is quite unfortunate to note that in the last five years the Government had not shown any legitimate interest in protecting the interests of the people who are living in areas adjoining the international border. No reservation has been given. Nothing has been given. One fine morning, in the month of March, an Ordinance has been promulgated to give this right to the people of Jammu & Kashmir. In order to achieve political gains in the 17th Lok Sabha Elections, this Ordinance has been promulgated. Therefore, I strongly oppose the issuance of the Ordinance.

Under section 2(o), which mentions socially and educationally backward classes, a new word is also added, that is, 'a person residing adjoining the international border along the Line of Actual Control'. I am fully supporting it so that the Bill can be passed but I am opposing the Ordinance route of legislation. (1235/GM/RV)

It may be kindly seen that the Presidential Proclamation under article 356 was made on 19th December 2018 on the ground that the State Government of Jammu and Kashmir cannot carry on in accordance with the provisions of the Constitution of India and the Constitution of Jammu and Kashmir as applicable to the State. This is the first time since 1996 that the President has imposed direct Central Rule. The hon. Minister has already stated this. What is the reason for the imposition of the Central rule under article 356? It was proclaimed that it was due to political crisis in the month of June when BJP withdrew its support to the PDP-BJP coalition Government led by Mehbooba Mufti. The Proclamation was issued on the basis of the report of the Governor. What are the real facts? When the BJP withdrew the support to the coalition Government, the Congress Party and the National Conference extended support to the PDP and they staked their claim to form an alternative Government. Without giving an opportunity to form an alternative Government, the Governor on 21st November dissolved the 87-member State Legislative Assembly and the right to form an alternative Government was not given. Is it a democratic process? When a coalition has already staked its claim to form a Government in the State of Jammu and Kashmir, an opportunity should have been given to that coalition. Unfortunately,

no opportunity was given and the Legislative Assembly was dissolved citing horse-trading and lack of stability to form a Government. It was an unfortunate and arbitrary decision of the Governor to dissolve the Assembly. Instead of providing a chance to form a Government and to prove the majority on the floor of the House, the Assembly was dissolved unilaterally. It is undemocratic, unilateral and arbitrary.

Hon. Speaker, Sir, you may be well aware of Rule 178. I am only moving the Resolution and I have the right to speak on the Resolution. Please bear with me for three or four minutes. Until 1994, the President had an absolute and unfettered power to impose article 356 in any State which is experiencing any political unrest. But in the S.R. Bommai Case in 1994, the hon. Supreme Court passed stringent guidelines for issuing Proclamation under article 356 and held that the President is not beyond the Constitution; hence he will not enjoy the absolute authority to impose article 356. Sir, the Proclamation of the President imposing President's Rule in Jammu and Kashmir in no way complied with the guidelines issued in the S.R. Bommai Case by the Constitution Bench of the Supreme Court. There was a chance of formation of an alternative Government. Unfortunately, that was not done. Hence, the Proclamation under article 356 dated 19th December 2018 is undemocratic, un-constitutional and against the spirit of the judgement of the Supreme Court in S.R. Bommai case.

Why is there a delay in holding Assembly elections in the State of Jammu and Kashmir? The Election Commission is there. The Parliament elections in Jammu and Kashmir have been conducted in a smooth and peaceful way. Why

can we not have the simultaneous elections to the Parliament and the Assembly? Even the hon. Prime Minister convened a meeting of the Presidents of all the political parties and the main focus of discussion was simultaneous elections to Parliament and the Legislative Assemblies. Why are you not able to have a combined election in the State of Jammu and Kashmir? If you can have the Parliament election in a smooth and peaceful way, what obstructs the Election Commission or the authorities concerned in holding the elections in the State of Jammu and Kashmir? So many reasons have already been cited. I am not going into the details of it. Ramzan, Amarnath yatra, tourist reason and the Bakarwal migration are there. Are these genuine and reasonable grounds for postponing the elections, when you can have the Lok Sabha elections in a peaceful way? This cannot go beyond three years because the Constitution is also there. The Election Commission is also not able to hold the elections because of the security reasons. If the security can be provided at the time of voting for Parliament elections, the same security could be there for Assembly elections. A voter who is voting in the Lok Sabha elections is voting in the Assembly election also. The security provided at the polling booth is the same. Why are you not holding the Legislative Assembly elections? The Presidential governance is already there.

(1240/RSG/MY)

As per Article 356, even Fundamental Rights can be curtailed; so far, it has not been done. That is my point. This is absolutely a misuse of Article 356. It is even an abuse of the provisions of the Constitution. This cannot be

accepted. So, my suggestion is this. If you are going to extend it for a further period of six months from 3rd July, it means you are not going to hold elections. June is already complete. In the next six months, other reasons may come up. It is also being heard that delimitation is going to take place in the State of Jammu and Kashmir so that the number of seats could be increased. So, the election would produce a different result.

The security reason is not a sufficient reason to postpone the Assembly elections. If you could have the Parliament election, definitely you could have had simultaneous election to the Legislative Assembly. You can bring a popular and democratic Government. That is the point of my opening statement. Please do not play politics out of the Jammu and Kashmir issue. This may please be taken in a wider sense and national spirit.

Once again, I would like to support the contents of the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill because it is providing benefits to more than three lakh people of Jammu and Kashmir who are living and suffering in the adjoining areas of the international border, along the line of actual control. They have been provided reservation. I appreciate and admire the Government for that but at the same time I strongly oppose the Ordinance route of legislation so as to get political benefit out of Article 123(1).

With these words, I conclude. Thank you very much.

(ends)

1241

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Mr. Speaker, Sir, I rise to oppose the Statutory Resolution moved by the hon. Home Minister asking for an extension of President's Rule in Jammu and Kashmir by six months. I also rise to speak – and I make that distinction – on the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2019. जब माननीय गृह मंत्री अपना वक्तव्य रख रहे थे तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही। अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसके ऊपर चर्चा दलगत राजनीति, दलगत सियासत से ऊपर उठकर होनी चाहिए।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी और इस सदन को यह बताना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर क्यों एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए हमको वापस वर्ष 1947 में जाना पड़ेगा। जब भारत का बंटवारा हुआ और जिन लोगों ने उसका संताप भोगा है, वे उसे बंटवारा नहीं कहते, वे उसे उजाड़ा कहते हैं। जब यह विभाजन हुआ और लाखों-लाख लोग विस्थापित हुए तो उस विभाजन से दो मुल्क निकले, एक इस्लामिक पाकिस्तान और दूसरा, धर्मनिरपेक्ष भारत ... (व्यवधान) भारत शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में है। माननीय गृह मंत्री जी ने यह कहा था कि... (व्यवधान) आप टोका-टोकी मत कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, थोड़ा धैर्य से सुनिए।

अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि दो मुल्क निकले, एक इस्लामिक पाकिस्तान और दूसरा, धर्मनिरपेक्ष भारत। जम्मू-कश्मीर में मुसलमान समुदाय के लोग ज्यादा थे, उन्होंने पाकिस्तान जाना मुनासिब नहीं समझा। भारत की जो धर्मनिरपेक्ष सोच थी, उस धर्मनिरपेक्ष सोच के साथ उन्होंने अपने-आप को शामिल करने का निर्णय किया। इसके लिए जम्मू-कश्मीर भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज जो परिस्थितियाँ जम्मू-कश्मीर में

उत्पन्न हुई हैं, जिनके कारण राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ानी जरूरी समझी गई, उसको भी एक परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा-सा इतिहास में पीछे जाएं।

(1245/CP/RK)

मुझे वर्ष 1990 याद आ रहा है। भारत में तब स्वर्गीय प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी। उस सरकार को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। उस सरकार को कुछ हमारे वामपंथी साथियों का समर्थन था। वह समय था, जब जम्मू-कश्मीर की परिस्थिति बिगड़नी शुरू हुई। मुझे अभी भी याद है, मैं छात्र आन्दोलन से जुड़ा हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का नेतृत्व करता था। इसी सदन में जो विपक्ष के नेता थे, भारत के मरहूम प्रधान मंत्री श्री राजीव गाँधी, उन्होंने निरन्तर सरकार को चुनौती दी कि जम्मू-कश्मीर की परिस्थितियाँ खराब हो रही हैं, आप इन परिस्थितियों को संभालने की कोशिश कीजिए, लेकिन परिस्थितियाँ नहीं संभलीं और जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लग गया।

गृह मंत्री जी ने जिक्र किया कि छः साल तक वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा रहा। मैं माननीय गृह मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वह परिस्थिति भी ... (व्यवधान) अरे, सुनने की क्षमता रखिए। गृह मंत्री जी ने कहा कि छः साल तक राष्ट्रपति शासन रहा। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि अगर जम्मू-कश्मीर में परिस्थितियाँ बिगड़ीं या उससे पहले पंजाब में परिस्थितियाँ बिगड़ीं, उसके लिए न जम्मू-कश्मीर के लोग जिम्मेदार थे, न पंजाब के लोग जिम्मेदार थे। उसके लिए जिम्मेदार था हमारा पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान, जिसे दो हिस्सों में हमने वर्ष 1971 में विभाजित किया था। पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके एक सरकार ने, श्रीमती इंदिरा गाँधी की सरकार ने बांग्लादेश का निर्माण किया था। वह कारण था कि पाकिस्तान ने पहले पंजाब में हस्तक्षेप करना शुरू किया, उसके बाद कश्मीर में हस्तक्षेप करना शुरू किया और अगर परिस्थितियाँ उन दोनों प्रदेशों में बिगड़ीं, तो उसकी सीधी-सीधी जिम्मेदारी पाकिस्तान की बनती थी। वर्ष 1991 में जब कांग्रेस की सरकार बनी और यह कांग्रेस की सरकार थी, जिसने परिस्थिति को संभाला। वर्ष 1996 में जम्मू-कश्मीर में आम चुनाव हुए। आम चुनाव में नेशनल काँग्रेस की सरकार

बनी और वह सरकार छः साल तक चली। वर्ष 1996 से लेकर वर्ष 2002 तक, ...(व्यवधान) आपने नहीं कराए थे, देवगौड़ा जी ने कराए थे, अगर आप सुनना चाहते हैं तो। ...(व्यवधान) आपको अपनी थोड़ी सी जानकारी ठीक करने की जरूरत है।

वर्ष 1996 में जम्मू-कश्मीर में चुनाव हुए। नेशनल कांफ्रेंस की सरकार बनी और वर्ष 2002 तक वह सरकार चली। वर्ष 2002 में जम्मू-कश्मीर में फिर दोबारा चुनाव हुए और वहाँ की जो परिस्थितियाँ थीं, वे सामान्य होनी शुरू हो गईं, अनुकूल बननी शुरू हो गईं। पीडीपी, कांग्रेस गठबंधन की सरकार वर्ष 2002 में जम्मू-कश्मीर में बनी।

मुझे अभी भी अप्रैल, 2003 याद है, उस समय भारत के प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अप्रैल, 2003 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी श्रीनगर गए और उन्होंने श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में खड़े होकर यह बात कही कि कश्मीरी लोगों के साथ इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत के दायरे में बात हो। एक बड़ा दिल भारत के प्रधान मंत्री ने दिखाया। उसके बाद एक चर्चा शुरू हुई। वह चर्चा सिर्फ कश्मीर के लोगों के साथ शुरू नहीं हुई थी। अगर मेरी जानकारी सही है, तो उस चर्चा में हिजबुल मुजाहिदीन के उस समय जो डिप्टी कमांडर थे, अगर मेरी याददाश्त ठीक है, तो शायद अब्दुल मज़ीद डार उनका नाम था, उनको पाकिस्तान से सेफ पैसेज देकर बुलाया गया और उनके साथ भारत की सरकार ने बातचीत की। उसके बाद केन्द्र में यूपीए की सरकार बनी और जो पहल एनडीए, भाजपा की सरकार ने की थी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, उस पहल को डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार ने आगे बढ़ाया।

(1250/NK/PS)

वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2008 तक जम्मू-कश्मीर में सुनहरा दौर था। जब आतंकवादी गतिविधियाँ कम हुईं, जन-जीवन सामान्य और सही हुआ। जम्मू और कश्मीर में डर, भय और आतंक का वातावरण था, उसको डॉ. मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार कम करने में सफल हुई। वर्ष 2008 में जरूर परिस्थितियाँ थोड़ी सी बिगड़ी। उसके बाद फिर जम्मू-कश्मीर में आम चुनाव हुआ। जिस आम चुनाव के बाद फिर एनसी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी। उस सरकार ने जम्मू-कश्मीर

को वर्ष 2014 तक एक पारदर्शी, अकाउन्टेबल और अच्छा शासन दिया। मेरा इतिहास बताने का तात्पर्य यह है कि जब हमने वर्ष 2014 में देश की बागडोर छोड़ी, यहां पर एनडीए की भाजपा सरकार बनी और जम्मू-कश्मीर में चुनाव हुआ। उस चुनाव में 64 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। एक सामान्य प्रदेश, एक स्टैबल प्रदेश और एक प्रगतिशील प्रदेश हमने आपको सौंपा था। उसके बाद जम्मू-कश्मीर में चुनाव हुआ, चुनाव का नतीजा कुछ ऐसा नहीं आया कि किसी पार्टी की अकेले सरकार न बन सके। कुछ समय तक वहां राष्ट्रपति शासन रहा। उसके बाद भाजपा ने पीडीपी के साथ मिल कर सरकार बनाई। मैं बहुत दुःख के साथ कहना चाहता हूं, मुझे ये बात कहते हुए खुशी नहीं हो रही है But unfortunately, it was an alliance of ideologically incompatible people. अगर आज जम्मू-कश्मीर की परिस्थिति ऐसी है कि हमको राष्ट्रपति शासन हर छह महीने में बढ़ाना पड़ रहा है। उसकी जड़ें, भाजपा और पीडीपी का वर्ष 2015 में जो एलायंस हुआ था, उस गठबंधन में है। वर्ष 2015 से लेकर 2018 तक जम्मू-कश्मीर की परिस्थितियां बिगड़ी, आतंकवादी हमले बढ़े, निर्दोष लोगों की जानें गईं ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि इस विषय पर दोनों पक्षों से कोई भी किसी तरह का व्यवधान पैदा नहीं करें।

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ट्रेजरी बेंच की तरफ से कोई भी व्यक्ति एक मिनट के लिए भी एक शब्द की टोका-टाकी नहीं करेगा, मगर जब मैं जवाब दूं तब विपक्ष को भी इतनी ही शांति से सुनना चाहिए।

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): माननीय गृह मंत्री जी, अगर जम्मू-कश्मीर के ऊपर आप कोई इनलाइटन नीति पश्रू करेंगे, हम जरूर उसका समर्थन करेंगे। हमारा समर्थन इनलाटन नीति के साथ रहेगा।

श्री अमित शाह : अध्यक्ष महोदय, टोका-टोकी नहीं करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : कोई टोका टाकी नहीं करेंगे। माननीय अधीर रंजन जी ।

श्री अमित शाह : टोका टोकी नहीं करेंगे। आप इसका समर्थन कर दीजिए। हमारी ओर से कोई टोका टोकी नहीं करेगा, एक शब्द नहीं बोला जाएगा। अध्यक्ष महोदय को संसद के संचालन के लिए ऐसा वातावरण देना है।

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): माननीय गृह मंत्री जी, हम टोका टोकी में विश्वास नहीं रखते, जैसे ही कोई सच बात कही जाती है, जिस तरह का रिएक्शन आपकी तरफ से आता है, वह अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है।

श्री अमित शाह : अब नहीं होगा मनीष जी, लेकिन जब मैं सच बात कहूं तब वहां से टोका टोकी नहीं होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न बन गया है।

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताने की कोशिश कर रहा था कि आज अगर परिस्थितियां इस दौर के ऊपर पहुंची हैं कि राष्ट्रपति शासन बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है तो उसकी जो नींव है, वह वर्ष 2015 में बीजेपी और पीडीपी का जम्मू-कश्मीर में हुआ गठबंधन था। उसकी नींव उस समय रखी गई थी।

(1255/SK/RC)

वर्ष 2015 से 2018 तक जम्मू-कश्मीर में परिस्थितियां बिगड़ीं, नौजवान लोग सड़कों पर आए, बेगुनाह लोग मारे गए।

हमारा आपसे बिल्कुल कोई मतभेद नहीं है, जहां तक आतंकवाद का सवाल है, आप आतंकवाद से सख्ती से निपटिए, आप आतंकवादियों को नस्तनाबूत कीजिए। मैं खुद आतंकवाद का भुक्तभोगी हूं। मेरे पिताजी को आतंकवादियों ने शहीद किया था। मैं जानता हूं कि आतंकवाद का संताप अपने शरीर पर भोगना कितना मुश्किल और कितना कठिन होता है और उन परिवारों के साथ क्या होता है? अगर आपकी कोई कठोर नीति आतंकवाद के खिलाफ है तो हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन उसके साथ यह ध्यान रखने की जरूरत है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब लोग आपके साथ रहें।

मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, जब पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ जंग चल रही थी, वर्ष 1992 में फैसला हुआ कि पंजाब में विधान सभा के चुनाव कराए जाएंगे और एक पापुलर सरकार को बहाल कराया

जाएगा। अगर आतंकवाद पर नकेल डालने का पंजाब में मोड़ आया तो वह 1 वर्ष 992 का विधान सभा का चुनाव था। इसके बाद कांग्रेस की सरकार तीन साल केंद्र में थी, कांग्रेस सरकार राज्य में थी। तीन साल में आतंकवाद समाप्त कर दिया गया और आज भगवान का बहुत शुक्र है कि वर्ष 1995 के बाद कोई बड़ी आतंकवाद की घटना पंजाब में पिछले इतने सालों से नहीं हुई।

मेरा यह उदाहरण देने का मतलब था कि यह देश के हित में नहीं है, यह भारत के हित में नहीं है कि जम्मू-कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार न हो। अगर एक चुनी हुई सरकार वहां होगी तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने और सैपरेटिस्ट ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में देश को मजबूती मिलेगी, देश में कमजोरी नहीं आएगी।

मेरे से पहले जो साथी बोल रहे थे, मैं उनकी बात का समर्थन करना चाहता हूं। अगर जम्मू-कश्मीर में लोकसभा के चुनाव करा सकते हैं और लोकसभा के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हो सकते हैं तो वहां विधान सभा के चुनाव साथ में क्यों नहीं करवाए जाते? आज भी ऐसी क्यों जरूरत पड़ी कि राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ानी पड़ी और वहां आम चुनाव नहीं कराए गए।

मैं इसलिए यह बात कहना चाहता हूं कि जो चुनौती पश्चिमी पड़ोसी से है, वह खत्म नहीं होने वाली है, यह लंबी लड़ाई है। इस पर आम सहमति बनाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उन प्रदेशों में जहां आपको यह लड़ाई लड़नी है, चाहे वह जम्मू-कश्मीर हो या भारत का कोई और प्रदेश हो, बहुत जरूरी है कि वहां जो आवाम है, वहां की जो जनता है, उसे अपने साथ रखे, उसे एलिएनेट न कीजिए। पिछले तीन साल में अगर सबसे बड़ी गुस्ताखी या सबसे बड़ी भूल इस सरकार से हुई है, मैं यह इस सरकार को इसलिए कह रहा हूं कि पिछले पांच साल यही सरकार सत्ता में थी, it is the sense of alienation of the people of Jammu and Kashmir which has unfortunately increased to an extent where I fear that the Government will have to walk that extra two miles in order to integrate them back into the national mainstream. हम आज राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के प्रस्ताव को विरोध कर रहे हैं।

जहां तक उस विधेयक का सवाल है जो आरक्षण देता है, देखिए, हमें उस विधेयक की स्पिरिट से कोई आपत्ति नहीं है। We have no objections to the spirit of the Bill. जिस चीज पर हमें आपत्ति है वह जम्मू-कश्मीर विधान सभा के अधिकार क्षेत्र का विषय है। बेहतर यह होता कि आप वहां विधान सभा चुनाव कराते।

(1300/MK/SNB)

वहां पर लोगों द्वारा चुनी गई एक सरकार बनती और विधान सभा में चर्चा होकर यह जो विधेयक है, यह वहां पर पारित होता। मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं। हम समझते हैं। मैं भी एक सरहद के राज्य से आता हूं। हम समझते हैं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर या इंटरनेशनल बार्डर पर लोग रहते हैं उनकी परिस्थितियां किस तरह की बनती है जब दूसरी तरफ से शैलिंग होती है। इसलिए अगर सरकार उनको आरक्षण देना चाहती है तो उसके ऊपर हमें बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। पर हां, आपत्ति जरूर इस बात पर है कि किस तरह से वह आरक्षण दिया जा रहा है। मैं एक बार फिर से आपके माध्यम से क्योंकि सत्रहवीं लोक सभा का यह पहला सत्र है। मैं सरकार से एक विनती करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का मामला, जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील राज्य रहा है और इसको विचारात्मक और दलगत राजनीति से अगर ऊपर उठकर आपकी सरकार देखेगी तो आपकी सरकार भारत के लिए, भारत हित में एक बड़ा काम करेगी। अगर आप इसको एक दलगत दृष्टि से देखते रहे If you look at the State of Jammu and Kashmir with your ideological blinkers, then I am afraid, we are having this discussion today and we will continue to have a discussion on Jammu and Kashmir in every Session of this House.

(ends)

1301 बजे

श्रीमती पूनम महाजन (उत्तर मध्य मुम्बई): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण धारा-356 के तहत राष्ट्रपति शासन छह महीने और आगे बढ़े और रिजर्वेशन के इस बिल पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे आपने बोलने का समय दिया, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद है।

मुझे अच्छा लगा कि जिस रूप से विरोधी पक्ष में कहीं न कहीं इतिहास का विचार किया गया। इतिहास के प्रारूप से आज के जम्मू-कश्मीर को देखा जा रहा है। यह बहुत अच्छा लगा कि वे इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक ऐसी युवा सांसद हूँ, जो बचपन से देखती आ रही हूँ जम्मू-कश्मीर को फ्रंट पेज पर किस इतिहास के रूप से हम देख रहे हैं। जब देश वर्ष 1947 में आजाद हुआ तो भारत का हिस्सा जम्मू कश्मीर और लद्दाख था और आज भी है। मेरे सामने यह प्रश्न आता है कि जब वर्ष 1947 में हमें आज़ादी मिली और कश्मीर, लद्दाख और जम्मू भारत का अभिन्न भाग तब से था, तो क्यों तभी के तत्कालीन प्रधान मंत्री ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) यूनाइटेड नेशन में जाकर यह कहने लग गए, जिनका मैं बिल्कुल आदर करती हूँ ... (व्यवधान) क्यों कहने लग गये कि हमें हमारे कश्मीर का रेज़ॉल्यूशन आप दो, then why did we go in for third party resolution?

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सभी बैठिए।

श्रीमती पूनम महाजन (उत्तर मध्य मुम्बई): अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है, यह आलोचना नहीं है... (व्यवधान) with due respect माफ कीजिए, यह आलोचना नहीं है, अपेक्षा थी और यह फैक्ट है... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं देख लूंगा इसको।

... (व्यवधान)

श्रीमती पूनम महाजन (उत्तर मध्य मुम्बई): इसको ऐतिहासिक ब्लंडर कहा जाता था। जब इतिहास में जाना हो तो इतिहास में जिस प्रकार से ऐतिहासिक बलंडर किया गया है, उसकी भी कहीं न कहीं समीक्षा इधर होनी चाहिए, इसलिए यह बताना जरूरी है। एक युवा सांसद के रूप में

यह मेरा प्रश्न है कि क्यों तब के हमारे सबके आदरणीय पहले और देश के तत्कालीन प्रधान मंत्री थर्ड पार्टी के पास गए कि हमारे जम्मू-कश्मीर का मसला आप सुलझाए। उस वक्त की ऐतिहासिक ब्लंडर को हम आज भी फेस कर रहे हैं और हम सभी इसे जानते हैं। इस क्यों का प्रश्न हमें चाहिए। आप इतिहास में जानना चाहते हैं, तो मुझे आपसे यह प्रश्न पूछना है कि कश्मीर में जाते वक्त परमिट मांगना पड़ता था और देना पड़ता था। क्यों कश्मीर जाते वक्त हमें परमिट लेना पड़ता था, क्या कश्मीर हमारा भारत का अभिन्न भाग नहीं है। हम अभिन्न रूप से कश्मीर के साथ नहीं रहते थे। क्यों तभी इस बात की लड़ाई होती थी कि दो प्रधान थे, दो संविधान थे और दो निशान थे? क्यों हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इसके खिलाफ लड़ना पड़ा और क्यों उनको बलिदान देना पड़ा कि परमिट के बिना हम हमारे जम्मू-कश्मीर में आएं ? ये इतिहास का प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ। क्यों ऐसा हुआ कि कश्मीरी पंडित हमारे कांग्रेस के पेट्रियार्क कश्मीरी पंडित हैं? इसके बारे में वे हर वक्त गर्व से बात करते थे। वही पेट्रियार्क कश्मीरी पंडित हमारे देश के प्रधान मंत्री भी थे। उस वक्त ऐतिहासिक ब्लंडर भी हुआ, फिर जब इतिहास में सब जानना चाहते हैं तो इतिहास के इस प्रश्न का भी उत्तर दीजिए कि क्यों कश्मीरी पंडितों को, जो सेक्यूलर कंट्री के बारे में आप बात करते हैं, जम्मू और कश्मीर से भगा दिया गया और उनको अपनी जमीन से बाहर भेज दिया गया?

(1305/YSH/RU)

माननीय अध्यक्ष : पाइंट ऑफ आर्डर किस नियम के तहत है?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किस नियम के तहत है? आप नियम बताएं न पाइंट ऑफ आर्डर किस नियम के तहत है?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं माननीय सदस्य प्लीज, आप नियम बताएं किस नियम के तहत है?

...(व्यवधान)

श्रीमती पूनम महाजन (उत्तर मध्य मुम्बई): सर इतिहास के रूप से यह क्यों प्रश्न के उत्तर भी आप हमें दे दीजिए। जब कश्मीरी पंडितों को मैं कांग्रेस का पेट्रियार्क कहती हूँ तो इसलिए पूछती हूँ कि कश्मीरी पंडिताई पर बहुत सारी चीजें लिखी गईं। वही हमारे कश्मीरी पंडित बेचारे अभी भी मेरे चुनाव क्षेत्र बान्द्रा में विस्थापित होकर रहे रहे हैं और मुझे यह पूछते हैं कि मैं अपने घर कब जाऊंगा? लेकिन हां, आज मोदी सरकार आई है तो कश्मीरी पंडितों का सम्मान हो रहा है। वे वापस जाने की तैयारी में हैं। मेरा यह भी सवाल है इतिहास में आप जा रहे हो। क्यों आप, जब आपकी सरकार थी तब तिरंगा लाल चौक में आप फहराने नहीं देते थे? इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए। क्यों हमारे जवान आपकी राजनीति की वजह से आप तो 90 के दशक के बाद का समय बता रहे हो, उसके पहले का तो समय आपका था, क्यों हमारे जवानों के परिवार यह सोचते थे कि बॉर्डर पर मेरे जवान, मेरा भाई, मेरा पति वहां पर खड़ा है? कश्मीर के हालात खराब हैं। कब उसकी पीड़ा कम होगी कि कश्मीर अच्छा रहेगा, कश्मीर खुशहाल रहेगा और जवानों के परिवारों को यह विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या मेरा परिवार वहां पर ठीक है कि नहीं। आपसे मेरे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। इतिहास में आप जाना चाहते हैं कि क्यों कश्मीरी युवा इस देश से अलग होना चाहते हैं? क्योंकि आपकी इस तुष्टिकरण की राजनीति की वजह से कश्मीरी युवा देश की धारा में आना चाहता है तो भी वह आ नहीं सकता। इस क्यों का मुझे आप जवाब दीजिए। क्यों कश्मीरी युवाओं को हाथ में किताब, औजार और आज स्किल इंडिया स्कीम जैसे 30 हजार युवाओं को हम स्किल दे रहे हैं, क्यों आप उनके हाथ में पत्थर दे रहे थे? क्यों कभी किताब और उनके हाथ में जवाब नहीं दिया? इस क्यों और इतिहास का आप मुझे जवाब दीजिए।

अभी मैंने सुना कि हर एक सरकार की आदरणीय तिवारी जी ने तारीफ की। यह बहुत अच्छा है। हम सभी करेंगे। उन्होंने उनकी सरकार के बारे में, आदरणीय इंदिरा गांधी जी, आदरणीय राजीव गांधी जी का नाम लिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया, डॉ. मनमोहन सिंह जी का नाम लिया, लेकिन उन्होंने कहा सन् 1991 में जो सरकार थी, उस सरकार ने अच्छा काम किया तो उस सरकार के प्रधान मंत्री भी आपकी ही सरकार के थे। आप उनका नाम भूल गए थे

क्या? या यह नाम आप क्यों नहीं ले सकते कि इस रूप से यह राजनीति यहां पर तैयार हो रही है? इस क्यों के जब प्रश्न निर्माण होते हैं तो मुझे एक ही मूल मंत्र दिखता है, जो आदरणीय तिवारी जी ने हमें दिया। उन्होंने भी हमारे सभी के प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का मूलमंत्र हमें बताया। इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत यह बोलने के लिए क्यों हमें साठ साल रुकना पड़ा? इस क्यों का जवाब मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूँ। मुझे याद है एकता यात्रा में सन् 1992 में लाल चौक में तिरंगा फहराया था। उस पर एक कहानी थी, एक अखबार में पढ़ रही थी। एक बुधगांव का मोहम्मद अशरफ आजाद नाम का 20 साल का जवान सन् 1992 में लाल चौक देखने के लिए गया और देखा कि कैसे कोई देश का झंडा वहां पर लहरा सकता है। उसने अपना सल्यूट वहां पर दिया और उसने तभी कहा कि मैं भाजपाई को वहां पर देखकर अचंभित हो गया कि यहां पर आजू-बाजू रास्ते में टैरिस्ट घूम रहे हैं, लेकिन कश्मीर का झंडा भाजपाइयों ने वहां पर लहराया और मैंने सल्यूट किया और उस एकता यात्रा में हमारे अभी के प्रधान मंत्री और तभी के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने वहां पर झंडा लहराया था, इस क्यों का जवाब मैं चाहती हूँ। यह विचारधारा है हमारी, इसी विचारधारा को हमें लेकर जाना है। कश्मीर भारत का शीर्ष है, उसको हमें झुकने नहीं देना है और उसको झुकने नहीं देने के लिए हम कार्यरत रहते हैं।

मैं यह कहना चाहती हूँ कि जब सन् 1992 में झंडा फहराया और वर्ष 2015 की सरकार के बारे में यहां बहुत टिप्पणियां हुईं, उस टिप्पणी में प्रधान मंत्री ने वर्ष 2015 में जब जम्मू और कश्मीर को 80 हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिया, तभी प्रधान मंत्री जी ने बहुत अच्छे रूप से अपनी आवाम को, अपनी जनता को यह कहा कि दिल्ली का खजाना आप सबके लिए है। लेकिन दिल्ली से दिल्ली का दिल भी मैं आपके लिए हाजिर लेकर आया हूँ, इस प्रकार दिल से जोड़ने की राजनीति एन.डी.ए. सरकार ने की है।

(1310/RPS/NKL)

मुझे यह कहने का सौभाग्य मिला कि जिस दिल को जोड़ने की राजनीति और जिस प्रकार की प्रक्रिया हमने शुरू की, 2014 से लेकर 2019 तक एनडीए की सरकार ने कायम रखा। जीएसटी काउंसिल में जम्मू और कश्मीर को लेना, इस बिल के पहले इसलिए ऑर्डिनेंस लाना, जिससे हम सबको साथ लेकर काम करें। जिन युवाओं के बारे में यहां बात होती है कि वे देश से अलग हैं, मैं खुद बहुत बार जम्मू और कश्मीर जाकर आई हूं, युवा मोर्चा की अध्यक्षता के रूप में मैं सबसे मिल चुकी हूं। उडान योजना से 30 हजार कश्मीरी युवकों को स्किल इंडिया के माध्यम से सिखाया और पढ़ाया गया है, उनमें से 18 हजार युवकों को नौकरी मिली, प्लेसमेंट मिला है। हमारे तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी जब वहां गए थे, तब 'वतन को जानो' के रूप में एक बहुत सुंदर पहल की गई थी कि कश्मीरी बच्चे अपने वतन को जानें। वे दिल्ली आए, मुंबई देखा, भारत देखा और इस तरह सैकड़ों बच्चे 'वतन को जानो' के माध्यम से जुड़ गए थे।

सबसे बड़ी ऐतिहासिक बात तो अब हुई है। दो दिनों पहले, जब हमारे वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह श्रीनगर पहुंचे, तब एक ऐतिहासिक बात हुई। वह ऐतिहासिक बात ऐसे हुई कि हम सबके प्यारे पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद पहले ऐसे गृह मंत्री श्रीनगर उतरे, जिनके खिलाफ वहां कोई वार्निंग नहीं थी, कोई विरोध नहीं था और कहीं कफर्यू भी नहीं लगाया गया। इस प्रकार से जम्मू और कश्मीर ने अमित भाई शाह का स्वागत किया। यह दिल से स्वागत था। मैं खुद जानती हूं, जब से मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा बनी, तब हमारे अध्यक्ष अमित भाई थे, अभी भी हैं। तब उन्होंने मुझे कहा था कि जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं को जोड़कर, हम भारत की मुख्य धारा में लाकर काम करना चाहते हैं। मैंने उनकी बात सुनी। मुझे याद है 22, 23 और 24 अक्टूबर, 2017 को हम श्रीनगर गए, पूरे जम्मू और कश्मीर में हमारे कार्यक्रम थे और इतने सारे युवाओं से मैं वहां जुड़ी। जिस ऐतिहासिक स्टेडियम – शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम की आप बात कर रहे हैं, वहां पर युवा मोर्चा का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। मुझे यह कहने में फ़ख़्र महसूस होता है कि वह इतना जबर्दस्त कार्यक्रम हुआ, उस ऐतिहासिक

कार्यक्रम में पूरे कश्मीर और श्रीनगर के युवा आए। उनको वहां पर बहुत सारी वार्निंग भी दी गई थी कि आप भाजपा के कार्यक्रम में जाओगे तो आपको मार दिया जाएगा, लेकिन उस कार्यक्रम में 50 प्रतिशत लड़कियां थीं। वे युवतियां भी चाहती थीं कि वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें और इस तरह से कार्यक्रम हुआ। डॉक्टर्स, यंग लेक्चरर्स, म्यूजिक कंपनीज, कौन-कौन नहीं मिला मुझे श्रीनगर में। 'टेक्नो' नाम का एक म्यूजिक बैंड मुझे श्रीनगर में मिला। उनका कहना था कि दीदी, हमें मुंबई ले चलें, आप हमें कहीं भी ले जाओ, हम दिखाना चाहते हैं कि हम श्रीनगर के यूथ भारत से टूटे हुए नहीं हैं। अतर इकबाल मिल, मुस्तफा कादरी, शब्बीर अहमद आदि बहुत सारे युवा मुझसे ऐसे मिले थे, जो अपनी कला पूरे देश में दिखाना चाहते थे और कहना चाहते थे कि we are part of this country's main vein. मैं इस देश की ताकत हूं और मैं देश की ताकत को दिखाना चाहता हूं। मैं कश्मीर यूथ नहीं, मैं भारतीय यूथ हूं। वे यह दिखाना चाहते थे।

वहां के हमारे जिलाध्यक्ष के परिवार से आदरणीय अमित भाई शाह परसों मिलकर आए। गौहर भट्ट – आज उनका नाम लेते हुए मुझे दर्द भी होता है और फ़र्र भी होता है। वह जिलाध्यक्ष इतना खुश था, जब हमने दो-तीन दिनों का कार्यक्रम वहां किया और युवाओं से जुड़े। मैंने उसे कहा था कि जब आप मुंबई आओगे तो बॉलीवुड दिखाएंगे और पूरी टीम कह रही थी कि दीदी, हमें समुन्दर देखना है। मैंने कहा कि जरूर आएंगे और कार्यक्रम करेंगे। फिर उसने कहा कि देखता हूं मैं कितने समय रह पाउंगा, क्योंकि मेरे खिलाफ मिलिटेंट्स हर वक्त लगे रहते हैं कि तुम भाजपा के साथ जुड़े हो तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हर वक्त धमकियां मिलती आ रही थीं। जब मैं 24 अक्टूबर को मुंबई वापस आई, दो नवम्बर, 2017 को श्रीनगर के मेरे जिलाध्यक्ष की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ युवकों को भारत के साथ जोड़ना चाहते थे, उसकी निर्मम हत्या की गई, उसको मार दिया गया। पिछली बार जब मैंने गौहर भट्ट का विषय यहां उठाया तो कांग्रेस ने मेरा विरोध किया था। यह बात मुझे याद है क्योंकि मैंने एक ही सवाल पूछा था कि क्यूं कोई नेता पाकिस्तानी कौंसुलेट में जाकर अपने देश के प्रधान मंत्री के खिलाफ वक्तव्य देते हैं, लेकिन जब गौहर भट्ट जैसा कोई मारा जाता है तो कोई उसके बारे में, उसके खिलाफ कुछ नहीं कहता है? मैंने

यह प्रश्न उठाया था। मैं खुश हूँ कि शहीद गौहर भट्ट और युवा मोर्चा के ऐसे अन्य कार्यकर्ताओं से खुद आदरणीय अमित भाई शाह मिले और गौहर भट्ट के परिवार को ताकत दी। इंस्पेक्टर अरशद खान, जिसके एक साल और पांच साल के बच्चे हैं। ऐसे अनेक लोग होंगे, लेकिन सबसे युवा बच्चा और एक छोटा परिवार था, जब प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हमारी ताकत है जम्मू और कश्मीर और जब आदरणीय अमित भाई शाह उनके घर गए तो उन्होंने इतना ही कहा कि यह तुम्हारा नहीं, हम सबका बेटा है और आपके बेटे अरशद खान पर पूरे देश को फख्र है।

(1315/RAJ/KSP)

हम इस तरह से काम कर रहे हैं। आर्मी हो या सीआरपीएफ हो, ऐसे सैकड़ों जवानों ने इस जम्मू और कश्मीर की ताकत के लिए अपनी जान दी है। यहां पर बहुत-सारी टिप्पणियां हुईं कि क्या हुआ, कितने आतंकी मारे गए, आंकड़ा देना भूल गए, लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि no tolerance against terrorism, यह एनडीए का मूल स्वभाव है, यह रहेगा और रहते रहेगा, इस रूप से काम कर रहे हैं। यह बिल दोनों रूप से है। हम क्यों चाहते हैं कि इसको ऑर्डिनैस से छः महीना आगे बढ़ाए? हां, प्रधान मंत्री जी ने खुद ही कहा था कि जब यह सरकार बनी तो पानी और तेल साथ बहा, लेकिन हम ने यह कोशिश की थी कि democracy which you are fighting for and which we always fight for, इस लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए एक सरकार होना बहुत जरूरी है। वह देश के विचारों की सरकार हो, साथ में मिलने की सरकार हो और काम करने की सरकार हो। हां, उस सरकार का काम नहीं हुआ। कुछ कारणों से, डेमोक्रेटिक, लोकशाही, लोकतंत्र के रूप से सरकार साथ में नहीं रही, लेकिन राष्ट्रीय रूप से भारत सरकार का काम सदैव चलता रहा। आप आज भी गवर्नर की वेबसाइट पर देखेंगे कि जब से प्रेसिडेंट रूल वहां लगा हुआ है तब से युवाओं से संबंध रखना, जनता से संबंध रखना जारी है। आज ऑर्डिनैस के रूप में हमारे तीन सौ पचास गांवों में तीन लाख लोगों के फायदे के लिए बिल लाना। यह रिवर्जेशन बिल उनके लिए है, जो बॉर्डर के पास हमारे गांव के लोग रहते हैं, राजोरी, बिशना, छम, बिलावर, ये जम्मू रीजन के हैं, मैं वहां गई हूँ। हम कुछ-कुछ जगहों पर लोगों से मिले हैं। वहां युवा मोर्चा काम करता

था। जैसा कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि पाकिस्तान की बमबार्डिंग हमेशा चलती रहती है। घर में मां यह सोचती है कि कैसे मेरा बच्चा पड़ेगा, मैं यहां पर कैसे रह पाऊंगी? वह मां यह सोचती है और बोलती भी है कि कितनी भी तकलीफ हो, मैं इस भारत में ही रहूंगी, भारत के लिए लडूंगी और उसकी ही नागरिक रहूंगी और आप लोगों ने सालों-साल उन नागरिकों का सम्मान दूर रखा। जो नागरिक रोज बमबार्डिंग देख रहे थे, जो नागरिक अपने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत चिंता में थे, वह मां चिंता में थी, उस मां के लिए अपोजिशन ने कभी नहीं सोचा। वे सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल की राजनीति करते गए कि कहां पर मेरा वोट है और कहां पर उनका वोट है।

आज यह कहा जाता है कि हम राजनीति के परे उठें। यही वह बिल है कि जिसमें राजनीति से परे उठ कर सारे युवाओं को साथ में लाकर, हमें मुख्यधारा में लाना है। यही राजनीति के परे उठ कर, इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत का मूल मंत्र आदरणीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिया। उसी मूल मंत्र के साथ आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने यही कहा कि यह मूल मंत्र लेकर मैं अपना दिल कश्मीरी जनता को देना चाहता हूँ। हर एक दीपावाली कश्मीर में हो। पहली बार जो कुछ भी हुआ, वह कश्मीर के लिए हुआ। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के युवकों के लिए और ज्यादा अच्छी तरह से सोचने की कोशिश की। जम्मू और कश्मीर के हर युवा को अपनी नस-नस में रखा।

इस देश में आर्थिक शक्ति बनने की ताकत है। आज हम इमर्जिंग इकोनॉमी में दस-ग्यारह नम्बर से पांचवे नम्बर पर आए हैं। देश को कोई एक प्रदेश, एक जाति या एक विभाग आगे नहीं बढ़ाएगा। जब पूरा देश आगे आएगा, इकट्ठा मिल रहेगा, तब ही हम आगे बढ़ेंगे। इसी विचारधारा को लेकर हम सभी साथ में आगे बढ़ें। सभी जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र चाहते हैं। वह अब तक तैयार नहीं हो रहा है। यह सवालिया निशान खड़ा होता है। खुद इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रही है, जो स्वायत्त रूप से अपना करती है कि अभी चुनाव नहीं हो सकता है, कुछ समय के बाद चुनाव हो सकता है। आप जानते हैं कि आपने किसके साथ सरकार बनाई और हम ने किसके साथ सरकार बनाई। हर कोई उन चुनावों के विरोध में जा रहा है। वर्ष 2014 में आप जो सरकार छोड़ कर गए,

उसके बाद क्या स्थिति हुई? उसके बाद आप अपनी पार्टी की स्थिति देखिए। आपका जम्मू-कश्मीर में कितना वोट शेयर रह गया है? आज भारतीय जनता पार्टी का वर्ष 2002 के आठ प्रतिशत से बढ़ कर वर्ष 2019 में 48 प्रतिशत वोट शेयर हो गया है तो यह कैसे बात कर रहे हैं। ... (व्यवधान) वोट शेयर कोई पार्टी तय नहीं करती है वोट शेयर जनता तय करती है। जनता चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। ... (व्यवधान) जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हो। इस देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्वी राज्यों तक भारत को आगे एक स्वर्णिम काल में ले जाएं, यह जनता चाहती है, इसलिए मैं आपको वोट शेयर के बारे में कह रही हूँ।

(1320/SRG/IND)

आप हर जगह का वोट गिनिए। मैं सिर्फ कश्मीर की बात नहीं कर रही हूँ। आप पूरे देश में कांग्रेस का वोट शेयर देखिए, फिर सवालिया निशान खड़ा कीजिए कि आपने किया क्या था। आप जनता के इन्टेलैक्ट का सवाल पूछ रहे हैं। आप यह कह रहे हैं कि वहां भाजपा की सरकार क्यों है और जम्मू-कश्मीर में भाजपा को इतना प्रतिशत वोट क्यों मिला है? देश की जनता ने तय कर लिया, आप उन्हें रोक नहीं पाओगे। देश की जनता ने तय कर लिया है कि कश्मीर इस देश का अभिन्न भाग था, है और रहेगा। इसे आगे आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ले जाएंगे और स्वर्णिमकाल में कश्मीर का युवा भी देश की मुख्य धारा से जुड़ेगा।

अध्यक्ष जी, मैं दो मिनट में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जिस प्रकार से no tolerance against terrorism, still there is a lot of love towards our people in Kashmir. यह कह रहे हैं कि कश्मीर की जनता हमसे टूट जाएगी। यह दुख की बात है कि एक राजनीतिक दल के सबसे महत्वपूर्ण नेता कह रहे हैं कि हमारी जनता ही हमसे टूटेगी। It is a shame to think that our own Indian citizens want to be away from India. इसके विरोध में हमें यह दिखाना चाहिए कि किस रूप से देश की जनता उभर रही है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस जम्मू-कश्मीर के लिए इतने लोगों ने बलिदान दिया, जिस जम्मू-कश्मीर के लिए श्री श्यामा प्रसाद

मुखर्जी ने बलिदान दिया, आर्मी ने बलिदान दिया, हमारी भारतीय जनता पार्टी और अन्य बहुत लोगों ने भी बलिदान दिया, आज उस जम्मू-कश्मीर की ताकत का सवाल है। कश्मीर को हम जन्नत कहते हैं। मैं अमीर खुसरो जी की बात याद करती हूँ –

“गर फिरदौस बर रूये ज़मीं अस्त,
हमीं अस्तो हमीं अस्तो हमीं अस्ता ”

यदि पृथ्वी तल पर कहीं जन्नत है, तो कश्मीर में है, यहीं है, यहीं है, यहीं है और इस जन्नत को बरकरार रखने के लिए इन दोनों बिलों का मैं समर्थन देती हूँ और मैं जानती हूँ कि कश्मीर जन्नत सिर्फ और सिर्फ नरेन्द्र मोदी की सरकार में रहेगा और देश उसके साथ आगे बढ़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जया।

(इति)

1322 hours

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): I rise to speak on this Bill Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2019 and on the Statutory Resolution approving the continuance in force of the Proclamation dated 19th December, 2018 in respect of the State of Jammu and Kashmir, issued under Article 356 of the Constitution by the President for a further period of six months with effect from 3.7.2019.

The State of Jammu and Kashmir plunged into a political crisis in June 2018 after PDP chief Mehbooba Mufti led coalition Government was reduced to a minority following the withdrawal of support by the 25 Member of the BJP in the State. Since the State has a separate Constitution, Governor's rule for six months was necessitated. The Assembly was dissolved citing horse trading and lack of stability to form the Government and other claimants were not given chance to form the Government, following which, Article 356 was imposed on 19th December, 2018. Today, it is to be extended for another six months.

I would like to ask the Minister, through you, the reasons that cause delay in holding elections in the State. Also, what are the necessary steps that we intend to take to overcome those reasons and give Kashmiris the chance to elect their own representatives? Whenever we discuss issues revolving J&K, what we do is to delve into the past and the blame game is always on. It is very important to go beyond the purview of party politics and try to establish peace in the valley. Having visited Kashmir and interacting with the people, I

can vouch for the fact that they are peace loving people, who seek tranquillity and calm equivalent to the beautiful Himalayas and not earthquake like hate crime and terrorism. In order to ensure this, it has become a necessity that we dig deeper into the matter causing unrest. Hunger of power is not something that will establish harmony. It is the sincere and true efforts that will lead to the heaven of India into a real paradise.

(1325/KKD/VB)

We support the Government's effort to carry on President's Rule for another six months on the ground that steps will be taken to hold elections there as soon as possible, and not discuss this same issue in the next Session again.

I would like to end by quoting Kevin Hosseini, who said: "My candle burns more brightly because it stands next to yours." We have to stand united and drive away the evils of unemployment, inequality, hate crimes and terrorism. The only way to achieve the goal is to cooperate with one another. Keeping it short, I have expressed my sincere views and want to convey that Kashmir was, is and will always be an integral part of India.

The western perception of India – the largest democracy of the world – has changed from 'developing' to a 'power to be reckoned with'. But in reality, in internal matters, it is still plagued with numerous issues like human rights, poverty, fragmentation to name a few, and the biggest reason being discrimination.

Policies exist but neglect in policy implementation cripples the Government. The caste system is embedded in the very existence of our culture. Not only Hindus, even Muslims in India, have the concept of stratification, which is not found in any other part of the world. The caste based discrimination is the cancer of our society. Authorities have struggled to impede this system, but results are minor. Even after numerous efforts to uplift as to what they deserve, we come across headlines like “Caste Hindus say: No to Dalit Anganwadi workers in Tamil Nadu.” This is not some old news, but a recent one, dated 13th June, where “The Hindu” is claiming that children will not eat anything cooked by a *dalit*. This is not the news that the 21 Century Indians would like to wake up to. Here, I would like to quote N.K. Jemisin, who said: “That we are not human is just the lie they tell themselves so they do not have to feel bad about how they treat us.”, which means, ‘we’ as people belonging to lower strata and ‘they’ the so-called upper caste ones. It is not a myth but a reality even today, specially in rural India, which, in fact, is the majority.

On this note, I would sincerely like to acknowledge the steps taken by the Government to enact the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2019 to provide the same to SCs, STs and SEBCs in appointment and admission in professional institutions. Doing so, the Government is giving a huge relief to people living along the adjoining areas of international borders. Due to continuous cross-border tensions, persons living near borders, suffer from huge backwardness; and it was very necessary to give them relief.

Here, I would like to point out that a regulating body is to be constituted that will look into the matter of any form of redressal. These bodies should have branches in remote areas. This is so because in the rugged terrain of interiors in Kashmir where the communication facility is not well developed, how can a person raise his voice if any discrimination takes place? This is bound to happen because we come across these cases every other day.

I would like to conclude by saying that not only in Kashmir but all through India, we have to protect the vulnerable group, and most importantly listen to the masses.

Once again, I would like to thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity to make my speech.

In the end, Sir, here, I would like to say a few words for the people of my Constituency.

मैं इस सदन के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र के नागरिकवृंद का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएँ दी हैं। मैं उनको प्रणाम करती हूँ

(इति)

(1330/PC/RP)

1330 बजे

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग) : हम सभी के साथ यहां मौजूद मैम्बरान ने इतिहास की बात की। मेरे लिए ज़रूरी बनता है कि मैं भी इतिहास से शुरुआत करूं। जम्मू कश्मीर की कहानी और जम्मू कश्मीर के मुल्क की सत्ता ताल्लुकात की कहानी नाइंसाफियों की कहानी है, अन्याय की कहानी है। इससे पहले कि मैं इसका विश्लेषण करूं, मैं बताना चाहूंगा कि यहां एक ऑनरेबल मेंबर ने ज़िक्र किया है कि 15 अगस्त, 1947 को जम्मू कश्मीर मुल्क का एक हिस्सा था। मैं उनको यह एजुकेट करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर 15 अगस्त, 1947 को एक खुदमुख्तार रियासत थी, न ही वह हिन्दुस्तान का हिस्सा था और न ही वह पाकिस्तान का हिस्सा था, वह बाद की बात है।

जब हमारे महाराजा ने मुल्क के साथ एक रिश्ता जोड़ा, उस वक्त एक वादा हुआ, आपसी विचार-विचार विमर्श से एक एग्रीमेंट हुआ कि जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी दर्जा दिया जाएगा। This Special Status was not snatched. It was given willingly by the rest of country to Jammu and Kashmir. इसी हाउस ने 5 अगस्त, 1952 को दिल्ली एग्रीमेंट अप्रूव किया था। Initially, when accession was made, it was made subject to some conditions. These conditions were not put by someone from Kashmir or someone from a particular community but Maharaja in the Council. जनाब, दो तरीके के अन्याय हुए। एक अन्याय, एक प्रयास ब्रिक बाय ब्रिक हुआ। हमें यह जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जिसको हम ऑटोनॉमी भी कहते हैं, रेसिड्युअल सॉवरैनिटी भी कहते हैं, इसको डिमॉलिश करने का प्रयास हुआ। दूसरा अन्याय का तरीका हमको जम्हूरियत की दौड़ से अलग रखने का हुआ। So, everything started on 8th August, 1953 when the first elected Prime Minister was deposed and was arrested without any reason. Surprisingly, he was deposed not for the reason that he had no confidence of the House but for the reason that he had no confidence in his Cabinet. तब से

यह दास्तान चल रही है। हमें वादा दिया गया था कि, Jammu and Kashmir will enjoy a Special Status in the country, that was demolished. It was not only demolished but was also encroached upon and trespassed. Whatever powers or authority or autonomy was given to us was trespassed or overstepped.

स्पीकर साहब, इब्तिदा से ही आज तक वह प्रयास जारी है। एक अन्याय का यह मामला है कि हमसे रोज-रोज कहा जाता है कि आपका स्पेशल स्टेटस खत्म किया जा रहा है। It was not that the Constituent Assembly came from nowhere but It was a promise made by the Constituent Assembly of this country to the people of Jammu and Kashmir. Article 370 reflects that promise and pledge. यह उस बैकग्राउंड में है। इसके अलावा जो दूसरा प्रयास रहा, जैसा कि मैंने गुजारिश की, वह जम्मू कश्मीर को जम्हूरियत की दौड़ से से अलग रखने का प्रयास था। आप देखिए कि आज की सरकार अर्बन और लोकल बॉडीज़ के इलैक्शंस, पंचायत के इलैक्शंस और पार्लियामेंट के इलैक्शंस का क्रेडिट ले रही है। क्या वजह है कि असेंबली के इलैक्शंस नहीं कराए जा रहे हैं, ताकि वहां के लोग भी अपनी एक सरकार चुनें और एक चुनी हुई सरकार वहां का कामकाज संभाले? One of the hon. Members said yesterday that when the hon. Home Minister visited Srinagar, it was for the first time in recent years that there was not strike or call. That could be an adequate reason to go for elections without any delay. रमज़ान का महीना तो जून में चला गया। उससे पहले पार्लियामेंट के इलैक्शंस हुए। उसके साथ-साथ ही असेंबली के इलैक्शंस किए जा सकते थे। 15 अगस्त को यात्रा खत्म हो रही है, उसके बाद इलैक्शंस किए जा सकते हैं। क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर को इस जम्हूरियत की दौड़ से बाहर किया जाने का प्रयास हो रहा है? We talk about 'dance of democracy' where around ten million people were a part of that dance or celebration. Why was Jammu and Kashmir kept away from it when there were no reasons at all? Hon. Speaker, there were no

reasons for the dissolution of the Assembly and there were possibilities for formation of a viable Government.

(1335/SPS/RCP)

लेकिन उसको नजरंदाज करते हुए गवर्नर राज हुआ, उसके बाद असेम्बली तहलील हुई और आज कोई कारण डेफर करने का नहीं है। मेरी गुज़ारिश होगी कि असेम्बली इलेक्शंस फौरन से फौरन कराये जाएं, ताकि एक रिस्पॉसिबल और अकाउंटेबल गवर्नमेंट बन जाए और वह वहां का नज़्म व नस्क संभाले। अब कुछ ऐलीवेण्टस दिया जा रहा है कि प्रेजीडेण्ट्स रूल से शायद हालात बेहतर हो जाएं। इस वक्त जो गवर्नर इंतजामिया, It may be in a position to speed up getting things, getting normalcy or making things normal, लेकिन हमने वर्ष 1990 से 1996 का तजुर्बा किया है। हमने 6 साल तक वहां प्रेजीडेंट रूल रखा तो 6 साल के बाद वहां पर कोई तब्दीली हुई। सबसे बेहतर यह होगा कि इलेक्शन फौरन कराए जाएं और एक रिस्पॉसिबल और जवाबदेह हुकूमत बनाई जाए। गवर्नर राज कितना भी ठीक और अच्छा क्यों न हो, लेकिन एक रिप्रेजेण्टेटिव नहीं कहा जा सकता है। ऐसे क्षेत्र में, ऐसे रीजन में, जिस रीजन में एक गल्फ है, गवर्नमेंट और अवाम के दरिम्पान, वहां जरूरी है कि जल्द से जल्द एक चुनी हुई सरकार आ जाए, ताकि जो गल्फ है, जो खाई है, वह ज्यादा वाइडन न हो जाए, जो एलियनेशन है वह ज्यादा बढ़ न जाए। इसी वजह से एक तो यह है कि कोई कंपेलिंग रीजन्स नहीं हैं और कॉन्स्टीट्यूशन जिसकी कल्पना करता है कि जब प्रेजीडेंशियल रूल हो तो ये हालात होने चाहिए, वे हालात ही नहीं। वहां से रिपोर्ट आ रही हैं, बड़ी अच्छी खबरे आ रही हैं। अभी हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर गए थे, वे वहां से एक अच्छा संदेशा लेकर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कल जब वहां सब नॉर्मल था, खदु ही एक ऑनरेबल मैम्बर ने कहा है कि ये पहली बार इतिहास में है, recent in history, when there was no kind of reaction. वहां पर यह भी आशा थी कि होम मिनिस्टर साहब इलेक्शन का ऐलान करें। ये भी था कि वे इंतजार कर रहे थे कि, It is because, after this massive mandate, we see a visible change in the approach of hon. Prime Minister and

hon. Home Minister. अब नई बात हो रही है, रीजनल ऐस्पिरेशंस की बात हो रही है, अपोजीशन के हरेक छोटी से छोटी सी बात को महत्व देने की बात हो रही है। इससे एक उम्मीद जागती है कि मेसिव मेण्डेट को ये कन्वर्ट करें, into an aggressive peace initiative. शायद वहां पर लोग इंतजार कर रहे थे कि इलेक्शन का ऐलान करेंगे, बातचीत का ऐलान करेंगे, डायलॉग का ऐलान करेंगे। मेरी यह गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द बगैर किसी ताखीर के इलेक्शन किए जाएं। इलेक्शन मुल्क के खिलाफ नहीं है। इलेक्शन जो खाई है उसको पाटने के लिए है, the gulf between people and the government. कितना ही गवर्नर राज क्यों न हो, लेकिन वह रिप्रेजेण्टेटिव नहीं कहलाया जाएगा। हमारी शिकायत यह रही है कि सारे मुल्क में जहां हर तरफ जम्हूरियत का बोलबाला है, जम्मू कश्मीर को दानिस्ता तौर इस दौर से अलग रखा जाए। इससे क्या होगा कि एलियनेशन ज्यादा बढ़ जाएगी, जो दूरी है वह ज्यादा बढ़ जाएगी। यह एक बात रही। इस यसमंज़र में, I Against this backdrop, I would request to hold Assembly elections in the near future without any delay. That will be in the interest of every one.

Secondly, regarding the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, I would like to say that, in principle, we support reservation for every disadvantaged segment of society. This is an accepted Constitutional tool. This affirmative action is an accepted Constitutional tool to lift the people who are in a disadvantageous position to a level playing field. सैद्धांतिक रूप से हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। But there is a flip side as well. We have three per cent reservation in employment, promotion and professional education for people living in areas adjoining the Line of Actual Control. Without any fear of disagreement, hon. Home Minister will agree with me that people living in areas adjoining the Line of Actual Control are in a more disadvantageous position.

(1340/KDS/SMN)

It cannot be denied that the people living at the international border or at the adjoining areas are equal. Please understand this. This three per cent, जो 3 फीसद हम साढ़े चार लाख लोगों को नौकरियों में, आसामियों में और तालीम में दिया गया है, अब यह साढ़े चार लाख लोगों को साढ़े तीन लाख लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा। We have only changed the definition. We have made the definition wider. These 4.5 lakh people or half a million people shall have to share this three percent reservation with half a million people more and the Line of Actual Control mostly consists of hilly areas and inaccessible areas – Poonch, Rajouri, Nowshera. The other thing is that the Line of Actual Control is mostly in urban areas. I do not say that this should be denied. But I ask what will be the fallout of this on other people. It should have been better if it is left to the State Legislature. सौ आसामियां, जो पहले 5 लाख को मिलती थीं, अब ये 100 आसामियां 10 लाख को शेयर कर रही हैं। It would have been proper because the Supreme Court has also more than once said that in matters of reservation, there should be a study, a broad-based study, an in-depth study and have the statistics available and take the decision. It could have been very well left to the State Government and to the Legislature. That would have all the inputs from the field and it would have been in a better position to take an objective and fair decision for the benefit of everyone. It is not only for the Line of Actual Control but even for the people living in adjoining areas of international border. I do not know what would be the reaction. But in this way, we would deprive the people of worst affected areas. Eighty out of hundred people or even more

than that suffer from cross-border shelling which takes place in the Line of Actual Control. So, those people will be deprived of their share. It would be in a way disadvantageous to them. It would have been better to leave this to the State Legislature. It would have taken its own decision and hopefully, they would have kept, in tact, the idea of reservation for the people living in adjoining areas of international border. What would be the fallout of this decision on the people who are living in the worst areas, that is, in the adjoining Line of Actual Control? They are the people whose education gets affected and who do not have the BSNL connectivity. ...(*Interruptions*) I am saying that this would indirectly make their share of reservation percentage lesser. Instead there should have been a separate reservation category for the people who are at the international border or increase the percentage of reservation. Now, this three per cent is to be shared by one million people instead of five lakh people. So, it would have been better to leave this whole matter to the State Legislature. Obviously, it would have gone for a study, and then, take a decision. In principle, we are against reservation for the people living in areas adjoining international borders but I think the way it has been done, that calls for a second look so that the people living in areas adjoining the Line of Actual Control are not put at disadvantageous position.

(ends)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): आदरणीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। मैं इन दोनों प्रस्तावों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं अभी तक हुई चर्चा को बड़े ध्यान से सुन रहा था। जो बातें कही गईं, माननीय मनीष तिवारी जी ने कहीं, हमारे हसनैन साहब ने कहीं, मैं उनको भी बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी इस विषय को लेकर कुछ दिनों से चर्चा चलती रही। अगले ही दिन डॉक्टर फारूख अब्दुल्ला साहब की भी बात सुनने का मौका मिला, जब पार्टी प्रेसिडेंट्स की मीटिंग थी। उन्होंने कहा कि इस रियासत को हिन्दुस्तान का हिस्सा बनाने में उनके वालिद का बहुत ज्यादा रोल रहा।

(1345/MM/MMN)

ये सारी चर्चा जब मैं सुन रहा था तो कभी-कभी ऐसी शंका होने लगी कि हम से ज्यादा चिंता उस तरफ के लोगों को है। हकीकत यह है कि हम सभी को जम्मू-कश्मीर की चिंता है। दूसरी तरफ के साथियों से कम नहीं है, उनसे ज्यादा ही होगी। मजबूरी यह है कि सत्ता पक्ष में रहकर उस तरीके से खुलेआम बोलने में अनुशासन बरतना पड़ता है।

1345 बजे

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

चलते-फिरते बाइट्स देने की पाबंदी रहती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे पास कहने को कुछ नहीं है और फिर मंत्री होने के नाते मर्यादा की पाबंदी और ज्यादा हो जाती है। वर्ष 1958 की एक गजल है, जिसका एक शेर है –

“मजबूर बहुत करता था दिल तो ज़बां को,

कुछ ऐसी ही हालत है कि हम कुछ नहीं कहते”

लेकिन उसी गज़ल का दूसरा शेर है –

“कहने को बहुत कुछ था अगर कहने पे आते”

आपने अवसर दिया है तो कुछ एक बातें स्पष्ट करने का मौका भी है। Let us first start from the bottom line. इसमें तो कोई संदेह और विवाद नहीं है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। Jammu and Kashmir is an integral part of India. इस बात को इसी सदन में चर्चा करके पारित किया गया था। वर्ष 1994 में प्रस्ताव तत्कालीन सरकार की तरफ से आया था। तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री नरसिम्हा राव, जिनके बारे में पूनम जी कहकर गयी हैं कि नाम लिया जाना चाहिए था, इसकी भरपायी मैं कर देता हूं। हमने उसका समर्थन किया था। The unanimous Resolution passed by this very House accepted that Jammu and Kashmir is an integral part of India, and that is the final position. If at all there is an issue, it is only that of how to retrieve that part of Jammu and Kashmir which continues to remain under illegal occupation of Pakistan even after so many years. Now that is the only left agenda. उसके बाद तो बहस की गुंजाइश नहीं रह जाती है। अब हमारे कुछ साथी, जो कश्मीर केन्द्रित राजनीति करते हैं, उनकी मजबूरी है और उनका वोट बैंक भी है। वे अपने आपको हम से ज्यादा कश्मीर परस्त मानते हैं। वे यह न भूलें कि जम्मू-कश्मीर का जो आर्डिन है because Jammu and Kashmir has a separate Constitution. वह स्वयं इस बात को स्वीकार करता है। And, the Constitution of Jammu and Kashmir was adopted on the 17th of November, 1956. It came into effect on the 26th of January, 1957. It is just to correct the dates because हसनैन साहब कह रहे थे कि हमारी तरफ से तारीखों में कुछ खलल रहा है। I am sure he would appreciate that I have done my research as possibly and studiously as I could.

Anyway, the very first paragraph of the Constitution of Jammu and Kashmir says:

“We, the people of the State of Jammu and Kashmir, having solemnly resolved, in pursuance of accession of this State to India which took place on the 26th day of October, 1947, to further define the existing relationship of the State with the Union of India as an integral part...”

And, article (3) in part (II) of the Constitution of Jammu and Kashmir reads and I quote:

“The State of Jammu and Kashmir is and shall be an integral part of the Union of India.”

अब भारत का संविधान भी इसी स्थिति को मानता है। जम्मू-कश्मीर का संविधान, जिसमें उनको ज्यादा आस्था नज़र आती है, वह भी यही मानता है। तो फिर बहस के काबिल क्या बात रह गयी। आज चर्चा हुई है कि प्रज़ीडेंट रूल को एक्सटेंड किया जाए या नहीं। यह भी कहा गया कि सात वर्ष तो प्रज़ीडेंट रूल तब चला था, जब सरकार दूसरे दल की थी। केन्द्र में कांग्रेस थी। एक-एक करके दो-चार मिनट लेकर जो आरोप सदन के भीतर और बाहर बार-बार लगाए गए हैं, उन पर कहना चाहूंगा। सबसे पहले यह कहा जाता है और सुनने में ऐसा लगता है, अभी हसनैन साहब भी कह रहे थे कि मानो भारतीय जनता पार्टी और सरकार ही नहीं चाहती है कि इलेक्शन हो। यह सारा भाषण सुनने से ऐसा लगा कि मानो हमने रोका हुआ है। यह बड़ी गम्भीर बात है। यह बड़ा गम्भीर आरोप है।

(1350/SJN/VR)

सत्ता पक्ष की ओर से इसका उत्तर आना भी चाहिए। लेकिन मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि यह आरोप उस मानसिकता से आता है, जिस मानसिकता से 50-60 वर्ष इस देश और इस प्रदेश में उन पार्टियों ने शासन चलाया है, जो शायद इलेक्शन कमीशन और इस प्रकार की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग अपने लाभ के लिए करते थे। वे समझते हैं कि उन्होंने इलेक्शन

कमीशन का उपयोग तिथियां तय करने और मैनुपुलेट करने में लाए होंगे और भारतीय जनता पार्टी भी वह करेगी। But we are a party with a difference. That is why we are called – a party with a difference.

चाहे इलेक्शन कमीशन हो, सीबीआई हो, हम उसका पूरा आदर और सम्मान करते हैं। उसकी स्वायत्ता का आदर करते हैं। उसमें हम दखल नहीं देते हैं। यह इलेक्शन कमीशन का निर्णय है कि अभी चुनाव न हों। इलेक्शन कमीशन का प्रिरोगेटिव भी है, अधिकार भी है कि वह अपने इनपुट्स सिक्योरिटी एजेन्सीज़ से प्राप्त करे। हालात साज़गार हैं, नहीं हैं, अपने आपको जब संतुष्ट करें, तो आगे बढ़ें। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, हम पर यह आरोप न लगाया जाए कि हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं। We are a 24x7x365 party. हम उन राजनीतिक दलों की तरह नहीं हैं, जो इलेक्शन के समय एक्टिव हो जाते हैं और हम उन राजनीतिक दलों की तरह भी नहीं हैं, जो इलेक्शन के समय मंदिरों के चक्कर लगाने लगते हैं। हमारी एक परंपरा है, हमारा एक अनुशासन है, हमारी एक प्रणाली है। हम हर समय हर चुनाव के लिए तैयार हैं, चाहे वह विधान सभा को हो, चाहे लोक सभा को हो और चाहे वह स्थानीय ईकाइयों का हो। इसलिए यह कहना कि चुनाव नहीं हो रहे हैं, इसके लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर उंगली उठाना, संविधान की उच्चतम संस्था इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाने के बराबर है।...(व्यवधान)

दूसरी बात, यह आरोप लगा कौन रहा है? यह आरोप वे राजनैतिक दल लगा रहे हैं, जिन्होंने घाटी और जम्मू-कश्मीर में पंचायतों और स्थानीय ईकाइयों के चुनावों का बहिष्कार किया था। क्यों किया था? अभी बात आएगी, संविधान की, जिसकी अभी बात कर रहे थे, क्योंकि जयेश साहब तो हमसे ज्यादा कानूनसाज़ हैं।...(व्यवधान) उस वक्त यह स्टैंड लिया गया था। 'We will not contest in elections till the issue of Article 35A is resolved.' फिर दो ही महीनों में क्या हुआ? लोक सभा का चुनाव आया, आपको लगा कि 8-10 प्रतिशत मतदान होगा और हम चुनाव जीत जाएंगे। मुझे लगता है कि कभी समय आएगा, कोई यह भी राय रखेगा कि जब तक कोई न्यूनतम वोट टर्नआउट न हो, तब तक लोक सभा के सदस्यता को मान्यता ही न दी जाए। वरना

तब तक हमें इन 8 प्रतिशत वाले सदस्यों को बर्दाश्त करना पड़ेगा...(व्यवधान) You thought you could be beneficiaries of this miniscule turnout and, therefore, you forgot the issue of Article 35A. आपको तो कश्मीर की आवाम को जवाब देना होगा कि आपका 35 ए पर क्या स्टैंड क्या है? आप हम पर तो स्पेशल स्टेटस की तोहमत लगाते हैं। माननीय रवि शंकर जी तो हम सबसे ज्यादा कानून के माहिर हैं। हमारे ऊपर वह पार्टी आरोप लगा रही है, जो आर्टोनमी का दावा करती है। So, they do not want autonomy for panchayats. They do not want autonomy for the local bodies. Then, for whom are they keen to give autonomy - for themselves, for the dynasty, for the family? जिस पार्टी का सबसे प्रमुख एजेंडा आर्टोनमी है। It has become party to the denial of autonomy to the local bodies and panchayats. इन बातों के कान्ट्रिडिक्शन का जवाब कौन देगा?

एक दूसरा आरोप बार-बार लगाया जा रहा है, आज यहां भी लगाया जा रहा है और बाहर भी लगाया जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि सत्ता पक्ष में होते हुए उत्तर देने में थोड़ी मजबूरी होती है। But we have to set the records straight. दूसरी बात यह कही जाती है कि यह सब कुछ जो हुआ है, वह वर्ष 2014 के बाद हुआ है। हालात खराब हो गए, बद से बदतर हुए। मनीष जी भी ने कहा और जयेश साहब ने भी कहा है, मैं उनकी बात की कद्र करता हूं। उन्होंने अपने नज़रिये से हालात को देखा है। भारतीय जनता पार्टी केन्द्र में वर्ष 2014 में आई। जम्मू-कश्मीर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार वर्ष 2015 में आई। 50-60 वर्ष पहले तक आपके पास सारी बागडोर थी, क्या आप हमारे लिए राम राज्य छोड़कर गए थे? क्या आपके राम राज्य को हमने तीन सालों में ही अस्त-नस्त कर दिया? इतिहास की बात की जा रही थी।

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब) : मंत्री जी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं?... (व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह : अभी नहीं, अभी नहीं। I am not yielding. ...(*Interruptions*)

माननीय सभापति : तिवारी जी, प्लीज।

...(व्यवधान)

(1355/GG/SAN)

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Tewariji, the Minister is not yielding. You know this.

... (*Interruptions*)

DR. JITENDRA SINGH: I am not yielding, but I will answer what you have in mind, in the course of next few minutes. मैं उस तक आ रहा हूँ यह सब पीछे से शुरू हुआ न, यह भी तो सन् 1947 से शुरू हुआ था। चलिए हम अब वहीं से शुरू होते हैं। आप इतिहास की बात कर रहे हैं। What you handed over to us in 2014-15 as a legacy was a cumulative outcome of the series of blunders and series of misguided experiments starting from what history records as the infamous Nehvurian blunders. इतिहासकारों ने लिखा है – नेहरूवियन ब्लंडर्स। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। पूनम जी ने उसकी थोड़ी सी चर्चा की है। फिर तो बहस उसी पर चल पड़ेगी। वहां से ले कर आज तक क्या हुआ? If only the then Prime Minister had allowed his own colleague, Number 2 in the Cabinet, the then Home Minister to handle Jammu and Kashmir in the same manner as he was handling the other States of India, the history of Jammu and Kashmir would have been different today. Simply because Panditji thought that he knew Jammu and Kashmir more than his Home Minister, तो सरदार साहब को जम्मू-कश्मीर से बाहर रखा गया। वर्ना आज इतिहास

अलग होता, न केवल जम्मू-कश्मीर और भारत का, बल्कि भारतीय उप-महाद्वीप का और यह पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर भी आज भारत का ही हिस्सा होता। अब यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि आपने प्रजातंत्र को भी तहस-नहस कर दिया है, जो ये कह रहे हैं सन् 2014 के बाद क्या हुआ। आपको प्रजातंत्र में आस्था नहीं है! दो मिनट लगा कर मैं प्रश्न करता हूँ कि कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर में प्रजातंत्र के साथ क्या किया? फिर कहेंगे कि पूरी खोज करते हैं। हसनैन साहब सन् 1953 की बात कर रहे थे। पहले मैं कांग्रेस की बात करूंगा फिर नैशनल कांग्रेस की बात करूंगा। शेख अबदुल्ला को गद्दी पर बिठाया। सन् 1953 में उसी शेख अब्दुल्ला को उठा कर कोडेकैनाल की जेल में भेज दिया। यह कांग्रेस का रूल है। फिर फ़ारुख अब्दुल्ला साहब को सन् 1983 में मुख्य मंत्री बनाया और कुछ ही महीनों के बाद उनका तख्तापलट कर के उनके बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह को मुख्य मंत्री बना दिया। यह कांग्रेस का काम है। यह उनका प्रजातंत्र है। आंकड़ों का और अंकों का खेल करना, नंबरर्स की गेम करना जब उनको सूट करता था। अब सब समझते हैं कि हम भूल गए हैं, लेकिन हम भूले नहीं हैं, लेकिन हम किसी को भूलने भी नहीं देंगे। पीढ़ियां बदल गई हैं। राजनीति में भी नए लोग आ गए हैं और पत्रकारिता में भी नए लोग आ गए हैं। लेकिन हम याद करवाते रहेंगे।

अब मैं आता हूँ कि नैशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया? यह ठीक है कि फ़ारुख साहब उस दिन कह रहे थे कि हमारे वालिद न होते तो शायद जम्मू-कश्मीर पाकिस्तान में होता या हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं होता। उनका अभिनन्दन है। सन् 1953 तक जब वे रहे, उस समय प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, वज़ीरे आजम कहा जाता था तो वे कहते थे कि हम भारत के साथ हैं। फिर जब वे कोडेकैनाल पहुंचे तो उसकी ठंडी आबोहवा में क्या ऐसा बदलाव आया कि प्लेबिसाइट, रेफरेंडम, जनमानस की राय, ये बातें कहाँ से आईं? आप कुर्सी से बाहर होते ही कश्मीर में यह बात करने लगे कि प्लेबिसाइट कराइए कि हिन्दुस्तान में रहना है कि पाकिस्तान में रहना है कि जाना है कि कहाँ

जाना है, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। यह आपकी प्रजातंत्र के प्रति आस्था और प्रतिबद्धता का इतिहास है। सन् 1953 के बाद आपने प्लेबिसाइट की भी बात की। आपने रेफरेंडम की भी बात की। आपने जनमानस की राय की बात की। 20 साल तक आप यह कहते रहे। सन् 1953 तक आप हिन्दुस्तान के साथ थे, उसके बाद फिर एक और पलट आया, सन् 1975 में, इंदिरा जी ने आपको दोबारा मुख्य मंत्री बनाया। तब आप फिर हिन्दुस्तान के साथ हो गए। आपकी नज़र में जम्मू-कश्मीर ...*(व्यवधान)* I am not yielding. I will reply to everything.

...*(Interruptions)* No, I am not yielding. ...*(Interruptions)*

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Do not quote history selectively. ...*(Interruptions)*

DR. JITENDRA SINGH: I will quote. If you can quote, why can I not?

...*(Interruptions)* No, you have misquoted history. I am putting the record straight. ...*(Interruptions)* I will put the record straight. ...*(Interruptions)* I will

quote. If you can misquote, I will quote and set the record straight.

...*(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Please let him speak. Manishji, you are a very senior Member.

... *(Interruptions)*

माननीय सभापति : बिधूड़ी जी, आप बैठिए, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं ना।

...*(व्यवधान)*

(1400/KN/SM)

डॉ. जितेन्द्र सिंह: इतना ही नहीं, what I am saying is on record. 975 में एक समिति बनाई गई, देवीदास ठाकुर समिति just to justify this U-turn from plebiscite to Indianhood और उसने रिपोर्ट दी, जो मंत्रिमण्डल में पेश हुई। उसका तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुला ने अनुमोदन किया। उस रिपोर्ट ने कहा गया कि भारतीय संविधान के जितने भी प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू हुए तब तक शायद 200 हुए थे, वे सारे जनहित में हैं, प्रदेश हित में हैं। अब कहा जाता है कि हमारा स्पेशल स्टेटस खराब हो गया। ये प्रावधान असेम्बली के अनुमोदन से जम्मू-कश्मीर तक पहुँचाए गए। उस समय सरकारें किसकी थीं, नेशनल कांग्रेस की। हम तो अभी तीन साल पहले आए। फिर वर्ष 1987 की बात पोखरियाल साहब ने की। That was a turning point in the history of Jammu and Kashmir and a trigger for prolonged spell of militancy which we are still facing. वहाँ के ही एक ऐसे युवा उम्मीदवार थे, जिनका नामांकन रद्द कर दिया गया या उनको चुनाव में खड़ा नहीं होने दिया गया, वह जाकर आतंकी बने। इन बातों का जवाब कौन देगा? फिर यह कहा जाता है कि आप पीडीपी के साथ कैसे आ गए? मैंने पहले भी कहा था और एक बार फिर कहता हूँ कि that the coalition with PDP was dictated by the mandate of the people of Jammu and Kashmir. चुनाव के तीन महीने तक कोई राजनीतिक दल सामने नहीं आया। अगर आज हम भी न आते तो आज इसी सदन में यह आरोप लगता कि हम अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी से पीछे हट गए। लेकिन खूबी यह कि ढाई वर्ष के बाद जब ऐसा लगा कि लोगों में एक ऐसी राय बनने लगी और हम एक मिनिमम प्रोग्राम लेकर आए। we agreed to disagree कि हम अपने वैचारिक विषयों को दरकिनार करके मात्र और मात्र विकास के रास्ते पर चलेंगे, एक एजेंडा ऑफ एलाइंस लेकर, लेकिन जब हमारे लोगों की यह राय बनने लगी कि यह प्रयोग उस तरह से सफल नहीं हो रहा है जैसे हमने चाहा था we walked out. हमें कोई

मजबूरी नहीं थी। हमारे नेता वहाँ मंत्री थे, हमारे पास बहुमत था। कभी ऐसा हुआ है कांग्रेस के इतिहास में कि बहुमत में रहते हुए मंत्री पद छोड़ दें। So, we entered in the coalition dictated by the mandate of the people and we walked out of the coalition dictated by the will of the people because we are a Party with a difference. इसी के साथ-साथ मैं एक और बात जोड़ूंगा, जो आरक्षण की आई है। यह आरक्षण की बहस की नौबत क्यों आई because you have manipulated the Constitution of India to your convenience including Article 370 and Article 35A. जब आपको कनविनिंगेंट होता है, तो आपका स्पेशल स्टेटस हो जाता है, जैसे हसनैन साहब कह रहे थे। जब नहीं होता, तब नहीं होता। मैं बताता हूँ कैसे नहीं होता। आधुनिक भारत का सबसे ज़्यादा काला कालखंड है- इमर्जेन्सी का और उसका एक काला कानून है, जिसमें विधान सभा की अवधि पाँच साल से छः वर्ष कर दी गई। जब माननीय इंदिरा गांधी जी यह अमेंडमेंट नहीं लाई, यह 42 और 43 अमेंडमेंट था...(व्यवधान) 43 बाद में पास होते हुए। शेख अब्दुल्ला मुख्य मंत्री थे, तुरंत उसे अपना लिया, तब भारतीय संविधान के प्रति इतनी ज़्यादा वफादारी जागी कि उन्होंने कहा कि हमारी भी अवधि बढ़ती है पाँच से छः, लेकिन तीन वर्ष बाद मुरारजी भाई आए। इस अमेंडमेंट को रिवर्स कर दिया गया and that became 45th and 46th Amendments. उस वक्त आपका स्पेशल स्टेटस हो गया। अभी तक वापस नहीं है। एकमात्र ऐसी विधान सभा है, जहाँ 6 साल की अवधि है। हम माँग करेंगे उसको भी लाया जाए। आप पहले यह तो तय करिए कि आप स्पेशल स्टेटस के साथ है कि नॉन स्पेशल स्टेटस के साथ हैं? आप एक तरफ स्पेशल हो जाते हैं, एक तरफ नॉन स्पेशल हो जाते हैं, जहाँ आपको लाभ मिलता है, यही बात आपने वर्ष 1953 और वर्ष 1975 में की। यही बात आपने वर्ष 1996 में की, जब हसनैन साहब की पार्टी ताना लगाती थी एनडीए-एक पर कि आप क्यों नहीं जाते, आतंकवादियों के शिविरों पर हमला क्यों नहीं कर देते? आज वह कुछ और ही बात कर रहे हैं, जो सुर है, वह आप जानते हैं। Election boycott, autonomy, delimitation - बहुत जल्दी अपनाया लिया इन्होंने वह कानून वर्ष 2026 तक। उस समय इनको स्पेशल स्टेटस नजर नहीं आया। आप सोचते ना, आपका स्पेशल स्टेटस है, आपने

क्यों लागू किया? अगर embargo था हमारे देश में तो आपको तो कोई मजबूरी नहीं थी। But you felt that this will continue. Seventy-third and Seventy-fourth Constitutional Amendments राजीव गांधी ने किए, कांग्रेस पार्टी ने किए। कांग्रेस पार्टी कम से कम आग्रह करती अपने सहयोगी दल से, इसको लागू करो, वह नहीं किया। उस वक्त स्पेशल स्टेट्स आ गया।

(1405/CS/AK)

आरटीआई का प्रोविजन, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को अभी तक नागरिकता का अधिकार नहीं है। पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर वालों के लिए अभी मुआवजा देने की प्रक्रिया मोदी सरकार ने की। आपने स्पेशल स्टेट्स की धज्जियाँ तो स्वयं उड़ाई हैं और तीन प्रतिशत आरक्षण एलओसी इसलिए दिया गया, क्योंकि वहाँ आपका वोट बैंक था। This discrimination was not only against the youth of the border areas, but also against the human beings. आपने सीमा के आधे क्षेत्र को आरक्षण दिया, उससे अगले क्षेत्र को नहीं दिया, क्योंकि आपको ऐसा लगता था, इत्तेफाक से वह कठुआ और हीरानगर का मेरा चुनावी क्षेत्र है। वह पंजाब के साथ लगता है, मनीष जी जानते हैं, उसे इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, LoC is with PoJK. उसे दे दिया, इसे नहीं दिया। हमने तो उस पाप का प्रायश्चित किया है, जो आपने युवाओं और मानवता के साथ किया। We have tried to redo that policy. कहीं यह इतिहास विश्लेषण करेगा कि आपकी कौन सी मजबूरी थी कि आपको 3 प्रतिशत आरक्षण वहाँ देना पड़ा। मैं दो मिनट का समय लेकर अपनी बात समाप्त करूँगा। अब एक बात और भी आई कि क्यों नहीं बातचीत की जाती। मनीष जी ने कहा कि हिजबुल के कुछ नुमाइंदों के साथ हमारी बात हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत ज्यादा कत्ल-ओ-गैरत हो रही है। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊँगा, because it is not fair to score points by counting the number of dead or to say that more number of people died in your rule. हमारा संस्कार वैसा नहीं है, लेकिन अगर वैसा ही करें तो वर्ष 2008 में क्या हुआ? अमरनाथ आन्दोलन तो आपके होते हुए हुआ, उस समय मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे। एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा अमरनाथ के लिए स्थायी तौर पर देना था, उस पर इतना विवाद हुआ। वर्ष

2010 में क्या हुआ? उस समय नेशनल कांग्रेस की सरकार थी, उस समय इतना लंबा स्पेल ऑफ वाइलेंस चला। जब आप कहते हैं कि सेपरेटिस्ट से बात हो या दूसरे लोगों से बात हो, खैर उसका निर्णय तो गृह मंत्रालय करेगा, लेकिन आप कितनी कन्विक्शन और कितनी करेज के साथ कह रहे हैं, यह तो समझ में आना चाहिए। जिन लोगों में इतना साहस नहीं to call a 'terrorist' a terrorist, ऐसा कहते हुए उनकी जुबान लड़खड़ा जाती है, लेकिन फौजी, सेना पर उंगली उठाने में दो मिनट नहीं लगाते। इतना भी परहेज नहीं करते कि उनके गिर्दोनिवाह जो एसपीजी और सीआरपीएफ के लोग उनका पहरा दे रहे हैं, उन्हें गाली देने का वे घोर पाप कर रहे हैं। It is a sacrilege. यह एक ऐसा पाप है, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। फिर बातचीत क्यों की जाए और किससे की जाए? आपके ज़हन में वही तीन-चार चेहरे घूम रहे हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि वे स्टैक होल्डर्स हैं। Who are the stakeholders? कश्मीर घाटी तो पूरे जम्मू-कश्मीर का केवल एक तिहाई हिस्सा है। What about Jammu or Ladakh? कश्मीरी पंडित समुदाय को इतनी बड़ी मात्रा में रातोंरात घर, रसोई छोड़कर भागना पड़ा। Are they not the stakeholders? In the history of the world, after the exchange of partitions of 1947, this was the biggest exodus that had happened. उस समय बजाय सहानुभूति देने के यह कहा गया कि ये नोएडा, दिल्ली, जम्मू में प्लॉट लेने आए हैं...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): दस साल एनडीए सत्ता में रही...(व्यवधान)

DR. JITENDRA SINGH: No, I am not yielding. ...(*Interruptions*) आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। “मोहसिन भोपाली” ने बंटवारे की कत्ल-ओ-गैरत देखकर एक शेर कहा था कि :

बे-सबब लोग बदलते नहीं मस्कन अपना।
तुम ने जलते हुए देखा है नशेमन अपना।।

इतनी गैर संवेदनशीलता के साथ आपने परदों के विषय को लिया। पीओजेके के रिफ्यूजीज का क्या हुआ, पश्चिम पाकिस्तान शरणार्थियों का क्या हुआ और अब बात यह कही जाती है। आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, militancy is on its way out. We are going through the last

phase of militancy in Kashmir. आप इसे नोट कीजिए और कुछ एक महीनों के बाद हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे। बालाकोट के बाद सेना का मनोबल बढ़ गया। प्रधान मंत्री के नेतृत्व में मोदी सरकार ने आतंकवाद के साथ कैसे निपटा जाए, उसका नैरेटिव बदल डाला। There is a huge change of approach as far as tackling terrorism with zero-tolerance is concerned और फिर कहा जाता है कि अभिनन्दन तो वहाँ गया ही नहीं था। नेशनल कांफ्रेंस के कुछ नेताओं ने यह कह डाला। मैंने कहा कि हम तो ऐसा नहीं कहते, हम तो सोते-जागते भी, सपनों में भी हमारा संस्कार ऐसा है कि हम सेना के ऊपर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाते। हम एक साधारण कार्यकर्ता की तरह यही कह सकते हैं कि अगली बार जब अभिनन्दन जाए, क्योंकि वह ड्यूटी पर आ गया है, तो कुछ एक ये भी अपने प्रतिनिधि परखने के लिए भेज दें कि कुछ हुआ या नहीं हुआ।

Now, I am making a serious allegation before I conclude, and I have no hesitation in doing so.

(1410/UB/RV)

There is a vested interest in Kashmir in the continuation of militancy. This vested interest is not only confined to other sections of society but also to the so-called mainstream political parties which are beneficiaries of low-voter turnout, beneficiaries of holding elections in the atmosphere of intimidation which enables them to carry on their dynasty rule generation after generation. आज अगर वहाँ माहौल बन जाए, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से खुले तौर पर चुनाव हो, तो शायद इनको दिक्कत होगी। साथ ही साथ, हमारे बुद्धिजीवी हैं। एक नया चलन शुरू हुआ है। दो दिनों के लिए कश्मीर जाइए, शिकारे की सैर कीजिए, दिल्ली आइए और किताब लिख डालिए। आप कश्मीर एक्सपर्ट बन गए। There is a collusion between these Kashmir experts from the political spectrum and Kashmir experts from the intellectual spectrum. This intellectual terrorism,

let me repeat the term 'Intellectual Terrorism', is causing as much harm as the terrorists in the country.

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): माननीय मंत्री जी, थोड़ा संक्षेप में अपनी बात रखें।

डॉ. जितेन्द्र सिंह: महोदय, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ।

अन्त में, मैं यह कहूँगा कि the only silver lining there is the youth of Kashmir. जिसकी आपने अभी चर्चा की। कश्मीर का युवा आगे बढ़ चुका है। मैं जो भी बात कह रहा हूँ, आंकड़ों के साथ कह रहा हूँ, ऑन-रिकॉर्ड कह रहा हूँ। हर वर्ष सिविल सर्विसेज की परीक्षा में, आई.ए.एस. में एक न एक टॉपर कश्मीर घाटी के आतंकवाद प्रभावित जिले से रहता है। पिछले वर्ष 35 से 40 बच्चे आई.आई.टी. जे.ई.ई. की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर देश भर में आई.आई.टी. में और एन.आई.टी. में गए। 50 बच्चे एन.ई.ई.टी. के थ्रू मेडिकल कॉलेजों में गए। कभी-कभी तो व्यक्ति ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाता है that the aspirations of Kashmir's youth are perhaps more than the aspirations of their counterparts in the other parts of the country. लेकिन वह एक भय, खौफ़ के पर्दे से रूका हुआ है। जिस दिन वह खुलेगा, यह पर्दा चला जाएगा।

जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सम्बन्ध है, हमारी नीयत, हमारी कन्विकशन पर कोई प्रश्न उठाए, इसका सवाल ही नहीं होता। We have invested heavily in Kashmir. We have lost our founder leader, Dr. Shyama Prasad Mukherjee in Kashmir.

अन्त में, मैं यह कहूँगा कि माननीय गृह मंत्री जी ने जो डेवलपमेंट की बात की है, मैं उसे दोहराऊँगा नहीं, लेकिन मोदी सरकार के चलते और राज्यपाल शासन के बाद दो-दो एम्स, पाँच-पाँच मेडिकल कॉलेज बने। पुलों का जाल बिछ गया, सड़कों का जाल बिछ गया। रिजनल बैलेंस जाता रहा, जिसकी शिकायत जम्मू और लद्दाख़ करते थे। आज यह जो तीन प्रतिशत आरक्षण का बिल लाया गया है, यह भी उसी का प्रमाण है।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं यह प्रार्थना करूंगा कि a terrorist is a terrorist, is a terrorist. That is the bottom line. Let us leave it to the discretion and wisdom of the security agencies to decide how to deal with it.

दूसरा, मैं अपनी बिरादरी के सज्जनों से प्रार्थना करूंगा कि please do not use terrorist or the bogie of terrorism to score your critical points with us. Those who seek the aid of terrorism for political gains are liable to be consumed by the same terrorism. यह चेतावनी हमारे लिए तो है ही, आपके लिए भी रहेगी। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यह कहूंगा कि आज कश्मीर में पोस्ट-1990 जेनरेशन है। More than 70 per cent population is below the age of 40. They have moved on. Whether you like it or not, whether anybody likes it or not, the youth of Kashmir has already become a part of the development journey of Modi's 'New India'.

(ends)

1413 hours

SHRI KANUMURU RAGHURAMA KRISHNARAJU (NARSAPURAM): I thank my dynamic Leader, Shri Y S Jaganmohan Reddy for giving me an opportunity along with twenty-one other Members of Parliament to be in this august House. I would like to congratulate the hon. Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji and the BJP President, Shri Amit Shah ji on their unprecedented victory in a row and I really appreciate the team in this regard.

Now, I am coming to these two Bills which have been placed. First is about the extension of the Ordinance for six more months under Article 356 which has been originated by virtue of parting of the Parties, PDP and BJP. It has been explained very clearly in a simple and obliging manner by the hon. Home Minister.

(1415/KMR/MY)

Our Party, especially after listening to the hon. Home Minister, is totally convinced and we are totally in support of this extension. It has been promulgated originally under section 92 of Jammu and Kashmir Constitution and then has been extended subsequently by six months by issuance of an Ordinance.

1415 hours

(Hon. Speaker *in the Chair*)

Sir, I have listened carefully to some of my colleagues from other parties as they commented on why Assembly elections were not held along with Lok Sabha elections. I slightly differ with the view of my colleagues from other parties in this regard. In parliamentary elections the number of candidates is very small.

However, during elections to the Assembly with 87 Constituencies with so many parties in the State, to give protection to around 1,000 candidates is difficult. If any untoward thing happens to a candidate, it may lead to a law and order situation. Perhaps to hold a peaceful election later, the Government has taken this decision of conducting the Assembly elections separately. I wholeheartedly welcome that decision of holding the two elections separately.

I heard that to secure the vote of one elector, an 8-member team has travelled all the way and supported the electoral process. I believe that since all the elections are over now and the Election Commission is totally committed, with that team spirit and with the support of the Central Government the State elections also will be held.

Coming to the Bill for extending reservation to people living along the International Border, we fully support the Bill. As many people have said, peace and prosperity are required there. Vajpayee Ji, as many colleagues have said, spoke of *Insaniyat, Jamhooriyat and Kashmiriyat*, I am sure the followers of Vajpayee Ji would continue to work in the same spirit. A colleague has stated that even though the reservation is extended to more people, the three per cent may not be sufficient and the opportunities will go up if more institutions are set up and more jobs are created by the Central Government and private entities. I would request the Government to kindly consider this.

With this, my party and I wholeheartedly support the Government Resolution and the Bill. Thank you.

(ends)

1418 बजे

श्री राहुल रमेश शेवले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष महोदय, जम्मू एवं कश्मीर की जनता को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यह बिल लाने के लिए मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को अपनी पार्टी शिवसेना की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मेरी पार्टी शिवसेना इस बिल का समर्थन करती है। एनडीए सरकार ने यह पहल करके उस प्रथा को तोड़ने का प्रयास किया, जिसे कश्मीर पर 70 वर्षों से राज करने वाली सरकारों ने अलगाववादियों से मिल कर वहाँ की जनता को हमारे संविधान के अनुरूप कोई काम नहीं करने दिया और न कोई सुविधा प्रदान की। शिवसेना पार्टी के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी ने हमेशा हरेक केन्द्रीय सरकार को चेताया कि धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को मुख्य धारा में लाया जाए, ताकि वहाँ की जनता को न्याय मिले और संविधान में प्रदत्त सभी सुविधाएं उनको मिले, परन्तु हुआ क्या? वहाँ के एक समुदाय कश्मीरी पंडितों को खदेड़ कर बाहर कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कश्मीर सिर्फ एक समुदाय की बपौती है? आज भी कश्मीरी पंडित देश के कई भागों में भटकते फिर रहे हैं, जिनके बारे में किसी को सोचने की फुर्सत नहीं है। वे आज भी जम्मू कश्मीर राज्य के निवास हैं, पर उनको अपने घर में रहने नहीं दिया जाता है। इस बिल को पास करने के बाद उनको अपने राज्य तथा अपने घर में रहने का अवसर मिलेगा और सरकारी नौकरी में भी उनको अवसर मिलेगा। यह एनडीए सरकार की ओर से एक अवसर दिया गया है जिससे उनको उनका संपूर्ण अधिकार अपने राज्य में मिलने वाला है। यह साहसिक कदम एनडीए सरकार ही उठा सकती है, जो हर प्रकार से संविधान के अनुसार कार्य करके हरेक भारतीय को उनका अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। अब वक्त आ गया है, जब माननीय मोदी जी की रहनुमाई में वहाँ संविधान के अनुसार सभी कार्य किए जा सकते हैं।

अध्यक्ष जी, वर्ष 1949 में माननीय डॉक्टर अम्बेडकर ने धारा 370 को ड्राफ्ट करने से मना कर दिया था।

(1420/CP/SNT)

तब नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला से कहा कि अंबेडकर जी से कंसल्ट करके ड्राफ्ट बना कर संविधान में शामिल किया जाए। असल में माननीय अंबेडकर जी ने मना करने पर भी गोपालस्वामी अय्यंगार जो महाराज हरि सिंह के दीवान थे, उन्होंने नेहरू जी के आदेश पर धारा 370 का ड्राफ्ट तैयार किया और संविधान में शामिल किया। I quote:

“the Government of the State means the person for the time being recognized by the President as the Maharaja of Jammu and Kashmir acting on the advice of the Council of Ministers for the time being in office under the Maharaja, proclamation dated 5th day of March, 1948.”

मूल रूप में इस धारा में यह प्रोविजन था कि महाराजा केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिशों के अनुकूल कार्य करेंगे, परन्तु नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला की सांठगांठ से इसमें संशोधन करके केन्द्रीय मंत्रिमंडल के बजाय राज्य सरकार के अधीन कर दिया गया। आजाद भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल भी धारा 370 के हक में नहीं थे। देखा जाए तो सरदार साहब के प्रयासों से ही भारत एक प्रभुता सम्पन्न देश बन पाया। यह उन्हीं के सतत प्रयासों का फल है कि हम एक देश भारत के निवासी हैं, वरना छोटे-छोटे राज्यों में बटे होते। कल राज्य सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी ने सरदार पटेल जी के बारे में बहुत कुछ कहा और हमारे कांग्रेसी भाइयों को इनवाइट किया कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की एक बार विजिट करें। माननीय अमित शाह जी भी गुजरात से आते हैं और अब गृह मंत्रालय का भार उनको मिला है। देखा जाए तो आजादी के बाद गुजरात से बीजेपी के पहले गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी बने हैं, तभी हम सभी अमित शाह जी के अंदर सरदार साहब की छवि देखते हैं और आशा करते हैं कि उनके कार्यकाल में सतत प्रयासों से शीघ्र ही जम्मू-कश्मीर की समस्या का सही हल निकाला जाएगा।

असल में कांग्रेस सरकार कभी भी जम्मू-कश्मीर की समस्या को समाप्त नहीं करना चाहती थी और स्पेशल स्टेटस देकर इस राज्य को देश की मूल धारा से अलग-थलग कर दिया गया। 90 के

दशक में आतंक को पनाह देकर ऐसी समस्या को जन्म दिया जो नासूर बन कर इस देश को दीमक की तरह चाट रही है। यह कैसी विडम्बना है कि धारा 370 के प्रोविजन के अनुसार भारतीय संसद को अपने देश के एक राज्य की सीमाओं का सीमांकन करने का अधिकार नहीं है। जम्मू-कश्मीर में अलग संविधान का क्या मतलब है और यह क्यों चल रहा है? और तो और किसी देश के एक राज्य का झंडा भी अलग है, यह कैसा कानून है और क्यों इस पर अमल हो रहा है? हम इस अन्याय को कैसे बरदाश्त कर रहे हैं? हम सभी सांसद एक साथ खड़े होकर क्या इस स्थिति को बदलने में समर्थ नहीं हैं? इस पर भी अमेंडमेंट लाकर सरकार को 'एक देश एक झंडा' पर बिल लाकर इस असंगति को दूर करना चाहिए।

अध्यक्ष जी, हमारा दिल दुखता है, जब हम अपने कश्मीरी भाइयों को हर सुविधा से दूर पाते हैं। अशिक्षा से ग्रस्त युवा बच्चे जिनको स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उनको बहका कर उनसे सेना पर पत्थरबाजी कराते हैं। आज वहां के युवा का भविष्य क्या है? वह आज बेचैन और परेशान है। वहां नौकरी नहीं है। व्यवसाय रोज-रोज के बंद से खत्म होते जा रहे हैं। आतंक के कारण वहां सब कुछ नष्ट होता जा रहा है। अब इस अमेंडमेंट के पास होने पर सभी, यानी एससी, एसटी और इकोनॉमिकल वीकर सैक्शन की सवर्ण जनता और सभी नागरिकों को समान रूप से जेएंडके राज्य में आरक्षण प्रदान करने का एनडीए सरकार का प्रयास है, तो सभी समुदायों को इसका लाभ मिलने वाला है।

लाइन ऑफ कंट्रोल के दस मीटर के दायरे में रहने वाली जम्मू-कश्मीर की जनता को इस बिल के द्वारा बहुत राहत मिलने वाली है। यहां पाकिस्तान की सेना लगातार शेलिंग करती है, जिससे उनका जीवन कठिनाइयों में डूबता जा रहा है। इनके लिए सरकार बहुत राहत देनी वाली है। आर्टिकल 45 में जम्मू-कश्मीर में स्कूली शिक्षा 14 साल तक की उम्र के लिए फ्री देने का प्रावधान है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आस-पास 10 किलोमीटर के एरिया के निवासी हैं, उनके लिए इस बिल में सभी को फ्री शिक्षा और सरकारी जॉब देने का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष जी, मैं एक बार फिर आदरणीय बाला साहेब ठाकरे के शब्दों को दोहराना चाहता हूँ कि शीघ्र ही संविधान में संशोधन करके धारा 370 को समूल रूप से हटाने का काम हमारी सरकार करे। माननीय अमित शाह जी आपको जानकारी है कि शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी का तब बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं था और अब देश हित में यह गठबंधन हुआ है, जिससे यह धारा 370 समाप्त हो। देशद्रोह की बात करने वालों के लिए सख्त कानून बनाने पर समझौता हुआ था। इन सभी मुद्दों का एनडीए के मैनिफेस्टो में भी जिक्र किया गया।

अतः सरकार इन मुद्दों पर शीघ्रता से बिल लाए। सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस बिल को समर्थन देकर पास करें, जिससे जम्मू-कश्मीर की जनता को लाभ मिले और उन्हें अपने भारतीय होने पर गर्व से जीने का अधिकार मिले।

एक बार फिर मैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।

(इति)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आग्रह करूंगा कि साढ़े तीन बजे हमें प्राइवेट मेंबर बिल शुरू करना है, इसलिए दो मिनट में अपनी बात कह दें। माननीय गृह मंत्री जी के उत्तर की ढाई बजे शुरुआत हो जाएगी, इसलिए आग्रह है कि दो-दो मिनट में सब अपनी बात कह दें।

श्री कौशलेन्द्र कुमार जी।

(1425/NK/GM)

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जम्मू-कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत छह माह की अवधि को आगे जारी रखने और आरक्षण संशोधन विधेयक की चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

आजादी के बाद जम्मू-कश्मीर हमेशा विवादों में रहा है। जम्मू-कश्मीर की जो वर्तमान हालत है, देश में आम चुनाव के समय वहाँ की विधान सभा का चुनाव नहीं कराया जा सका, इस कारण राष्ट्रपति शासन की अवधि को आगे बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। चुनाव के अनुसार भी वहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति चुनाव के अनुकूल नहीं है, जैसी कि रिपोर्ट आई है। सीमा पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रह रहे लोगों पर गोलीबारी और कई तरह की घटनाएं घटती रहती हैं।

जब वहाँ के स्थानीय बच्चे स्कूल जा रहे थे, वैसे लोगों पर भी रोड़ेबाजी और गोलीबारी हुई है। मैं आरक्षण संशोधन विधेयक पर भी बोलना चाहता हूँ। मैं दो मिनट का समय चाहूँगा। इस कानून के तहत आरक्षण व्यवस्था में बदलाव कर जम्मू-कश्मीर की नियंत्रण रेखा के आसपास रहने वाले लोगों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा। अभी तक यह आरक्षण केवल लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ रहने वाले लोगों को ही मिलता था। इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले लोग उससे वंचित रह जाते थे। प्रधान मंत्री जी का संकल्प सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास को पूरा करने का काम एनडीए सरकार लगातार कर रही है। आरक्षण संशोधन का प्रावधान दस प्रतिशत गरीब सवर्णों के लिए पूरे देश में लागू हुआ था, उससे जम्मू-कश्मीर आज भी वंचित है, यह भी लागू हो जाएगा। एससी/एसटी और ओबीसी के लिए भी जो आरक्षण है वह भी लागू हो जाएगा। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1427 hours

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Speaker, Sir, actually I am not going to give a speech on the Resolution and the Bill. I have certain questions or some queries. I have the Sankalp Patra of Bharatiya Janata Party before me. Here are the first two lines: Secure India, Determined India. The first one is 'continue our policy of zero tolerance against terrorism and extremism and empower security forces in combating terrorism.' The second line is more important: committed to the abrogation of article 370 and annulment of article 35A.

To a certain extent, my friend Shri Jitendra Singh also mentioned these two issues. I think the Home Minister can throw some light on what progress the Government is making on these two issues. These are certain things which many enlightened citizens of this country would like to know. I support certain aspects of it but do not support certain other aspects of it. But these are two things which have been incorporated in our Constitution and which need reconsideration and revisit. I would not go into the history because it has already been stated by a number of hon. Members. Since Jammu and Kashmir has a separate Constitution, six months' Governor Rule is compulsory under article 92 of the Constitution of Jammu and Kashmir, under which all the legislative powers are vested with the Governor. That is how the Governor has requested after the President's Rule came into existence. Under section 92, there is no provision for further continuation of Governor's Rule after six months. Therefore, President's Rule was imposed on 28th December 2018. The Resolution approving the

President's Rule was passed in the Lok Sabha where you were also a Member and so was I, and in Rajya Sabha on 3rd January 2019. As elections could not take place for the Assembly during these six months though an assurance was given that within these six months the Government will try to have elections in Jammu and Kashmir, it could not happen and there is a need to extend the President's Rule for another six months' time. But the question is: can Presidential Proclamation remain in perpetuity? No, it cannot remain for more than three years except for the intervention of the Election Commission.

(1430/RSG/SK)

The Government has very little role to play. The Election Commission has to certify that the continuance is necessary on account of difficulties in holding elections to the Legislative Assembly.

I would also like to mention here that before the date was fixed, two persons were sent to Jammu and Kashmir to find out whether to hold the Assembly elections or not. It was only after their report was provided to the Election Commission that it was decided that we would not be holding the Assembly elections. Why did it not happen? I think, the Minister concerned would be telling us the reason.

I would like to mention about the formation of the Government in 2015. The intelligence of the people was challenged but it was only Mufti *sahab's* presence – whose name has been very rarely mentioned – and his leadership because of which everyone tolerated the situation.

I fully agree that there is no cause to worry because this Government is showing zero tolerance towards terror after the elections. I would not mention about Articles 370 and 35A but I would like to ask certain questions here. An Article is normally put to use; it is also put to disuse; at times, it is profusely used; and it is Article 356. In our country, Article 356 has been repeatedly used and Odisha has been a victim but it was all before 1994. After that, it is a rarity and it is out of compulsion.

I would like to mention something here. Once I had asked a General at a dinner in Rashtrapati Bhawan – we were sharing the same table – how there was so much of intrusion taking place from the western border. He said that it happened because of certain things. We have fenced our borders but still a large number of people come inside. That is a point which needs to be taken care of.

I need two clarifications. A clarification is required to clear the air regarding the passing of this Bill. The State of Jammu and Kashmir has a Constitution. This reservation of three per cent emanates from that Constitutional provision. By virtue of the Indian Constitution, this amendment is going to give effect to it. Once a popular Government comes into being in Jammu and Kashmir, will this amendment which we are clearing in Parliament need to be ratified by the Jammu and Kashmir Assembly? Let us presume that it would be done so. But what is the purity of the Jammu and Kashmir Constitution? Now, this Parliament is the repository of all the powers of the Jammu and Kashmir Constitution because a popular Government does not exist there. This point I feel is a grey area which needs to be clarified. There is a possibility that the Jammu and

Kashmir Government, because of the mandate they may get, may decide otherwise. That is a question which needs to be addressed threadbare.

The second clarification I would seek is regarding the talk of delimitation, which is there in the media, of the Assembly constituencies of Jammu and Kashmir. I feel that the manner in which the constituencies of the Assembly were demarcated in Jammu and Kashmir was very much heavily in favour of the Valley. Is the Government thinking of correcting that mistake; it is considered necessary with the population as the criteria by which delimitation has to take place. Are you in a position to clarify this today whether it is under consideration? I believe that mistake needs to be corrected.

Thank you.

(ends)

1434 बजे

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): माननीय अध्यक्ष जी, जम्मू-कश्मीर का इश्यू इतना सेंसिटिव है कि इस पर सभी दलों को विस्तार से बात रखने का मौका देना चाहिए।

(1435/MK/RK)

आज जम्मू एंड कश्मीर की जो स्थिति है, उसमें मैं अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अपना स्टैंड, पार्टी का स्टैंड क्लीयर करना चाहता हूँ। यह स्थिति ऐसे ही उत्पन्न नहीं हुई है। आज भले ही उधर बैठे हुए लोग, इधर के लोगों को ब्लेम करें या इधर बैठे हुए लोग उधर के लोगों को ब्लेम करें, कहीं न कहीं हम सब लोग जिम्मेदार हैं, चाहे शेर-ए-कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब को इम्प्रीजन किया गया हो या वर्ष 1986 में जब वहां सरकार बदलने की कोशिश की गयी हो। उसके बाद आज भी पिछले कुछ वर्षों से बहुत जल्दी में अपना पोलिटिकल बेस एक्सपेंड करने की कोशिश के चक्कर में हम कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर के जो असली मुद्दे हैं उससे भटक रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में पहले भी बहुत मजबूत सरकारें रहीं हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में और आज भी बहुत मजबूत सरकार है आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन जैसा वाजपेयी जी ने कहा था कि हम इंसानियत, कश्मीरियत, जो ह्यूमन टच वहां के लोगों को देने की जरूरत है उससे हम कहीं न कहीं भटक गये हैं। मुझे याद है 90 के दशक की बात यहां हुई। 10 वर्षों तक कोई प्रधान मंत्री जम्मू कश्मीर के कश्मीर वैली में भी नहीं गया था, लेकिन शायद जिन सरकारों को कमजोर कहा जाता है इस देश में ऐसी ही एक सरकार के प्रधान मंत्री श्री एच.डी.देवेगौड़ा जी 10 वर्षों के अंतराल के बाद कश्मीर वैली में गये थे और राजौरी के अंदर ओपन जीप में उन्होंने दौरा किया था। जम्मू कश्मीर का एक-एक इंच का हिस्सा हमारा है, जम्मू कश्मीर का एक-एक बाशिंदा हमारा है। हम केवल जमीन की बात नहीं करते हैं, हम वहां रहने वाले हर एक इंसान की बात करते हैं। हमें इंसानियत की नजरिए से भी देखना होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब हमारा चुनाव आयोग लोक सभा चुनाव पीसफुल कंडक्ट कराने में सफल हो गया तो आखिर ऐसी कौन-सी वजह थी कि

हम वहां पर विधान सभा का चुनाव नहीं करा पाए। इसमें कहीं न कहीं कुछ बू आती है। हम लोग, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमें अपनी राजनीति से ऊपर उठकर, जो हमारे सर का ताज है उसको हमें ध्यान में रखना होगा। सरकारें आती हैं, जाती हैं। एक प्रदेश में आई, दूसरे में गई, कोई परमानेंट नहीं है जो लोग यहां बैठे हैं या वहां बैठे हैं। मेरा यही कहना है कि हम हमेशा से धारा 356 के खिलाफ रहे हैं, प्रेसिडेंट रूल के खिलाफ रहे हैं। हम अभी भी सरकार से कहेंगे कि जल्द से जल्द वहां पर चुनी हुई सरकार आए और जहां तक रिजर्वेशन में अमेंडमेंट की बात है, मैं समझता हूं कि जिन लोगों के लिए किया जा रहा है हम उसके समर्थन में हैं। जो इंटरनेशनल बार्डर पर रहते हैं चाहे जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बार्डर पर हों या और प्रदेशों के इंटरनेशनल बार्डर पर हों, उनका जो बलिदान है उससे हम पीछे मुंह नहीं मोड़ सकते। उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हमें देनी चाहिए। लेकिन, यह अधिकार जम्मू कश्मीर की चुनी हुई असेम्बली और सरकार का है। मैं समझता हूं कि यह उन पर छोड़ देना चाहिए था। हम कहीं न कहीं इसमें राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम लोग यहां पर जो भी करें, यह जो नई सरकार आई है, नए गृह मंत्री जी आए हैं, जैसे सत्तापक्ष के एक सदस्य ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के मामले में यह सरकार पहल करेगी और जम्मू कश्मीर में लांग टर्म के लिए शांति बहाल करने और वहां पर एक चुनी हुई सरकार का रास्ता साफ करने के लिए आगे कदम बढ़ाएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया।

(इति)

(1440/YSH/PS)

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): आज आदरणीय गृह मंत्री जी ने रिज्योल्यूशन के साथ-साथ बिल को इंट्रोड्यूस किया है। उन्होंने इन्ट्रोडक्शन के साथ-साथ कुछ इश्यूज को, जो हाउस में प्रस्ताव किया उसके लिए बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले इसमें जो दो इश्यूज है, करीब-करीब 1500 बंकर्स अभी रिसेन्टली कम्पलीट किए है, उसका प्रोग्राम है। दूसरा जो पंचायत का चुनाव हुआ है। पंचायत के चुनाव में किसी तरह का दंगा नहीं हुआ है। पंचायत के चुनाव बहुत सक्सेसफुली कम्पलीट हुए हैं। इन दोनों के लिए उन्हें बधाई देनी है। जम्मू एण्ड कश्मीर भी भारत देश का भाग है, वहां पर जो लोग जी रहे हैं उन लोगों की तकलीफ हम लोग टी.वी. पर देखते हैं। जब भी बॉर्डर पर कोई टेंशन होती है तो जो लोग बंकर्स में जी रहे हैं, उन लोगों को देश के कोने कोने से मदद देनी चाहिए। उन लोगों की फर्दर सेफ्टी के लिए जो 15 हजार बंकर्स बनाए गए हैं उनका धन्यवाद गवर्नमेंट को देना चाहिए। उसके साथ-साथ हम लोग जब 15वीं लोकसभा चल रही थी, उस समय स्टूडेंट्स का स्टोन थ्रोइंग का लगातार काम चल रहा था। हम लोग 15वीं लोकसभा चलने के समय में पक्ष-विपक्ष भी यही बोला था। कश्मीर में अभी तक 300 बच्चों की स्टोन पेल्टिंग में डेथ हुई है, उसके बारे में इस हाउस में चर्चा होनी थी। हम सबने मिलकर उस टाइम यू.पी.ए. गवर्नमेंट पर दबाव डाला। उसके बाद हम सभी पार्टि के लीडर्स को लेकर तीन दिन जम्मू और कश्मीर दोनों जगह गए। हमारी सभी लोगों के साथ मीटिंग हुई थी। तीन दिन में मार्निंग से इवनिंग तक हर सैक्शन को बुलाकर बात से उन लोगों ने जो मुद्दा बताया उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा युवाओं के पास नौकरी नहीं थी, जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। कोई इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट नहीं है इससे पहले हम टूरिज्म की वजह से जी रहे थे। आज के दिन में टूरिज्म नहीं है। इस तरह से तकलीफ उन लोगों ने बताई थी। आज के दिन में रिजर्वेशन पर जो बिल आया है, इन्टरनेशनल बार्डर तक ले जाने के लिए जो बिल है, उसका हम पूरा सपोर्ट करते हैं। हमारे नेता के.सी.आर. जी कोई भी रिजर्वेशन हो एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., सब जगह जो माइनोरिटीज के रिजर्वेशन का बिल है, फ्रॉम दी बिगनिंग, हम लोगों की मदद कर रहे हैं, उसी तरह रिजर्वेशन के बिल में करते हैं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। (इति)

1444 बजे

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): माननीय अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। समय बहुत कम है और गृह मंत्री जी जब अपना उत्तर दे रहे थे, तब उन्होंने बोला कि समय बचाने की कोशिश की जा रही है। दो अलग हैं, एक रेजोल्यूशन है, एक बिल है, तो मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा कि यह प्रायः समझौते के बचाने की नहीं, कश्मीर बचाने की, लोग बचाने की और लोकतंत्र बचाने की होनी चाहिए और इसी के साथ आपके जरिए दो बातें आगे रखना चाहता हूँ।

सर, एक बात यह कि अभी युवा लोगों को जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ऐसी परिस्थितियाँ अन्य स्टेट्स की भी हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। क्या ये रिजर्वेशन, जो जम्मू कश्मीर में बढ़ाया जा रहा है, यह उन स्टेट्स में भी बढ़ाया जाएगा, जहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल सिमिलर हैं।

(1445/RPS/RC)

दूसरी बात यह है कि अभी सरकार वहाँ राष्ट्रपति शासन को छः महीने बढ़ाने की कोशिश कर रही है। Can the Government ensure that within the coming six months they will hold the elections and no similar Resolution will have to be passed again after six months? Can the Government ensure this?

(ends)

1445 hours

SHRI MOHAMMED FAIZAL P.P. (LAKSHADWEEP): Mr. Speaker, Sir, I thank you very much. In fact, my floor Leader Supriya Sule was supposed to speak on this but due to some emergency, she has to leave the House. I feel that this is my moral responsibility to talk on Jammu and Kashmir Reservation Bill. One thing I must appreciate in the House that for the first time in the history of Lakshadweep, we have got a politically nominated Administrator/Lieutenant Governor, Mr. Farooq Khan. This has been done by this Government. He belongs to a place in Jammu and Kashmir. So a representative from Lakshadweep should talk on this. Since he is doing so many good jobs for Lakshadweep, I should also talk about Jammu and Kashmir. This is my moral responsibility.

As regards Jammu and Kashmir Reservation Bill, on behalf of my Party, I rise to support this Bill. With that, I would supplement and add a few more things. When I happened to visit Jammu and Kashmir just 6-7 months before, I was travelling in a taxi and was interacting with the taxi driver. I asked him as to what his vision is, what he is looking for and why he is looking so much de-motivated. He replied to me that हमारे लिए कुछ अलग से बनाकर दे दो। हमें अलग से एक हिस्सा दे दो। I said that that is not the way he should think. We are all Indians and we should think about unitedness and definitely together we can do a lot many things. So I would want to reiterate in the same way that though the reservation is coming for the benefit of the people of Jammu and Kashmir those living along the international borders, we should also concentrate on bringing a lot many welfare

schemes so that those people who are really de-motivated can be brought into the mainstream.

As far as extension of election to the Assembly is concerned, we all believe in the democratic set up here. The extension of the President Rule will definitely not support the people's aspirations. That is what I believe. A peoples' Government, a stable Government and an elected Government should be there. The Government had all the facilities and chances to conduct the Assembly elections along with Lok Sabha elections. But what is the reason for not conducting simultaneous elections, I believe, the Home Minister, Shri Amit Shah Ji would explain that.

With this, I conclude my speech.

(ends)

1448 hours

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I stand to oppose the President's Rule because it is a violation of article 370. It is very clear that by extending the President Rule, this Government is violating article 370.

Secondly, yesterday the hon. Home Minister was in Jammu and Kashmir. He looked very handsome over there by wearing that pagri of Bakrawal. I want to know from the Home Minister as to what is the definition of peace in his thinking. Do we want peace of a graveyard or do we want peace of mind? What we are seeing now in Kashmir Valley is the peace of a graveyard. That will not sustain us. Kashmir is a part of our country and it will definitely be but how do you bring peace of mind?

For example, when the Home Minister was there yesterday, the whole Valley was closed. Is that the definition of peace? ...(*Interruptions*). It is because the Home Minister was in town, a traffic advisory was issued by the Governor, due to which not a single person could come out of his house. Is that peace? No. You say that the strike was not called. Last time, when Mr. Rajnath Singh as a Home Minister went there, there was no strike.

Thirdly, I want to know from the hon. Home Minister whether he will accept the talks offer given by Mirwaiz Farooq. He has given an olive branch. Will this Government take it forward?

Fourthly, I want to tell the hon. Home Minister that his spokesperson has said that they are dissolving this Government because of Shujaat Bukhari's death.

(1450/SNB/RAJ)

Can you please tell us what has been the progress in Sujat Bukhari's murder investigation? Are you going to say that because we have killed that militant, a terrorist, Sujat Bukhari's investigation is over? I would like to know the details from the hon. Home Minister.

The other point is that I would like to know from the hon. Home Minister as to whether he can provide the list of how many Kashmiri Muslim Officers are working. The reason I say this is because the list clearly shows the ratio as 68 per cent to 28 per cent.

What is this theory about delimitation? One hon. Member said that it is slated towards Kashmir. I respectfully submit that there are 15 lakhs more people living in the Valley. Are you for delimitation? Can you please tell us how many Kashmiri Pandits have you taken back in Kashmir in the last five years? Please tell the House. It is because this has been an election issue. You use article 370; you use Kashmiri Pandits to beat us, to create an atmosphere of fear.

These are my important questions on which I seek answers from the hon. Home Minister. Please bring peace of mind and not peace of a graveyard. There have been so many IDE attacks. Since 2005, 73 security personnel died during the rule of this Government. Eighty-seven locals have been killed. We want to know your position on shooting of boys. These questions have to be answered by the hon. Home Minister.

Thank you.

(ends)

1452 बजे

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, अगर समय कम है तो मैं अपनी स्पीच ले भी कर सकती हूँ।

माननीय अध्यक्ष : आप बोलें।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): आदरणीय अध्यक्ष जी, इस पर सुबह से विचार हो रहा है और पता चला कि गृह मंत्री जी पहुंचे। वर्ष 1990 के बाद पहली बार एहसास ऐसा हुआ कि कश्मीर वैली में कोई प्रोटैस्ट, कुछ नहीं हुआ। मैं उस विषय में एक बात कहना चाहती हूँ कि

एहसास बदल जाते हैं, बस और कुछ नहीं,
वरना नफरत और मोहब्बत एक ही दिल में है।

यह मोहब्बत का जो माहौल दिखाई दे रहा है, जहां नफरत अब तक बस रही थी, उसके पीछे कारण है – ढाई करोड़ घरों में बिजली पहुंचाना। आज तक वहां पंचायती चुनाव नहीं होते थे, म्युनिसिपल बॉडी के चुनाव नहीं होते थे, उनका चुनाव करवाना। उसके पीछे कारण है – जो उनके हिस्से का पैसा था, वह किसकी जेब में जाता था, कहां निकल जाता था, जनता को पता नहीं था। वह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके खातों में पहुंचना। एक नल लगाने के लिए, एक बांध बनाने के लिए, एक दीवार खड़ी करने के लिए पंचायत के पास पैसा नहीं था। उन सभी अव्यवस्था के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, वे कुछ आज इस हाउस में दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अधीर रंजन जी की बात मुझे याद आ रही है। अधीर रंजन जी ने जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर बात की तो कहा कि यह सरकार कॉम्प्लिमेंट एडिक्टेड है। मैं उनको यह बताना चाहती हूँ कि यह सरकार कॉम्प्लिमेंट एडिक्टेड नहीं है, बल्कि कॉम्प्लिशन एडिक्टेड है। अब तक हिन्दुस्तान का जो एजेंडा अधूरा पड़ा है, यह सरकार उस एजेंडे को पूरा करने जा रही है। हम ने डिलिमिटेशन की बात बहुत सुनी, न्याय-अन्याय की बात सुनी, एलिएनेशन की बात सुनी और इंकलूसिव भारत बनाने की बात भी सुनी। इंकलूसिव भारत में क्या कश्मीर इंकलूडेड नहीं है। जब इंकलूसिव भारत में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात आती है तो वह विश्वास क्या कश्मीरियों का विश्वास जीतने की नहीं है? आज वह

श्र्वास नरेन्द्र मोदी जी की नीतियों ने जीत कर दिया है। इस देश का जो इतिहास है, जब इतिहास की बात आती है तो मुझे कहीं न कहीं सरदार पटेल की मूर्ति दिखाई देती है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिखाई देता है, जिसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। वह कहानी उन सारी रियासतों को जोड़ने की है। अगर उन रियासतों को जोड़ा नहीं जाता तो आज हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान नहीं होता। आज हमें जो भारत का नक्शा दिखाई देता है, वह नक्शा नहीं दिखाई देता। उन रियासतों में से सिर्फ एक रियासत जो पूरी तरह से जुड़ नहीं पाई। इन्होंने इस देश के 55 सालों का इतिहास बताया है और बताया है कि पांच साल बनाम पचपन साल, पचपन साल बनाम पांच साल तो सबसे अधिक ... (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) वह कश्मीर में दिखाई देता है। वह कश्मीर में उन नीतियों में दिखाई देता है, जिसके कारण एक राज्य और उसमें ऑपर्यूनिस्ट ऑपरनिस्टिक पालिटिशियंस अपना एक संविधान बनाने में सफल हो गए। वह संविधान बनाने के समय कौन प्रधान मंत्री था, किसके कारण यह सब हुआ, किसके कारण वहां पर दो परमिट राज चालू हुआ?

(1455/IND/RU)

वहां किसकी सरकार थी, जब पाकिस्तान हमारी जमीन आक्यूपर्ड करके बैठ गया? किसने घरेलू मुश्किल का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया, किसकी वजह से आज तक हम अपना हिस्सा वापस नहीं ले पाए? इसका भी हिसाब देश जानना चाहता है। वर्ष 1990 की बात तिवारी जी ने की, जैसे वर्ष 1990 से पहले कश्मीर में कोई दिक्कत नहीं थी और आज की जो दिक्कतें हैं, वे वर्ष 1990 के बाद पैदा हुईं। प्रेमचन्द्रन जी ने डेमोग्राफी और जियोग्राफिकल एक्सपेक्टेडन्स की बात कही। मैं जियोग्राफिकल एक्सपेक्टेडन्स की एक बात बताना चाहती हूं कि जम्मू और कश्मीर एक राज्य है और जम्मू-कश्मीर एक राज्य के अंदर लद्दाख का सबसे बड़ा जियोग्राफिकल हिस्सा है। जम्मू में सबसे अधिक जनता रहती है और बावजूद इसके ऐसी व्यवस्था खड़ी की गई, जिसके कारण इन लोगों को इनके हिस्से का न्याय न मिल पाए। जहां तक विषय प्रेजिडेंट रूल को लगाया जाए या न लगाया जाए... (व्यवधान)

महोदय, यदि आपकी अनुमति हो, तो क्या मैं अपनी स्पीच टेबल कर दूँ। हमें सुबह ही बता दिया गया था कि आपको बोलना है। मेरी पूरी तैयारी है, लेकिन यदि आप कहते हैं, तो मैं अपनी स्पीच को सभा पटल पर रखती हूँ। आपका बहुत-बहुत आभार।

(इति)

1456 hours

SHRI JASBIR SINGH (DIMPA) GILL (KHADOOR SAHIB): Hon. Speaker Sir, this amendment will provide ten per cent reservation to EWS in educational institutions and direct recruitment in civil posts and services not covered under scheme of the reservation for SCs, STs and OBCs.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): माननीय सदस्य, इस बिल पर चर्चा नहीं हो रही है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बोलिए, माननीय सदस्य।

SHRI JASBIR SINGH (DIMPA) GILL (KHADOOR SAHIB): Though I support the contents of the Bill, I oppose the Ordinance route. The issue of Kashmir is being exploited for votes every now and then and their sincerity to solve this Kashmir puzzle is always under scanner. This time, when polarisation in the State is at an all-time high, the real challenge this time is to address the core issues and win the hearts and minds of the people of Kashmir.

Delhi's moves are politically motivated and BJP is thinking of the next election. But to quote James Freeman: "A statesman thinks of the next generation, while the politician thinks of the next election."

If they are the statesmen, the hon. Home Minister and our hon. Prime Minister should have taken the initiative to hold Assembly elections along with the Lok Sabha elections. This would have saved a lot of money which could have been spent on the upliftment of J&K subjects.

Now, you are coming up with the issue of delimitation which would take another year or so and BJP would be ruling J&K without any mandate.

The hon. Home Minister wants the Opposition to rise above politics when it comes to J&K but every move of theirs is full of politics, to garner votes and polarise the State on religious lines.

महोदय, मैं आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। यदि सरकार इंटरनेशनल बोर्डर पर रिजर्वेशन देने की बात करती है, तो उन्हें सेंट्रल जॉब्स में भी रिजर्वेशन देनी चाहिए और पंजाब या दूसरे राज्य जो बिलकुल इंटरनेशनल बोर्डर्स के साथ लगते हैं, उन्हें भी रिजर्वेशन की सुविधा देनी चाहिए।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यगणों से आग्रह करता हूँ कि यह बिल पास होने के बाद हम प्राइवेट मैम्बर बिल लेंगे।

माननीय गृह मंत्री जी।

(1500/VB/NKL)

1500 बजे

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): माननीय अध्यक्ष जी, इन दोनों बिल्स पर सदन के 17 सम्मानित सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। कुछ लोगों ने इनका समर्थन किया है, कुछ लोगों ने सुझाव दिये हैं और कुछ लोगों ने विरोध किया है। मैं सभी सदस्यों का मन से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिन लोगों के मन में इस बिल के लिए कुछ-कुछ आपत्तियाँ थीं, आपके माध्यम उन्होंने अपने विचार सदन में रखे हैं, मैं निश्चित रूप से उनका जवाब भी देना चाहूँगा।

काफी सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा, देश की सीमाओं की सुरक्षा और आतंकवाद के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। मैं इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से सभी सदस्यों को और देश की सवा सौ करोड़ जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि नरेन्द्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर चल रही है और वह चालू है। आतंकवाद को जड़ समेत उखाड़ने के लिए यह सरकार कृतनिश्चयी है और मुझे भरोसा है कि जनता के सहयोग से हम जरूर सफल होंगे।

यह जो लड़ाई है, मनीष जी ने कहा कि विचारधारा से ऊपर उठकर इसको लड़िएगा। मनीष जी, इसको विचारधारा से ऊपर उठकर जरूर लड़ना चाहिए, जब विचारधारा ऐसी हो। हमारी तो विचारधारा ही भारत माता के हित में समाहित है, इसलिए इससे ऊपर उठने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी विचारधारा ही हमें बताती है कि टॉप-मोस्ट प्रायोरिटी इस देश की सुरक्षा, देश के जनता की सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। इसीलिए मेरी विचारधारा, मेरी पार्टी की विचारधारा, मेरे पक्ष की विचारधारा ही इस लक्ष्य को सिद्ध कर सकती है, ऐसा मेरा विनम्र मत है।

जब 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी देश के प्रधान मंत्री बने, श्री राजनाथ जी देश के गृह मंत्री बने, तो इस सरकार ने डे-वन से ही जम्मू-कश्मीर की शांति के लिए आतंकवाद को नष्ट करने को टॉप-मोस्ट प्रायोरिटी दी है। यह ज़ीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ भाषणों की नहीं रही, यह ज़ीरो टॉलरेंस की

नीति सिर्फ सदन में और राजनीतिक जलसों में तकरीरों के लिए ही नहीं रही, इसको जमीन पर उतारने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ढेर सारे कदम उठाए गए।

पहले सीएपीएफ की कम्पनियों की कमी रहा करती थी, वह कभी इधर जाती थीं, कभी उधर जाती थीं। हमने कम्पनियाँ भी बढ़ाईं और कम्पनियों के आबंटन में जम्मू-कश्मीर को टॉप-मोस्ट प्रायोरिटी पर रखा। सुरक्षा बलों की जितनी कम्पनियों की डिमांड है, उससे एक भी कम्पनी आज कम नहीं है।

सीएपीएफ के जवान देश भर में सुरक्षा का काम करते हैं, नक्सलवादी क्षेत्रों में भी काम करते हैं, वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्रों में भी काम करते हैं, दंगों में भी काम करते हैं, चुनाव के वक्त भी वे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। मगर जम्मू-कश्मीर में एक विशिष्ट प्रकार की परिस्थिति है क्योंकि वहाँ जो आतंकवाद है, वह पाक-प्रेरित आतंकवाद है।

यह पाकिस्तान की सरहद से जुड़ा हुआ प्रदेश है, यहाँ सीएपीएफ की कुछ विशिष्ट माँगें थीं, जिनमें हाई सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स में- वी.पी. व्हीकल्स, सीसीटीवी कैमरा, अत्याधुनिक गन्स, रडार, कमाण्डो ट्रेनिंग सेन्टर आदि चीजें थीं, जिनसे पूरा एक पेज भर जाए, इतनी इनकी रिक्वायरमेंट्स आई थीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन को बताते हुए आनन्द हो रहा है कि 2307 करोड़ रुपये खर्च करके उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की गई हैं।

मैं कल ही रिव्यू लेकर आया हूँ। सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की गईं। सीआरपीएफ के जो हेड हैं, वहाँ डीजी बैठे थे, उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार हमारी रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट ज़ीरो हुई है।

वहाँ एजेंसियों के को-ऑर्डिनेशन की बड़ी दिक्कत थी क्योंकि वहाँ सेना भी होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी होती है, आईबी भी काम करती है, राँ भी काम करती है, मिलिट्री एजेंसी भी काम करती है, सीआरपीएफ भी काम करती है और जम्मू-कश्मीर पुलिस भी काम करती है। जब इतनी सारी एजेंसियाँ एक छोटे-से क्षेत्र में काम करें, तो को-ऑर्डिनेशन की बड़ी दिक्कत आती है।

(1505/PC/KSP)

इतनी सारी एजेंसियां जब एक छोटे से क्षेत्र के अंदर काम करें, तो कॉर्डिनेशन में बड़ी दिक्कत आती थी। गत सरकार के समय के अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी टैरर मॉनिटरिंग ग्रुप - टीएमजी को बनाया गया। आज हर सप्ताह टीएमजी के सदस्य बैठते हैं और कोऑर्डिनेट होकर आतंकवाद का सामना करने का सफल प्रयास करते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति शासन लगाया, जम्हूरियत की बात की जाती है, राज्यपाल शासन लगाया, लोकतंत्र का गला घोट दिया, जो ये बात कर रहे हैं, मैं ज़रा उनको बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किसने किया है। ... (व्यवधान) हमने तो विशिष्ट परिस्थिति के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया। यह सदस्यों की जानकारी में रहे, इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ कि इस देश में अब तक - आज होगा तो उसके बाद 133 हो जाएंगे - 132 बार धारा 356 का उपयोग किया गया है। ... (व्यवधान) 132 बार में से 93 बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसका उपयोग किया गया है। ... (व्यवधान) आज ये हमें लोकतंत्र सिखाएंगे? ... (व्यवधान) राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया है? ... (व्यवधान) एक विशिष्ट परिस्थिति है, आपने तो चुनी हुई 20-20 सरकारों को 356 के तहत एक दिन के अंदर ध्वस्त कर दिया था। ... (व्यवधान) आपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए यह किया था। ... (व्यवधान) हमने कभी 356 का उपयोग राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, ये हमें बता रहे हैं कि लोकतंत्र रहना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों के सामने अपनी पीड़ा रखना चाहता हूँ। लोकतंत्र रहना चाहिए, यह बात तो ठीक है, मगर लोकतंत्र के रहते जब कुछ चीज़ें इस प्रकार की होती हैं, जिन पर वोट बैंक के लालच में कभी कुछ नहीं किया जा सकता है, इसकी भी चर्चा इस सदन में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अध्यक्ष जी, मैं मानता हूँ कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। जमात-ए-इस्लामी पर आज तक क्यों प्रतिबंध नहीं लगाया गया। आप किस को खुश करना चाहते थे? यह भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार है, जिसने जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगाकर उसके कैडर को निष्क्रिय

कर दिया। जेकेएलएफ - इतने सालों से आप किस देश का लिब्रेशन करना चाहते हैं? जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसको देश के मानने वालों पर ...(व्यवधान) जेकेएलएफ पर प्रतिबंध किसने लगाया? भारतीय जनता पार्टी ने लगाया।

माननीय अध्यक्ष जी, आतंकवादियों को समर्थन देने वाले सभी लोगों को प्रेवेंटेव अरेस्ट के तहत जितना गत सरकार के समय में जेल में डाला गया है, इतना आजादी के बाद कभी नहीं डाला गया। प्रेवेंटेव अरेस्ट को बधाई। जेलों की सुरक्षा चरमराई हुई थी। अंदर टैरिस्ट्स के ट्रेनिंग कैम्पस चलते थे। एके-47 को कैसे चार मिनट में खोलकर असेंबल किया जाता है, इसके वीडियो बनते थे। हमारी सरकार ने जेलों की व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त कर के आज जेलों के अंदर जो लोग जा रहे हैं, उनको एहसास हो रहा है कि टैरिज्म को फैलाने का मतलब क्या होता है। यह एहसास दिलाने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, जो देश विरोधी बात करता था, उसको सुरक्षा दी जाती थी। सुरक्षा देने के लिए खतरे के पैरामीटर्स होते थे। जम्मू कश्मीर में एक नया पैरामीटर था। चार भारत विरोधी बयान दे दो, आपको तुरंत सुरक्षा मिल जाएगी। ...(व्यवधान) मेरी तो समझ में ही नहीं आता। ...(व्यवधान) सरकार के खर्चे से, भारत की जनता के खर्चे से भारत विरोधियों को सुरक्षा देने का क्या तर्क था? कोई श्रेट नहीं है, मारने वाले उनको नहीं मारेंगे, यह पूरी दुनिया को मालूम है। मारने वाले भारत की बात करने वाले को मारते हैं। भारत की बात करने वाले को सुरक्षा नहीं मिलती थी, भारत का विरोध करने वाले को सुरक्षा मिलती थी। ...(व्यवधान) इसका रिव्यू कभी नहीं किया जाता है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, 2 हजार लोगों को जो व्यक्तिगत सुरक्षा दी गई थी, उसका हमने रिव्यू किया। उनमें से 919 ऐसे लोग थे, जिनको सुरक्षा का कोई खतरा नहीं था, उनको भारत विरोधी सर्टिफिकेट के कारण सुरक्षा मिली थी। ...(व्यवधान) उनकी सुरक्षा को हटाने का काम इस सरकार ने किया है। ...(व्यवधान) पाकिस्तान के चैनल्स दिखाए जाते थे, भारत विरोधी प्रचार होता था, भारत विरोधी कार्यक्रम होते थे, भारत के अंदर की बातों को तोड़-मरोड़कर रखा जाता था।

(1510/SPS/SRG)

जो कश्मीर के युवा को बहकाता था, गुमराह करता था, उन चैनलों पर रोक कभी नहीं की गयी। मैं आज इस सदन के अंदर श्रीमान् राजनथ सिंह जी बैठे हैं, उनका अभिनन्दन करना चाहता हूं, देश के प्रधान मंत्री का अभिनन्दन करना चाहता हूं कि भारत विरोधी जितने भी पाकिस्तान के भी अनऑथराइज्ड चैनल थे, उनका प्रसारण इस सरकार ने बंद करने का काम किया।

माननीय अध्यक्ष जी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है, मेरा ऐसा मानना नहीं है। माननीय सदस्य मनीष जी ने ठीक ही कहा है कि हर पार्टी जब सरकार में रही है, उसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का प्रयास किया है। इसको नेस्तनाबूत करने के लिए इसका किसी ने समर्थन नहीं किया, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि लड़ने-लड़ने के तरीके में बड़ा अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। पहले लड़ाई क्या चलती थी कि टेरेरिस्ट वहां से घुसकर आते थे, यहां अपने लड़कों को गुमराह करते थे, अपनी टोली को बड़ा करते थे, हथियार मिल जाते थे, पैसे मिल जाते थे और बेरोकटोक भारत के अंदर टेरेरिज्म को फैलाते थे। हम लड़ाई क्या लड़ते थे कि उन टेरेरिस्टों को मारते थे, उन अपने लड़कों को मारते थे। अपनी जमीन पर अपने सुरक्षाकर्मी, अपने लड़के भी मरते थे, टेरेरिस्ट भी मरते थे। एप्रोच क्या होनी चाहिए? टेरेरिज्म कहां से आता है? हम सब को मालूम है कि कश्मीर के अंदर और देश के अंदर जो टेरेरिज्म की समस्या है, वह पड़ोस के देश से आती है, वहीं से जनरेट होती है। ये कश्मीर का टेरेरिज्म पाक प्रेरित टेरेरिज्म है। हम हमारी जमीन पर लड़ाई लड़ते थे। देश की जनता ने मोदी जी को चुना, परिवर्तन आया और मोदी जी को चुनने के बाद लड़ाई के तरीके में परिवर्तन आया। हमारी भूमि पर लड़ाई लड़नी हो तो वे तो लड़ते ही हैं और भी मजबूती से लड़ते हैं और भी मजबूती से लड़ेंगे, परंतु जहां टेरेरिज्म की जड़ है, वहां उनके घर में घुसकर उनके दिल दहलाने, हमले करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया।

माननीय अध्यक्ष जी, हमने एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, सवाल उठाए गए, शान्ति के दूत प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने लगे। मैं कहना चाहता हूं कि रिकॉर्ड क्लीयर रहना चाहिए देश की

जनता और दुनिया के सामने कि हमारे दोनों सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के अंदर एक भी नागरिक की मौत नहीं हुई, पूरे के पूरे टेरेरिस्ट मारे गए। माननीय अध्यक्ष जी रिकॉर्ड क्लीयर रहना चाहिए और हमने कोई हमला नहीं किया है। यह भारत का आत्म रक्षा का अधिकार है। एक सार्वभौमिकता प्राप्त करने वाले देश को अपनी आत्म रक्षा का अधिकार है और सर्जिकल स्ट्राइक तथा एयर स्ट्राइक दोनों भारत की आत्म रक्षा के अधिकार का प्रयोग है। पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक की, दुनिया भर के डिफेंस के पण्डित कहते थे कि भारत की नीति नहीं है, ये फ्ल्यूक है, अचम्भे में हो गया है, अचानक कर दिया है। यह बात भी सही थी, पहली बार हो रहा था। जो बोलते थे, वह तो हम सुनते थे। जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। पुलवाला हमला हुआ, हमारे 40 सी.आर.पी.एफ. के जवान शहीद हो गए। सब को लगता था कि अब क्या होगा? अचम्भे से तो अब नहीं होगा, पाकिस्तान सावधान है। बीच में सेना बिछा दी, टैंक बिछा दिए, मगर माननीय अध्यक्ष जी नरेन्द्र मोदी सरकार का देश की रक्षा के लिए कमिटमेंट जस का तस था। उन्होंने टैंक बिछाए, तोपें बिछाईं, सेना बिछा दी, नरेन्द्र मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया। एयर स्ट्राइक होने के बाद आज दुनिया में कोई नहीं कहता कि यह फ्ल्यूक है। पूरी दुनिया मानती है कि भारत की सुरक्षा नीति बनी है और देश को सुरक्षित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। मैं यह नहीं कहता कि बाकी पार्टियों ने कोई काम नहीं किया है, मगर करने-करने में अंतर है और उनके परिणामों में भी अंतर आता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो जाना नहीं चाहता था, कुछ लाया भी नहीं था कि क्या बोलूं। मुझे लगता था कि सब समर्थन कर देंगे तो मेरे बोलने का मौका ही नहीं आएगा। मनीष जी खड़े हो गए। मनीष जी ने इतिहास की बात की।

(1515/KDS/KKD)

इन्होंने इतिहास की बात की है, तो मुझे भी इतिहास में जाना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये इतिहास की बात करते हैं। इन्होंने विभाजन की बात की, कि विभाजन के कारण पूरा देश रक्तंजित हो गया। विभाजन का कोई समर्थन नहीं करता। हम न उस वक्त विभाजन का समर्थन करते थे, न आज करते हैं। मनीष जी विभाजन का सवाल उठा रहे हैं। किसने किया विभाजन?

हमने नहीं किया है। विभाजन की सहमति किसने दी? हम आज भी कहते हैं कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। यह ऐतिहासिक गलती हुई है। इसकी उँचाई हिमालय जितनी है और गहराई सागर जितनी है। मगर हमने वह गलती नहीं की है। गलती आपने की है, आपकी पार्टी ने की है और इस इतिहास से आप भाग नहीं सकते।

माननीय अध्यक्ष जी, ये हमें इतिहास की दुहाई दे रहे हैं। एक तिहाई हिस्सा जम्मू-कश्मीर का हमारे पास नहीं है। किसके कारण नहीं है? जब महाराजा हरि सिंह जी ने भारत के साथ संधि की, तो वायुसेना के विमानों से भारत की फौज वहाँ गई। उसने पाकिस्तान की कबीलाई के रूप में भेजी हुई सेना को खदेड़ना शुरू किया। खदेड़ते-खदेड़ते काफी हद तक कश्मीर से लेकर आज की एल.ओ.सी. तक पहुंचे। किसने सीज़फायर कर दिया?

माननीय अध्यक्ष जी, हमने नहीं किया। जवाहर लाल नेहरू उस वक्त प्रधान मंत्री थे, जिन्होंने सीज़फायर किया। वह हिस्सा आज पाकिस्तान में है। आप हमें इतिहास सिखाते हैं, आरोप लगाते हैं, प्रेस कांफ्रेंस करते हैं, इसको भरोसे में नहीं लेते, उसको भरोसे में नहीं लेते, फलाने को नहीं लेते, ढिमके को नहीं लेते। जवाहर लाल नेहरू जी ने देश के गृह मंत्री और उप प्रधान मंत्री को भी भरोसे में लिए बगैर यह कर दिया। अगर भरोसे में लेते, तो आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत के कब्जे में होता। इसको वापस लेने के लिए इतनी जद्दोज़हद न होती और शायद भरोसे में लेते तो टेरेरिज्म का मूल ही न उगता। इसलिए, मनीष जी इतिहास हमें मत सिखाइए।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूँ कि बहन मीनाक्षी लेखी ने कहा कि 600 से ज्यादा रिसासतें थीं, राजे-रजवाड़े थे। ओवैसी जी चले गए हैं। वह मुझे सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। ऐसी प्रॉब्लम हैदराबाद में भी हुई थी। मजलिस ने ऐसा किया था। ऐसी प्रॉब्लम जूनागढ़ में भी हुई थी, मगर ये दोनों प्रॉब्लम्स सरदार पटेल जी टैकल कर रहे थे। आज हैदराबाद और जूनागढ़ भारत का हिस्सा हैं। उस वक्त जम्मू-कश्मीर कौन देख रहा था? ...(व्यवधान)। माननीय अधीर रंजन जी, सुरेश जी बैठिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने सवाल नहीं खड़े किए। ...(व्यवधान)। जवाब क्यों न दें? उस भूल के कारण आज देश को सज़ा भुगतनी पड़ रही है। उस भूल के कारण आज हज़ारों लोग

मारे जा रहे हैं। उस भूल के कारण देश टेररिज्म का शिकार बना है। क्यों न दें जवाब? ...(व्यवधान)
 क्यों न दें नाम? जरूर देंगे। ये इतिहास का हिस्सा है। ...(व्यवधान)। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बस
 इतना पूछना चाहता हूँ। सुरेश जी, प्लीज़ मुझे सुनिए। ...(व्यवधान)।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपने वायदा किया था कि आप व्यवधान पैदा नहीं करेंगे।
 आप बात सुनें। जब आपके माननीय सदस्य बोल रहे थे, तब मैंने इधर की बेंचों के सदस्यों को चुप
 कराया था।

...(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Why are you blaming
 Jawaharlal Nehru? ...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members please sit down.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please calm down.

... (*Interruptions*)

श्री अमित शाह : मुझे जवाब तो देने दीजिए। मैं बताता हूँ। ...(व्यवधान)

(1520/MM/RP)

माननीय अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। आप लोग कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। मैं व्यवस्था दे रहा हूँ।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आसन पैरों पर है।

...(व्यवधान)

श्री अमित शाह : सुरेश जी, आपके नेता बोल रहे हैं, उनको तो सुन लीजिए।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अगर हिस्ट्री की बात हो रही है तो हमें भी बोलने का मौका दीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको बोलने का मौका देंगे।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपके माननीय सदस्य ने भी हिस्ट्री बतायी थी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको रिप्लाइ के बाद बोलने का मौका देंगे।

...(व्यवधान)

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे मालूम नहीं था कि सच्चाई सुनकर इनको इतना दुख लगेगा। मैं फिर से नाम नहीं लूंगा, प्रथम प्रधान मंत्री कहूंगा। ...(व्यवधान) नाम नहीं लूंगा, कह तो रहा हूँ ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया करके बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज़ बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं व्यवस्था देख लूंगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आसन पैरों पर है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जब आपके माननीय सदस्य इतिहास के बारे में बोल रहे थे तब मैंने ट्रैजरी बेंचिज़ से भी आग्रह किया था कि कोई व्यवधान पैदा नहीं करेगा। आपने भी कहा था। अगर आपको कोई बात कहनी है तो माननीय गृह मंत्री के बाद दो मिनट बोलने का समय आपको भी दिया जाएगा।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, आप इनसे रेज़ोल्यूशन पर बोलने के लिए कहिए। रेज़ोल्यूशन से बाहर बोलेंगे ... (व्यवधान)

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, अधीर रंजन जी जिस संधि की बात कर रहे हैं, मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूँ कि यह संधि सिर्फ जम्मू-कश्मीर के साथ नहीं हुई थी, देश की 630 रियासतों के साथ हुई थी। मेरा कहने का यही मतलब है कि 630 रियासतों के साथ संधि हुई कहीं 370 नहीं बचा है। श्री जवाहर लाल नेहरू ने एक ही जगह नेगोसिएशन किया था और आज वहाँ 370 है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): स्पेशल सिचुएशन थी ... (व्यवधान)

श्री अमित शाह : अध्यक्ष जी, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि स्पेशल सिचुएशन थी।

(1525/SJN/RCP)

इनके अप्रोच के कारण ही इस समस्या का उद्भव हुआ है।... (व्यवधान) साहब, ऐसे तो नहीं चलेगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री अमित शाह : अधीर रंजन जी, आप बोलने ही नहीं देंगे। ऐसा कैसे चलेगा।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

... (Interruptions) ... (Not recorded)

श्री भगवंत मान (संगरूर) : आप बिल पर बोलिए।... (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मैं बिल पर ही बोल रहा हूँ।... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ चिंता व्यक्त की गई।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सीट पर बैठे-बैठे ज्ञान मत दीजिए। यह संसद है, मर्यादा से चलेगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, अभी कहा जाए कि भरोसा नहीं है। मैं पार्शियली इस बात से सहमत हूँ कि जम्मू-कश्मीर की आवाम और भारत की आवाम के बीच में खाई पैदा हुई है। मगर भरोसा क्यों नहीं बना, क्योंकि पहले से भरोसा बनाने का प्रयास ही नहीं किया गया था। मैं थोड़ा-और इतिहास में पीछे जाना चाहता हूँ। जम्मू-कश्मीर के अंदर सन् 1931 में मुस्लिम कान्फ्रेंस की स्थापना हुई। इसके नेता कौन थे? शेख अब्दुल्ला साहब। मुस्लिम कान्फ्रेंस की स्थापना हुई। कांग्रेस ने वहाँ पर लंबे समय तक अपनी पार्टी भी नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई, क्योंकि मुस्लिम कान्फ्रेंस को चलाना चाहिए, समर्थन करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, क्या हुआ? Congress Party put all the eggs in Sheikh Abdullah's bucket. सारे अंडे एक ही टोकरी में रखे और अब्दुल्ला साहब टोकरी लेकर ही भाग गए। स्थिति क्या पैदा हुई? शेख अब्दुल्ला साहब को वहाँ का प्रधान मंत्री बनाया गया। 23 जून, 1953 को जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू-कश्मीर के संविधान का विरोध करते हुए, परमिट प्रथा का विरोध करते हुए, देश में दो प्रधान मंत्री के प्रावधान का विरोध करते हुए, जम्मू-कश्मीर की सरहद के अंदर घुसे, तो उनको जेल के अंदर डाल दिया गया था और जेल के अंदर उनकी शंकास्पद मृत्यु हो गई थी।...(व्यवधान) अब कहेंगे कि अगर मृत्यु हो गई, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसकी जांच तो हो सकती है। करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देश के विपक्ष का नेता था। नई बनी हुई, मगर एक पार्टी का नेता था। देश के भूतपूर्व उद्योग मंत्री थे, बंगाल के नेता थे। अगर आज बंगाल भारत में है, तो उसमें श्यामा प्रसाद जी का योगदान है। वरना आज बंगाल भारत में नहीं होता।

माननीय अध्यक्ष जी, उनकी मृत्यु हुई, लेकिन जांच नहीं की गई। उसके बाद देश में ऐसे हालात बने कि 8 अगस्त को शेख अब्दुल्ला को पदच्युत करके उनको जेल में डालना पड़ा। किसने भरोसा किया? क्यों भरोसा किया? वहीं से यह विश्वास टूटने की बात शुरू हुई है, मनीष भाई।

माननीय सदस्य ने कहा कि चुनाव कराने चाहिए। चुनाव नहीं करते हैं, तो जम्मू-कश्मीर की आवाम के अंदर शंका पैदा होती है। अच्छा हो गया कि ओवैसी साहब आ गए। ओवैसी जी ने भी कहा कि चुनाव कराने चाहिए, शंका उत्पन्न होती है। चुनाव कराए गए 1957 में, चुनाव कराए गए 1962 में, चुनाव कराए गए 1967, शंका क्यों उत्पन्न होती है, उसका मूल वहीं है। क्योंकि ये सारे के सारे चुनाव फर्जी कराए गए, जिसमें जम्मू-कश्मीर की जनता को वोट नहीं देने दिया गया। हमारी सरकार नहीं थी, न 1957 में थी, 1962 में थी और न ही 1967 में थी। ये तीनों चुनाव डेमोक्रेसी के नाम पर मजाक थे। वहीं से जम्मू-कश्मीर की जनता के मन में इस शंका का बीज आरोपित हुआ है, जो आज बड़ा पेड़ बनकर, दरक बनकर खड़ा है। यह हमने शुरू नहीं किया है। यहां पर जम्मू-कश्मीर के मेंबरान भी बैठे हैं। वे शायद अब्दुल खालिक के नाम को जानते होंगे, जो श्रीनगर जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। आधी घाटी श्रीनगर जिले में आती थी, उस वक्त ज्यादा जिले नहीं थे। उस वक्त दो हिस्से होते थे, एक जनता के चुने हुए एमएलए होते थे और एक खालिक साहब के बनाए हुए एमएलए होते थे।

(1530/GG/SMN)

तीनों चुनावों के अंदर खालिक साहब के सामने ही पर्चे दिए जाते थे। खालिक साहब उनको रिकॉर्ड पर नहीं लेते थे और 25 से 31 तक मेंबरान निर्विरोध चुने जाते थे। यह डेमोक्रेसी का मजाक हमने नहीं उड़ाया था। डेमोक्रेसी की हत्या हमने नहीं की थी। जब खालिक जैसे लोग सरकार के एजेंट बन कर चुनाव कराते हैं तो जनता के मन में दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है और उसमें से शंका उत्पन्न होती है। चुनाव तो सन् 1977 में मोरारजी भाई ने कराए थे। चुनाव तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराए थे, जिसमें सबको वोट देने का अधिकार था। चुनाव हमारे शासन में हुआ। हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हमने बहुमत के लिए किसी खालिक को नहीं ढूंढा। जनता ने जो मंडेट दिया, उसको हमने स्वीकार किया। मैं अभी-भी कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग जब भी तय करेगा, चुनाव डेमोक्रेटिक तरीके से कराए जाएंगे, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएंगे। केन्द्र सरकार का उसमें कोई दखल नहीं होगा। कुछ मेंबरान ने पूछा कि चुनाव कब

कराएंगे? ...(व्यवधान) सवाल आपकी बेंच से ही उठा। इसलिए उठा कि पहले इलैक्शन कमीशन कांग्रेस पार्टी चलाती थी, लेकिन हम नहीं चलाते हैं। हमारे समय में इलैक्शन कमीशन के फैसले इलैक्शन कमीशन ही करता है। ...(व्यवधान) रिकॉर्ड है। ...(व्यवधान) अगर आपको ...(व्यवधान) साहब, ऐसे भी तीन अलग-अलग चुनाव आपने कराए हैं। ...(व्यवधान) इतिहास में मत ले जाइए। इतिहास में ले जाओगे तो आपको ही सुनना पड़ेगा और बाद में वहां से डांट भी खानी पड़ेगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, आज कोई निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता है। आज कोई भी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। नई पार्टियां भी चुनाव लड़ती हैं। जीतती हैं और जीतकर आती हैं। कोई किसी को रोकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तत्त्वधान में वहां की सिक्योरिटी फोर्स होती हैं, जो रैगिंग नहीं करती हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, शेख अब्दुल्ला जी को जेल में डाला। बाहर निकाला। फिर से सी.एम. बनाया। फिर से झगड़ा किया। फ़ारुख अब्दुल्ला जी सी.एम. बने और फ़ारुख अब्दुल्ला को भी बाहर निकालने का भी एक बड़ा इतिहास है। यहां से बी.के. नेहरु गवर्नर बन कर गए। उनको कहा गया कि अब आप राष्ट्रपति शासन की रिपोर्ट भेजो। बी.के. नेहरु कौन हैं, मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है। किनके रिश्तेदार हैं, वह भी कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आज बी.के. नेहरु साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने वह रिपोर्ट नहीं भेजी। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने रिपोर्ट नहीं भेजी। रुक जाते, ऐसा नहीं हुआ। इसके एक सप्ताह में ही बी.के. नेहरु का इस्तीफा कराया गया और दूसरा गवर्नर भेजा गया। दूसरे गवर्नर ने तीन ही दिन में 356 का उपयोग किया।

माननीय अध्यक्ष जी, शंका क्यों पैदा हुई थी? जम्मू-कश्मीर की वाम के दिमाग के अंदर शंका किसलिए पैदा हुई? शंका के बीज किसने रोपे? हमने नहीं रोपे थे। शंका के बीज रोपने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, गुलाम मोहम्मद साहब को पार्टी तोड़ कर मुख्य मंत्री बना दिया गया। एक महीने के अंदर ही सिचुएशन ऐसी हुई कि मालूम ही नहीं पड़ा कि गुलाम मोहम्मद शाह भारत

के किसी सूबे के मुख्य मंत्री हैं या पाकिस्तान के किसी सूबे के मुख्य मंत्री हैं। उनके बयान इस तरह से आते थे कि उनको भी अंत में हटाना पड़ा। यह पूरी जो उठा-पटक चली, शेख अब्दुल्लाह साहब से ले कर गुलाम मोहम्मद साहब तक की, उस उठा-पटक के अंदर माननीय अध्यक्ष जी, गवर्नेस समाप्त हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, टैरिज्म के खिलाफ हमारी जो लड़ने की मंशा थी, सिक्थोरिटी फोर्सेज का जो हौसला था, जम्मू कश्मीर की जनता का जो विश्वास था, वह चूर-चूर हो गया था और टैरिज्म पीक पर पहुंचता गया।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिए बताता हूँ कि चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। इसकी जड़ों में जाना पड़ेगा। रोग क्या है, वह समझना पड़ेगा। उसकी दवाई करनी पड़ेगी, भले ही कटु हो, वह दवाई ही रोग को खत्म कर सकती है। आतंकवाद को वह दवाई ही समाप्त कर सकती है।

(1535/KN/MMN)

माननीय अध्यक्ष जी, एक समय ऐसा आया कि पूरी कश्मीर घाटी के अंदर भारत का कोई निशान नहीं मिला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड पर इंडिया शब्द जहाँ लिखा है, वहाँ चादर डाल दी जाती थी। भारत का झंडा फहराने के लिए मुरली मनोहर जोशी जी और नरेन्द्र मोदी जी ने यात्रा लेकर लाल चौक में जाकर अपनी जान की बाजी लगा कर झंडा फहराया। उस वक्त हम नहीं थे, हम दूर-दूर तक सत्ता में नहीं थे। ये हमें कह रहे हैं कि शंका हो रही है, डर पैदा हो रहा है। डर पैदा ही होना चाहिए, जिनके मन में भारत का विरोध है, उनके मन में डर पैदा ही होना चाहिए। जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, उनके मन में डर होना चाहिए। हम 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' के मेम्बर नहीं हैं। यह रिकार्ड इस हाउस में क्लियर है। हम 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' के मेम्बर नहीं हैं, जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। उनके मन में डर होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि जम्मू-कश्मीर की अवाम के मन में डर होना चाहिए। हमने तो उनको देश भर में घुमाया, बच्चों की नौकरियों पर बाद में आऊँगा, क्या-क्या किया है, बच्चों को नौकरियाँ देने की शुरुआत की, कोर्टों को एस्टेब्लिश किया, स्कूलों को फंक्शनिंग में लाए, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की, मिड-डे-मील उन तक पहुंचता रहा और जम्मू कश्मीर की घाटी की विधवा बहनों तक विधवा पेंशन पहुँच रही है। एक बूढ़े कश्मीरी को बुढ़ापे

की पेंशन मिल रही है। उनको आज प्रधान मंत्री जी का कार्ड मिल गया है, जिससे पाँच लाख तक का इलाज वह फ्री ऑफ कॉस्ट में ले रहे हैं। उनके घर में उन्होंने गैस के सिलेंडर का स्वप्न नहीं देखा था, आज उसके घर में गैस का सिलेंडर पहुँचा है, शौचालय पहुँचा है। अध्यक्ष जी, हम डर पैदा नहीं करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की अवाम को हम अपना मानते हैं, हमारी है। हमारे भाई, हमारी बहनें हैं, हम गले से लगाना चाहते हैं। मगर आपने जो शंका का पर्दा डाला है, वह हटाने में हमें तकलीफ हो रही है। मैं इसलिए पूरे इतिहास में जा रहा हूँ। अधीर रंजन जी ने कहा कि पीछे का क्यों बता रहे हैं। दो बातें हैं। ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मैंने पीछे का नहीं बोला, मैंने कहा असलियत बताइए... (व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री अमित शाह): मैं असलियत ही बता रहा हूँ। अभी तो बहुत है, जरा सुन लीजिए... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कश्मीर की अवाम की चिंता करने वाली सरकार है। आज तक उनकी पंचायतों को अपना पंच और सरपंच चुनने का अधिकार किसने नहीं दिया था। सिर्फ तीन ही परिवार इतने साल तक कश्मीर पर शासन करते रहे। पंचायत का शासन भी वह करे, तहसील पंचायत का भी वही करे, जिला पंचायत का भी वह करे, म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कारपोरेशन का भी वह करे और सरकार भी वह चलाए, क्यों भाई? जम्मू-कश्मीर हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं है। आज माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मुझे यह बताते हुए, इस सदन को बताते हुए आनन्द हो रहा है कि 40 हजार पंच-सरपंच अपने अधिकार के साथ अपने गाँव का विकास कर रहे हैं। विश्वास इस तरह से खड़ा होता है। विश्वास खड़ा करने की प्रक्रियाएँ हैं, हमने तो अधिकार दिए, आपके समय में अधिकार छीने गए हैं। हसनैन साहब, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अधिकार हमने लिया। अधिकार हमने दिया है और वही तकलीफ है कि अधिकार तीन परिवारों के पास से निकल कर जनता के पास जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, पंचायत का चुनाव होना चाहिए, भूतपूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी का ही यह सपना था,

इसी सदन के अंदर लेकर आए। मगर दुःख का विषय यह है कि जम्मू-कश्मीर तक नहीं पहुँचा है। वह जम्मू-कश्मीर तक पहुँचाने का काम हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, कहते हैं कि सिचुएशन पर कंट्रोल नहीं है। हमने साहब तारीख के अंदर बहुत सारे चुनाव देखे हैं, जिसमें असेम्बली के चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर खून की नदियाँ बही हैं। सैकड़ों लोग मारे गए हैं, 40 हजार पदों के लिए 4 हजार गाँवों में चुनाव हुआ, खून का कतरा भी जम्मू-कश्मीर की भूमि पर नहीं गिरा है और आप कह रहे हैं कि कंट्रोल नहीं है। अभी लोक सभा चुनाव हुआ, एक खून का कतरा भी जम्मू-कश्मीर की जमीन पर नहीं गिरा और आप कह रहे हैं कि कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल है, मगर यह कंट्रोल आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आपका देखने का नज़रिया अलग है, हमारा देखने का नज़रिया अलग है।

(1540/CS/VR)

महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक जम्मू-कश्मीर की जनता को भरोसे में लेने का सवाल है, हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, उनके कल्याण का सवाल है, हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि उनको कुछ ज्यादा भी देना पड़ेगा, तो हमारी इसलिए तैयारी है, क्योंकि उन्होंने बहुत सहा है। कुछ ज्यादा देने में कोई दिल नरेन्द्र मोदी जी का या हमारी सरकार का छोटा नहीं जो जाएगा, हम बड़े हृदय के साथ में इसके विकास में लगे हैं।

महोदय, मैं फिर एक बार कहता हूँ कि यह सिर्फ तकरीर नहीं है। जब हम कहते हैं कि हम जम्मू-कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट चाहते हैं, तो यह सिर्फ तकरीर नहीं है, भाषण नहीं है, जम्मू-कश्मीर के अवाम की खुशहाली के लिए, जम्मू-कश्मीर के अवाम को विकास देने के लिए हमने ढेर सारे कदम उठाए। 7 नवम्बर, 2015 को प्रधान मंत्री जी ने, आजादी के बाद सबसे पहला सबसे बड़ा एक विशेष पैकेज जम्मू-कश्मीर की जनता के लिए 80 हजार करोड़ रुपये का देने का काम किया।

महोदय, इस पैकेज के पहलुओं में जाते हैं तो यह पैकेज सर्वस्पर्शी है। यह लद्दाख को भी स्पर्श करता है, जम्मू को भी स्पर्श करता है, घाटी को भी स्पर्श करता है और पहाड़ियों को भी

स्पर्श करता है। यह सर्वस्पर्शी पैकेज है। यह पैकेज सर्व समावेशक पैकेज है। इसमें जम्मू-कश्मीर के हरेक नागरिक का समावेश हुआ है। इस पैकेज के तहत 63 बड़े प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के हैं, 16 बड़ी सड़कें हैं, 8 पावर प्रोजेक्ट्स हैं, 2 एम्स हैं, 2 आईआईएम हैं, 1 आईआईटी है। पैकेज की घोषणाएं तो बहुत सारी हुई हैं। कल मैं रिव्यू लेने के लिए गया था, एक ब्रिज के बारे में मुझे बताया गया, 32 साल से उसका भूमि पूजन हुआ है, 2 खंभे वहाँ लगे हैं, मगर ब्रिज अभी भी समाप्त नहीं हुआ है।

महोदय, नरेन्द्र मोदी सरकार ने एक नई कार्य संस्कृति पैदा की है कि जिसका भूमि पूजन हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। लगभग-लगभग 82 प्रतिशत धनराशि भेजी जा चुकी है। 44 प्रतिशत से ज्यादा धनराशि के टेंडर आबंटित हो चुके हैं और 16 प्रोजेक्ट्स अब तक पूरे समाप्त होकर माननीय प्रधान मंत्री और तत्कालीन गृह मंत्री जी ने उनका उद्घाटन करने का काम भी समाप्त कर दिया है।

महोदय, लद्दाख के क्षेत्रफल के अनुसार लद्दाख का 45 प्रतिशत भू-भाग है, मगर वहाँ पर स्थानीय ईकाई के चुनाव हो सकें, ऐसी स्थिति नहीं है। वे बिखरे पड़े हैं। वे बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर छिटपुट-छिटपुट रहते हैं। हमने वहाँ हिल काउंसिल बनाकर पंचायत की तरह उनके विकास का अधिकार उनको सुपुर्द करने का काम किया और आजादी के बाद पहली बार लद्दाख को लग रहा है कि हिल काउंसिल की दृष्टि से हमें हमारा बजट खूब मिलेगा।

महोदय, उनकी फरियाद थी कि हमें प्रशासन का अनुभव नहीं है। आजादी के बाद पहली बार हमें अधिकार मिला है, हो सकता है कि हम इसे खर्च न कर पाएं, आप एक ही साल की अवधि देते हो, तो हमने लद्दाख को एक स्पेशल फेवर दिया है कि इनकी काउंसिल को जो भी बजट दिया जाएगा, वह लैप्स नहीं होगा, वह क्यूम्युलेटिव इफेक्ट से सालों तक बरकरार रहेगा।

महोदय, हम चिंता करने वाले लोग हैं। श्रीनगर-लेह ट्रांसमिशन लाइन पूरी कर दी गई है। कारगिल और हेनली में 7500 मेगावाट की क्षमता से चलने वाले सोलर प्लांट की नींव रख दी गई है। 2 नए डिग्री कॉलेज लद्दाख में खोले हैं। 5 नए टूरिस्ट सर्किट और 5 नए ट्रेकिंग के मार्ग खुले हैं।

मैंने कल रिव्यू में इस बारे में पूछा। पाँचों मार्ग पर आज तक दुनिया भर के 170 से ज्यादा दल ट्रेकिंग के लिए आए हैं। यह लेह-लद्दाख के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है।

महोदय, 6 राज्य और दिल्ली में हमारे कश्मीरी पंडित, जो वहाँ से निष्कासित किए गए हैं, जो भागकर आए हैं, उनके लिए भी हमने बहुत कुछ किया है। उनकी नगद राहत को 2015 में 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया गया, 2018 में उसे 13 हजार रुपये किया गया। हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा यह राशि सीधे उनके एकाउंट में पहुँचा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार में 3 हजार अतिरिक्त पद सृजित किए गए, यह उनके लिए किए गए और इसकी भर्ती की प्रक्रिया भी चालू है और 600 से ज्यादा लोगों को मिला है। ओवैसी साहब मुझसे पूछ रहे थे कि आपने पंडितों के लिए क्या किया? मैं मानता हूँ कि वे सुनते होंगे, उनका ध्यान भी होगा। हमने घाटी के अंदर 6 हजार ट्रांजिट आवासों का निर्माण कश्मीरी पंडितों के लिए शुरू किया है। अब जम्मू प्रवासियों को भी, कश्मीर की तरह, जो बाहर गए हैं, नकद राशि दी जा रही है।

(1545/RV/SAN)

माननीय अध्यक्ष जी, जम्मू-कश्मीर में पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर और छम्ब से जो विस्थापित आए थे, जिन्हें वहाँ से भागना पड़ा, उन्हें साढ़े पाँच लाख रुपये प्रति परिवार सहायता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आपके माध्यम से सदन को यह बताते हुए मुझे आनन्द है कि आज तक 26,989 लोगों को 1100 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि उनके बैंक एकाउंट्स में ट्रांसफर की गयी है। यह 70 सालों से नहीं हुआ, भरोसा इसलिए टूटा, शंका इसलिए उत्पन्न हुई।

माननीय अध्यक्ष जी, पश्चिमी पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए, उन्हें भी साढ़े पाँच लाख रुपये देने की शुरुआत की गयी है। जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से गोलीबारी होती है। इससे मृत्यु अथवा 50 प्रतिशत दिव्यांगता के मामले में पाँच लाख रुपये तक की राशि दी गई। दुधारू पशुओं की हानि पर पचास हजार रुपये दिए गए। कठुआ, साम्बा, जम्मू, राजौरी और पूँछ जिले में पन्द्रह हजार बंकरों के निर्माण की शुरुआत की गयी। 4400 बंकर्स बनाए जा चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। इसके सृजन के लिए भी हमने बहुत काम किया है। दो बॉर्डर बटालियन्स की मंजूरी दी गयी। दो हजार नए विशेष पुलिस अधिकारियों की जगहें मंजूर की गयी। उनकी भर्ती हो चुकी है, ट्रेनिंग चालू है। पाँच नई आई.आर. बटालियन्स, दो नई वूमन बटालियन्स, और सीमावर्ती जिलों में इनकी भर्ती में 60 प्रतिशत आरक्षण देने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है। यह काम एक साल के अन्दर हुआ है।

अध्यादेश जारी करने के बाद आरक्षण के मामले में, जो लोग नियंत्रण रेखा के पास रह रहे हैं, उनको भी इसका फायदा होगा। अगर आप सब सहमति देंगे तो इसे कानून बनाएंगे और जम्मू क्षेत्र के इंटरनेशनल बॉर्डर के लोगों को भी इस आरक्षण का लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार में 41,000 नए पद सृजित किए गए हैं। 'हिमायत', 'उड़ान', और 'पी.एम.के.वी.वाई.' जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत 2.87 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम किया गया है। देश के दूसरे स्थानों पर अनुमोदित पाठ्यक्रमों में उच्चतर शिक्षा के लिए 18,000 से ज्यादा युवकों को पी.एम. स्कॉलरशिप्स देने का काम किया गया। 'वतन को जानें' प्रोग्राम के तहत 6,000 कश्मीरी युवाओं को, जो शंका आपके समय में सृजित हुई थी, उस शंका का निवारण करने के लिए, देश भर में घुमा कर, देश आपका है - इसका अहसास दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया।

'सेवा' के माध्यम से कुपवाड़ा में लगभग 880 मास्टर ट्रेनर्स बनाए गए, 49 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया।

अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी लम्बी चीज़ें हैं। मैं सदन का ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि यह जो भय की बात है, इसके दो हिस्से हैं। जो जम्मू-कश्मीर की अमन पसन्द आवाम है, उनके मन में कोई भय नहीं है, बल्कि उत्साह है। उन्हें नए मौके दिखाई पड़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि 70 सालों के बाद वे तीन परिवारों के चंगुल से मुक्त हुए हैं। मगर, जिनके मन में जम्मू-कश्मीर के अन्दर आग लगाने की मंशा है, जिनके मन में जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने की मंशा है, जिनके मन में अलगाववाद खड़ा करने की मंशा है, तो मैं कहना

चाहता हूँ कि हाँ, उनके मन में भय है, यह होना चाहिए और यह और बढ़ेगा। जो देश के साथ जम्मू-कश्मीर को जोड़ना नहीं चाहते हैं, उन्हें जरूर भयभीत होना चाहिए और वह अच्छे शासन का गुणधर्म है।

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अलग-अलग चीजें उठाई हैं। अपने भर्तृहरि जी ने यह प्रश्न उठाया कि क्या इस ऑर्डिनैस को फिर से राज्य विधान मंडल की अनुमति की जरूरत पड़ेगी? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जम्मू-कश्मीर के संविधान ने भारत की संसद के दोनों सदनों को यह अधिकार दिया हुआ है। लेकिन, अगर वहां नई चुनी हुई सरकार आती है तो वह इस बिल पर जरूर पुनर्विचार कर सकती है। किसी भी बिल पर कोई भी सदन पुनर्विचार कर सकता है। अगर वहां विधान मंडल है तो उसे यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

दानिश अली जी ने कहा कि 'इंसानियत, ज़म्हूरियत और कश्मीरियत' की नीति चालू रहनी चाहिए। दानिश अली साहब, 'इंसानियत, ज़म्हूरियत और कश्मीरियत' की नीति चालू ही है। इंसानियत तो वह है कि 70 सालों के बाद जम्मू-कश्मीर की माताओं को एक टॉयलेट उपलब्ध कराने का काम इस सरकार ने किया है, उनकी झोपड़ी को धुएँ से मुक्त कराने का काम किया है।

(1550/MY/SM)

जम्मू-कश्मीर के अंदर एक लाख 42 हजार लोगों को घर देने का काम नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इंसानियत तो यह है कि इनके मन में जो भय था, शंका थी और अविश्वास था, उसे दूर करने लिए हमने उनको सुरक्षा दी है और जो इसे खड़ा करते थे, उनके मन में भय का सृजन किया है, यही इंसानियत है।

जहां तक जम्हूरियत का सवाल है, 87 लोगों की जम्हूरियत की बहुत ज्यादा चिंता मत करो। इलेक्शन कमीशन जब कहेगा, हम चुनाव करा लेंगे, शांतिप्रिय चुनाव होगा, उसमें हमारा कोई दखल नहीं होगा। दानिश अली साहब, हमने 40 हजार लोगों तक जम्हूरियत को पहुंचाने का काम किया है। क्या 70 साल तक इन 40 हजार लोगों को जम्हूरियत मालूम थी? उनके यहां सरकार के एजेंट डाल देते थे। वे अपने नुमाइंदा नहीं चुन पाते थे। वे अपनी बात अपनी पंचायत में नहीं रख

सकते थे। मेरे गांव में क्या चाहिए, वह तय नहीं कर सकते थे। मेरे तहसील के अंदर, मेरे जिले के अंदर क्या चाहिए, वे तय नहीं कर सकते थे। जम्हूरियत इसको कहते हैं कि आज गांव का विकास कैसे करना है, उस गांव के सरपंच और पंच बैठकर इस काम को कर रहे हैं। एक करोड़ रुपये, पचास लाख रुपये, अस्सी लाख रुपये जैसी अमाउन्ट ग्राम पंचायत के खाते में दिल्ली के खजाने से सीधे जाती है, इसको जम्हूरियत कहते हैं।

अब जहां तक कश्मीरियत का सवाल है, कश्मीरियत खून बहाने में नहीं है, कश्मीरियत देश का विरोध करने में नहीं है, बल्कि कश्मीरियत देश के साथ जुड़े रहने में है, कश्मीरियत कश्मीर की भलाई के लिए है, कश्मीरियत कश्मीर की संस्कृति को तवज्जो देने की है। किसने सूफिज्म को भगाया, किसने कश्मीरी पंडितों को भगाया, क्या वे कश्मीर की संस्कृति का हिस्सा नहीं हैं? कहां गए सूफी? मैं पूछना चाहता हूं जो हम पर सवाल करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कहां हैं सूफी?

माननीय अध्यक्ष जी, हम कश्मीर की संस्कृति की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन और देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कश्मीरियत जरा भी डाइलूट नहीं होगी।

माननीय अध्यक्ष जी, प्रेमचन्द्रन जी ने कहा कि ऑर्डिनेन्स लाए। प्रेमचन्द्रन जी, मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन, धारा 356, कितनी बार किस पार्टी ने लगाया। अगर और ज्यादा डिटेल चाहिए तो मैं फिर से पढ़ देता हूं। ऑर्डिनेन्स के आँकड़ें आप देखेंगे तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे इसलिए मैं देना नहीं चाहता। जितने ऑर्डिनेन्स कांग्रेस के शासन में आए, उतने कुल मिलाकर सब शासन में नहीं आए। इसके एक-चौथाई है, इसलिए आप हमें यह न कहें। छह महीने में ऑर्डिनेन्स को सदन में लाना ही पड़ता है। हम चर्चा भी करते हैं, शांति से चर्चा करते हैं। आपके एक-एक बात का मैं जवाब दे रहा हूं। ओवैसी साहब ने कहा कि डीलिटेशन का क्या करोगे...(व्यवधान) अच्छा, वह चले गए। छोड़ दीजिए, आगे चलो...(व्यवधान) श्री नायडू जी ने कहा कि गृह मंत्री एश्वरेंस देंगे कि हम चुनाव करा देंगे। इलेक्शन हमें नहीं कराना होता है, चुनाव

इलेक्शन कमीशन को कराना होता है। अध्यक्ष जी, जिस दिन इलेक्शन कमीशन अनुशंसा करेगी, हमारी सरकार एक सेंकेंड की भी देरी चुनाव कराने में नहीं करेगी...(व्यवधान) यह विषय नहीं है, मगर जवाब चाहिए तो मैं उसका जवाब दे दूंगा...(व्यवधान) आप खड़े होकर रिकॉर्ड पर कह दो, मैं तुरंत जवाब दे दूंगा। आपने 13 बार किया है। जब आपकी बारी आई, तब सहन नहीं होता है। 13 बार इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव कराए और देश की सुप्रीम कोर्ट ने इसको निकाल दिया है...(व्यवधान)

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): Why are you angry?

श्री अमित शाह: मैं एंग्री नहीं हो रहा हूं...(व्यवधान) मैं जरा भी एंग्री नहीं हो रहा हूं। भईया, ऐसा है, जरा सुनिए तो मैं आपको बताता हूं। मैं जरा भी गुस्सा नहीं हूं। मेरी आवाज़ ऊंची हुई है, वह इसलिए ऊंची हुई है कि अगर किसी को न सुनाई पड़े तो ध्यान से सुन लो...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, जसबीर जी ने कहा...(व्यवधान) अरे भईया, इसको आप इतना पर्सनली क्यों लेते हो? किसी आदमी की आवाज़ बड़ी हो सकती है...(व्यवधान) आप आवाज़ पर क्यों जाते हो? आप कन्टेन पर जाओ। हसनैन साहब ने कहा कि धारा 370 है। हसनैन साहब, मैं मानता हूं कि धारा 370 है। मगर क्या आप स्थाई शब्द भूल गए हैं?

(1555/CP/AK)

यह अस्थायी है, परमानेंट नहीं है। अस्थायी शब्द है, आप भूल गए हैं या तो जान-बूझकर पढ़ते नहीं है। धारा 370 हमारे संविधान का अस्थायी मुद्दा है, यह याद रखिएगा। यह शेख अब्दुल्ला साहब की सहमति से ही हुआ है। आपने कहा कि एप्रोच में परिवर्तन, मैं सदन के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, माननीय प्रधान मंत्री जी, हमारी सरकार या मेरे एप्रोच के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हमारा एप्रोच पहले भी वह था, आज भी वह है, आगे भी यही रहेगा। भारत को सुरक्षित, समृद्ध, सुसंस्कृत और शिक्षित बनाने का एप्रोच हमारा जस का तस बना रहेगा। इसलिए आप परिवर्तन की चिंता न करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो संकल्प और बिल जो मैं

आज लेकर आया हूँ, ये जम्मू-कश्मीर की भलाई के लिए हैं। एक विशिष्ट प्रकार की सिचुएशन खड़ी हुई है।

ओवैसी साहब ने यह भी पूछा था कि इसके साथ चुनाव क्यों नहीं कराए गए? काफी मेंबर्स ने भी पूछा कि लोक सभा के साथ वहां चुनाव क्यों नहीं कराए गए? मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि लोक सभा की छः सीट्स होती हैं, छः प्रत्याशी होते हैं। जब असेंबली का चुनाव करते हैं, तो ढेर सारी जगहों पर असेंबली के चुनाव होते हैं, ढेर सारे प्रत्याशी होते हैं। लोक सभा चुनाव के साथ इन सब को सुरक्षा प्रदान करना संभव नहीं था। ढेर सारी सुरक्षा की ऊर्जा भारत विरोधियों को सुरक्षा देने में खर्च होती थी। अब उससे मुक्ति मिल गई है। चुनाव आयोग जब भी कहेगा, हम तुरन्त चुनाव करा लेंगे। इसकी आप जरा भी चिंता मत करिए। कश्मीर के अंदर लोकतंत्र बहाल करना, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। मगर हम तभी इसे कर सकते हैं, जब चुनाव आयोग हमें कहे।

माननीय अध्यक्ष जी, अंत में, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो दोनों बिल मैं लेकर आया हूँ, माननीय मनीष जी, अब सुनें, उसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, विचारधारा से ऊपर उठकर इसका समर्थन करिए। यही विनती करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

(इति)

1557 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Speaker, Sir. I am limiting to my observations regarding my Statutory Resolution. I would like to exercise my right of reply to the Statutory Resolution moved by me. I would like to remember the cherishing memories of Pandit Jawaharlal Nehru, who is the architect of modern India and who made this Parliamentary democratic system as the best one in the world.

Regarding my Statutory Resolution, I would like to say that the specific question that I have posed before the hon. Minister is regarding the date by which the Ordinance is being promulgated. Yes, the hon. Minister is absolutely correct that there are a lot of instances when Ordinances were promulgated by the then Governments, especially, the Congress Government. But the promulgation of an Ordinance should have some logical reasoning.

As far as this case is concerned, the Jammu and Kashmir Reservation Act is of 2004, and the BJP-led Shri Narendra Modi Government was there in power for the last five years. This Government did not get time to pass or it did not get time to legislate on the matter. But on 1st March, that is, just 10 days before the election notification was issued, the Government promulgated an Ordinance so as to provide reservation for the people who are residing at the adjoining areas of international border. This means that you are using Article 123 of the Constitution. Though you are having absolute power, yet it is a misuse of Article 123 (1). This is the point that I would like to make here.

Regarding other issues, I am not bound to reply. I would like to say once again that forces in the State of Jammu and Kashmir definitely require it in order to abate the terrorist forces, but at the same time we have to get the love and affection of people of Jammu and Kashmir beyond all political means. With these words, I would like to conclude. Thank you very much.

(ends)

...(व्यवधान)

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Speaker, Sir, may I speak for two minutes please? ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी बोलिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अमित जी, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। आप लोगों के सत्ता में आने के बाद, आपकी जिम्मेदारी संभालने के बाद, पिछले छः महीनों में तिरंगे में लिपटी हुई ताबूत की कतार थमने का नाम नहीं ले रही है।

(1600/NK/SPR)

एक के बाद एक सिक्युरिटी पर्सनल जिस तरह से शहादत के शिकार हो रहे हैं, क्या आप यह सोचते हैं कि आपकी पॉलिसी कश्मीर में हमसे ज्यादा कामयाब हो रही है?

माननीय अध्यक्ष : भाषण नहीं देना है, केवल क्लेरीफिकेशन लेना है? मैं आपको विशेष इजाजत दे रहा हूँ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): आपने अपने भाषण में कहा कि पहले विदेश से आतंकवादी आते थे, लेकिन अब कश्मीर में एक नया डाइमेंशन पैदा हो गया है। जहां लोकल मिलिटेंट की तादाद बढ़ती जा रही है। आप कश्मीरी पंडितों के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन उन लोगों की वापसी के लिए क्या प्लॉन है, इस बारे में आपको सदन को बताना चाहिए। चुनाव के पहले से आप लोगों से सुनते आ रहे हैं कि दारुद इब्राहिम को पकड़ कर लाएंगे, कब दारुद इब्राहिम को पकड़ कर लाएंगे? जब कश्मीर की बात होती है, यह कश्मीर की बात है। ...(*व्यवधान*) उन्हीं की बात कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य कुछ नियम प्रक्रिया होती है। कंस्टीट्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने क्लेरीफिकेशन के लिए स्पेशल परमिशन दी है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं माननीय मंत्री जी श्री अमित शाह जी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

“ कि यह सभा जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 की उदघोषणा के प्रवर्तन को 3 जुलाई 2019 से और 6 माह की अवधि के लिए आगे जारी रखने का अनुमोदन करती है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब मैं माननीय श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 1 मार्च, 2019 को प्रख्यापित जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 8) का निरनुमोदन करती है। ”

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

“कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने। ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम को विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री अमित शाह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

“ कि विधेयक को पारित किया जाए। ”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“ कि विधेयक को पारित किया जाए। ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(1605/SK/UB)

बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट और छुट्टा गोवंश की समस्या को दूर करने के लिए केन-बेतवा नदी संपर्क परियोजना द्वारा नहरों का निर्माण के बारे में संकल्प – जारी

1605 बजे

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा बुंदेलखंड में किसानों को समय से सिंचाई का पानी न मिलना, बेतवा-केन को मिलाने के संबंध में तथा अन्ना पशुओं द्वारा उत्पन्न स्थिति के संकल्प पर जो चर्चा चल रही थी, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह चर्चा 21 जून को प्रारंभ हुई थी, आज यह चर्चा कन्टीन्यु हो रही है।

1605 बजे

(श्री कोडिकुन्निल सुरेश पीठासीन हुए)

मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड में आज किसानों की जो दशा है, वहां रहने वाले लोगों की जो दशा है, वह निश्चित रूप से बहुत दयनीय है। अन्ना पशुओं द्वारा किसानों की फसल को बर्बाद किया जाता है। पूर्व सरकारों ने ऐसी कोई योजनाएं नहीं बनाईं, जिसके कारण बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई के साधन बढ़ाए जाएं और अन्ना पशुओं पर लगाम लगाई जा सके।

माननीय सभापति जी, हम कह सकते हैं कि वर्ष 2017 के चुनाव के बाद जैसे ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनी, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में लोकसभा के सदस्य आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी बने। उन्होंने किसानों के लिए ढेर सारी योजनाएं दीं। उन्हीं योजनाओं के कारण से उत्तर प्रदेश की जो दयनीय स्थिति है, उसमें बड़ी तेजी के साथ सुधार हो रहा है। सुधार होने में समय लगेगा, क्योंकि अगर ये योजनाएं 15 साल पूर्व से लागू की गई होती तो किसानों की फसलों को बर्बाद करने वाली अन्ना पशुओं के कारण जो स्थिति है, उससे परेशान न होते। यहां समय से सिंचाई के साधन न मिलने की वजह से किसान परेशान है। जब हम छोटे थे तब बजुर्गों से सुनते थे कि खेती हमारे लिए अच्छा साधन है। उस समय वे कहते थे - उत्तम खेती

मध्यम बान, नीच चाकरी भीख समान। तब खेती को उत्तम माना गया था, धंधे को द्वितीय माना गया था और नौकरी को एक भीख के समान माना गया था।

माननीय सभापति जी, अब यह उलटा हो गया है। आज हम खेती को भीख के समान समझ रहे हैं और नौकरी उत्तम स्थिति पर पहुंच गई है। आज किसान, जिसके पास खेती है, जो खेत में खेती तो करता है, उसे उतना अन्न नहीं मिलता है जितने पैसे का बीज वह खेत में डालता है। हमने करीब से देखा है, हमने भी खेती की है। हम बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, बुंदेलखंड में जब किसान खेती करता है, बीज डालता है, खाद डालता है, जुताई करता है, बुराई करता है और सब करने के बाद जितना खर्च होता है, उसकी आधी फसल भी उसे प्राप्त नहीं होती है।

हमें अच्छी तरह से याद है, एक बार मैंने छः एकड़ खेत में खेती की थी। मसूर की खेती की थी, तीन क्विंटल बीज डाला था, खाद डाली थी, दवाई लगाई थी, समय से सब साधन किए थे। तीन क्विंटल बीज डाला था लेकिन, जब फसल काटकर खलिहान में लाए, उसकी मड़ाई की तो मात्र दो क्विंटल मसूर प्राप्त हुआ।

(1610/MK/KMR)

किसानों को इतना सारा नुकसान होता है, इसलिए आज किसान खेती को छोड़कर नौकरी की तरफ भाग रहा है। विशेष रूप से हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में किसानों के पास खेती तो बहुत है, लेकिन उसके पास वह साधन नहीं हैं जिनसे वह अच्छी ऊपज ले सकें और अच्छा खद्यान्न पैदा कर सकें। विशेष रूप से बुंदेलखंड की स्थिति में जो मानसून है, जो वर्षा की स्थिति है, वह भी ठीक नहीं है। पहले वर्षा के समय 55-60 दिन तक वर्षा होती थी। उस समय हम छोटे थे, तब इतनी वर्षा होती थी कि बूढ़े-पुराने लोग कहते थे कि इस बादल को हो क्या गया है? छोटे-छोटे मकान गिर जाते थे। बाहर जाने के लिए, शौचालय जाने के लिए विवशताएं बन जाती थीं। उस समय शौचालय नहीं थे तो बाहर जाने में दिक्कत होती थी। आज वे बरसात के दिन, जो पहले 60 दिन तक बरसात होती थी, आज वह बरसात केवल 24 दिन तक सिमट गयी है। बरसात होती भी है तो हमारे यहां ऐसे साधन नहीं हैं, जिन साधनों के माध्यम से उस पानी को रोका जा सके। पानी बरसता है, बरसने के बाद नदी-नालों

में चला जाता है। नदियों के बाद सीधा समुद्र में चला जाता है। काश हम लोगों ने जो पूर्व में सरकार रही, उसने अगर बांध बनाकर इस पानी को रोकने का प्रयास किया होता तो शायद बुंदेलखंड के किसानों की दुर्गति न होती।

माननीय सभापति जी, मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 2017 के पहले मैं 2014 में सांसद बन गया था। ढेर सारी योजनाएं केंद्र से प्रदेश में भेजी गयी थीं। एक हमारे रिश्तेदार जो गरीब किसान थे, उन्होंने आकर मुझसे कहा कि सांसद जी आप सॉइल कन्जर्वेशन विभाग में कह दीजिएगा कि हमारे खेत में जाकर बंधी बनाई जाए क्योंकि भू-संरक्षण विभाग द्वारा खेतों में बंधी बनाई जाती हैं, बांध बनाए जाते हैं।

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): Hon. Member, please take your seat.

I have to inform the hon. Members that two hours have already been taken for discussion on this Resolution thus almost exhausting the time allotted. As there are seven Members more to take part in the discussion, the House has to extend the time for further discussion on the Resolution.

If the House agrees, the time for discussion on the Resolution may be extended by two hours.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: The time for discussion on the Resolution is extended by two hours.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Another two hours' time is inadequate, Sir. For seven Members to speak, it will require at least three hours.

HON. CHAIRPERSON: We have already extended the time by two hours. If it is found insufficient, we will consider it then.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Sir, this issue is of prime national importance. Interlinking of rivers, water scarcity, irrigation, wildlife and it has so many other issues. This is a subject which needs elaborate discussion. As the hon. leader Shri Adhir Ranjan Chowdhury has said, two hours will not be sufficient. Whether it is another four hours or six hours, you will adjourn the House at six o'clock. So, instead of extending the time again and again till we exhaust the list of the Members, the time could be extended by another four hours and then it can be considered again if there are more Members who want to speak. It is your discretion, Sir. Many Members would be there, and we have got such a bright and handsome Minister sitting here who wants to hear all the suggestions on this subject. So, my suggestion is, that extension be granted, as also suggested by Shri Adhir Ranjan Chowdhury, for maybe four hours to begin with.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Yes.

(1615/YSH/SNT)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): We have already extended the time by two hours. If it needs to be further extended, we will consult at that time.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): धन्यवाद सभापति महोदया मैं विशेष रूप से बुन्देलखण्ड की उस स्थिति से इस सदन को अवगत करा रहा था। वर्ष 2000 के चुनाव के बाद उत्तरप्रदेश में ऐसी सरकार थी, जिसने बिल्कुल काम नहीं किया था। विशेष रूप से एक हमारे रिश्तेदार, जो खेती का

काम करते थे, वे हमारे पास आए। भूमि संरक्षण विभाग खेतों पर समतलीकरण और उस पर बंध बनाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि आप बी.एस.ए. से कह दीजिएगा कि एक बंधी बनाने का काम मुझे दे दें। मैंने बी.एस.ए. को फोन किया और कहा कि ये किसान हैं, इनकी स्थिति अच्छी नहीं है और किसी के द्वारा इन्हें बंधी बनाने का काम दे दिया जाए। यह कहने के बाद हम भी ये सारी चीजें भूल गए। समय आया-गया, हो गया अभी जब वर्ष 2017 का विधानसभा का चुनाव हुआ, उस समय मैं विधायक के पक्ष में वोट मांगने गया तो उन रिश्तेदारों का यह कहना था कि सांसद जी, मैंने एक काम के लिए कहा था, वह भी काम आप नहीं करा पाए। मैंने कहा क्यों, मैंने तो बी.एस.ए. को बोला था कि आप काम करिए, आपने मुझे बताया नहीं।

सभापति महोदय, आप सुनकर अचंभे में रह जाएंगे कि कुछ अधिकारियों ने उस किसान से जो थोड़ी बहुत ठेकेदारी करता था, कहा कि आप कमीशन के रूप में पहले 70 परसेंट पैसा जमा करा दीजिए। 30 परसेंट में बंधी का काम कीजिए, उसमें जो तुम बचा सकते हो, बचा लेना। मैं कह सकता हूँ कि वर्ष 2017 के चुनाव की क्या स्थितियां थी बुन्देलखण्ड में। आज मैं कह सकता हूँ कि योगी जी की सरकार है। किसानों के लिए नई नई योजनाएं दी जा रही हैं। अधिकारी सही तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें समय लगेगा। यह अन्ना पशु प्रथा, आज भी किसान परेशान हैं। आज भी वह अगर कोई फसल बो देता है तो रात में उसका बेटा जाता है। अगर खाना खाने उसे आना है तो उसका पिता पहुंच जाता है। पिता और बेटे यदि घर आते हैं तो उनके परिवार की महिलाएं खेत पर पहुंच जाती है। तब कहीं जाकर वे खेतों को बचा पा रहे हैं, लेकिन 2017 के चुनाव के बाद जैसे ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में योगी जी की सरकार बनी उन्होंने इस विषय पर काम किया। उन्होंने नई-नई गौशालाएं बनाने का काम किया। यहां तक कि जो हमारी गायें, बछड़े फसल को बर्बाद कर रहे हैं, लोगों ने जिन गायों को छोड़ दिया है, वे एक किलो या दो किलो दूध दे रही हैं, किसान उन्हें अपने पास नहीं रख रहे हैं, प्रदेश की सरकार ने उसमें नया प्रयास तलाशा। उन्होंने कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से इन गायों में जो सीमन डाला, उससे स्पष्ट हो गया कि 90 परसेंट तक उससे बछिया ही पैदा होगी और 90 परसेंट तक बछिया ही हो रही है, 10 परसेंट तक

बछड़े हो रहे हैं। आज जो बछड़े हमारे खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्होंने उनको बधिया करके कम करने का प्रयास किया है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार ढेर सारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है।

हमारे बुन्देलखण्ड के लोग पलायन को मजबूर हैं, क्योंकि खेती तो उनके पास ढेर सारी है, लेकिन उन्हें सिचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। जब से देश स्वतंत्र हुआ है, हमारे बुन्देलखण्ड में एक भी नहर नहीं खोदी गई है। अगर नहर की क्षमता बढ़ाई जाए, पानी को रोका जाए, हमारे जो बांध हैं, उन बांधों में सिल्ट इतनी आ गई है कि अगर उनकी सफाई की जाए तो शायद उनमें ज्यादा से ज्यादा पानी भरा जा सके और किसानों को समय से पर्याप्त जल दिया जा सके।

(1620/RPS/GM)

आज वहां के लोग बाहर जाकर रिकशा चलाने को मजबूर हैं और किसी तरीके से अपने परिवार को लेकर जीवनयापन कर रहे हैं।

सभापति महोदय, जब हम लोग झांसी में पढ़ते थे, उस समय वहां एक सूती मिल भी लगी हुई थी। पता नहीं क्या परिस्थितियां बनीं, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लगी हुई वह सूती मिल भी बन्द हो गई। उससे निकले हुए मजदूर भी आज इधर-उधर भटक रहे हैं, इधर-उधर काम कर रहे हैं और उनके पास सारी चीजें हो नहीं रही हैं।

सभापति महोदय, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी ने यह संकल्प रखा है, इनका क्षेत्र महोबा है। महोबा में पान की खेती होती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वहां पान की खेती से करीब दो करोड़ रुपये का निर्यात किया जाता है। अगर उसे देखा जाए तो किसान बहुत अच्छा काम करते हैं। उससे पांच-छः करोड़ रुपये का निर्यात होता है। उनको और सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर उन पान की खेती करने वाले किसानों को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी तो शायद उनकी आय और ज्यादा बढ़ेगी।

हमारे यहां बुन्देलखण्ड में सबसे ज्यादा, अगर दलहन में देखा जाए तो अरहर, मसूर आदि फसलें होती हैं...(व्यवधान) सभापति जी, यह प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस है, इसमें बुन्देलखण्ड की जो

स्थिति है, उन सारी चीजों को हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं, क्योंकि वहां के लोग बेहद परेशान हैं। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI KODIKUNNIL SURESH): You have already taken 15 minutes.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): सभापति महोदय, मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां बुन्देलखण्ड में चम्बल, सिंध, पहुज, बेतवा, केन और धसान नदियां हैं। ... (व्यवधान) अगर उन नदियों के ऊपर चार-चार या पांच-पांच किलोमीटर के दायरे के अन्दर दस-दस या पन्द्रह-पन्द्रह मीटर ऊपर तक, जिस तरह से हमारी नहरों में रोक लगाई जाती थी, उसी तरीके से अगर रोक लगाई जाए तो बरसात का जो पानी नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है, वह पानी उसमें रुकेगा। आज हमारा जल स्तर बड़ी तेजी के साथ नीचे जा रहा है, आज हमारे कुएं सूख गए हैं, आज हम देखते हैं कि अगर 100 हैण्डपम्प लगे हुए हैं, तो उनमें से मुश्किल से 15 या 20 हैण्डपम्प पानी दे रहे हैं, बाकी सभी हैण्डपम्प्स में जल स्तर इतना नीचे चला गया है कि हम उनमें बार-बार पाइप डालते हैं, लेकिन फिर वे नल पानी देना बन्द कर देते हैं। बुन्देलखण्ड का जल स्तर बड़ी तेजी से नीचे जा रहा है। इसका एक अन्य कारण भी है। हमारे यहां नदियों में से बालू बड़ी तेजी के साथ निकाली जाती है। जिन नदियों से ठेकेदार बालू निकालते हैं, उनका लेवल बहुत नीचे चला जाता है। जब उनके स्रोत नीचे चले जाते हैं तो दूर का पानी भी वे नदियों में खींच लेते हैं। यह भी एक कारण है। हमारे यहां बालू वगैरह बहुत तेजी के साथ निकाली जाती है तो आस-पास के जितने भी जल स्रोत होते हैं, पांच-दस किलोमीटर तक के जितने भी स्रोत होते हैं, उनका पानी खींच लेते हैं। वे नदियों में 15 फुट, 20 फुट या 30 फुट तक गहराई से बालू निकाल लेते हैं और उसके बाद पानी का समतलीकरण नीचे की ओर होता है, जल स्तर नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद आगे दस-दस किलोमीटर तक उससे जो जल स्रोत मिले होते हैं, उनका पानी सीधे उसमें चला जाता है, इससे वहां नल, कुएं, नाले आदि सारी चीजें सूख जाती हैं।

सभापति महोदय, विशेष रूप से बुन्देलखण्ड में अगर किसानों को बचाना है तो सिंचाई के साधन उन्हें देने होंगे। सिंचाई के साधनों के बगैर किसान फसल कैसे बोए और अगर फसल बो भी देता है तो उतना अन्न ही नहीं मिलता है, उसे उतनी आमदनी होती ही नहीं है कि अपने परिवार का खर्च चला सके। वैसे अन्य जगहों की अपेक्षा बुन्देलखण्ड में जोत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में अगर कहीं जोत 2 हेक्टेअर है तो हमारे यहां बुन्देलखण्ड में यह 3 हेक्टेअर है। इसके बावजूद सिंचाई के साधन सही न होने के कारण किसानों को बेहद परेशानी हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, आज हमारी केन्द्र की सरकार ने ढेर सारी नई योजनाएं पूरे देश के लिए दी हैं, उनमें बुन्देलखण्ड के किसानों को भी लाभ मिल रहा है।

(1625/RAJ/RSG)

वहां प्रधान मंत्री सम्मान निधि योजना के तहत छः हजार रुपये में से दो-दो हजार रुपये की किस्त मिलना प्रारंभ हो गयी है, उससे उन्हें थोड़ी-सी राहत मिली है। हमें अच्छी तरह से याद है कि वर्ष 2007-08 में जब बुंदेलखंड में सूखा पड़ा था तो सूखे के समय किसानों को सहायता दी गई थी। जिन किसानों को सहायता दी गई थी, उनके साथ मजाक किया गया था। यह पता चला कि किसानों को जो चेक दिए गए थे, कोई पांच रुपये, कोई दस रुपये के थी तो कहीं सौ रुपये के दिए गए। उस समय जिन्होंने फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराया था, उनको बीमा का पैसा नहीं मिला था। उस बीमा के पैसे की यह दुर्गति हुई थी, उसे सुन कर आप दंग रह जाएंगे। इस योजना से वर्ष 2007 में किस तरह से मजाक किया गया था। किसान को बीमा का पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें वह नहीं मिला। जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उनके खाते बैंक में थे, वे किसान नहीं थे। उस समय सरकारी मशीनरी द्वारा किसानों के खाते में पैसे जाने चाहिए थे, लेकिन बच्चों के खाते में 35-35 हजार की तीन-तीन चेक लगा दी गई थी। हम लोगों ने उसकी जांच की मांग उठाई थी। एक तहसील, कोच में जांच हुई थी, उसमें पचास लाख रुपये का घोटाला पकड़ा गया था। उन बच्चों के खाते में पैसे डाल दिए गए। अधिकारियों ने उनसे एटीएम ले लिया और सारे पैसे निकाल लिए गए। जब हम लोगों ने जांच की मांग की तो उसकी जांच हुई। प्रशासन ने उन बच्चों के साथ सख्ती की। पढ़ने वाले

बच्चों के पास पैसे कहा से आते, वे पैसे कहां से दें? वे घर छोड़ कर भाग गए। पुलिस-प्रशासन उनके पीछे लग गए। वे उनके पिता को उठा कर लाए, क्योंकि वह सरकारी पैसा था और वह उन्हें वापस चाहिए था। उस समय की सरकार को लग रहा था कि हमारी बेइज्जती हो रही है, अधिकारियों ने किस तरह से गलत काम कर दिया है। उनके परिवार के लोगों को उठा कर लाया गया और रात में कोतवाली में बैठाया गया। उनसे पैसे मंगाए गए और बैंक में जमा कराए गए। सरकार के खाते में पैसे वापस लिए गए। बुंदेलखंड में ये स्थितियां होती थीं, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि केन्द्र से जाने वाली जो सम्मान निधि है, वह किसानों के खातों में जा रही है।

हमारे देश के प्रधान मंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, किसी तरह वे आत्महत्या न करें, उन्हें आत्महत्या से बचाने के लिए 'प्रधान मंत्री फसल बीमे योजना' के माध्यम से किसानों को बचाने का काम किया है। इस योजना के माध्यम से अकेले बुंदेलखंड में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में किसानों को बचाने का काम किया गया है। यह बहुत अच्छी योजना है। यह एक ऐसी योजना है, जिससे किसानों को लगता है कि हमारी जो फसल बर्बाद हो जाती थी, हमारा पैसा लगता था, हम बीमा कराते थे। पहले किसानों से प्रीमियम का पूरा पैसा ले लिया जाता था और उसके बाद बीमा होता था। बेमौसम वर्षा या कहीं कुछ हो जाता था तो किसानों को बीमे का पैसा नहीं मिलता था और वह मिलता भी था तो लेखपाल चुन-चुन कर देता था, क्योंकि उस समय लेखपाल ही रिपोर्ट लगाते थे।

उस समय 50 प्रतिशत नुकसान होने के बाद किसानों को बीमे का पैसा मिलता था। अगर लेखपाल चाहता था तो किसान को बीमे का पैसा मिलता था। अगर लेखपाल नहीं चाहता था तो किसान को बीमे का पैसा नहीं मिलता था, चाहे उसका 55-60 प्रतिशत नुकसान ही हुआ हो। लेखपाल रिपोर्ट लगाने जाता था और नुकसान देखने के बाद अगर किसी तरह से उस किसान ने उसे लाभ नहीं पहुंचाया तो 55 और 60 प्रतिशत नुकसान को घटा कर 45 प्रतिशत कर देता था। जिसने उसे थोड़ा-बहुत लाभ पहुंचा दिया तो उसके 40-45 प्रतिशत नुकसान को 55 प्रतिशत कर देता था। जिन किसानों को नुकसान होता था, वे सोचते थे कि हमें बीमे का पैसा मिलेगा। सरकार

की एजेंसियां भी पैसे दिलाने में कोताही बरतती थीं, लेकिन देश के प्रधान मंत्री ने उस नुकसान को 50 प्रतिशत से घटा कर 33 प्रतिशत कर दिया है।

(1630/IND/RK)

किसान का प्रीमियम पहले किसान क्रेडिट कार्ड से पूरा-पूरा काट लिया जाता था, अब रबी और खरीफ की फसल में मात्र डेढ़ या दो परसेंट प्रीमियम किसान से लिया जाता है और बकाया प्रीमियम का पैसा सरकार अपने खाते से देती है। सरकार यदि अपने पैसे से प्रीमियम देती है, तो चिंता भी करती है। सरकार को लगता है कि मेरा पैसा है और किसान के लाभ के लिए हमने बीमा कराया है, तो सरकार कम्पनियों के ऊपर दबाव भी बनाती है। ये योजनाएं अब उत्तर प्रदेश में भी लागू हो गई हैं। हमें याद है कि शायद सहारनपुर में कोई मीटिंग थी, उस समय देश के प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जी ने मंच पर खड़े हो कर कहा था कि कैसी उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने वर्ष 2016 में किसानों को आत्महत्या करने से बचाने के लिए फसल बीमा योजना तय की है, उसके लिए ये कम्पनियां ही तय नहीं कर पा रही हैं। जब केंद्र सरकार ने दबाव बनाया, तब ये योजना लागू की गई थी। आज इस योजना का लाभ हमारे बुंदेलखंड के किसानों को भी मिल रहा है। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत हमारे किसान कुछ खुशहाल तो हुए हैं, लेकिन सिंचाई के साधन न होने की वजह से आज भी वे परेशान हैं। विशेष रूप से हमारे किसानों की जो उपज है, उसका मूल्य सही नहीं मिल पाता था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चार लेन, छः लेन की सड़कें बनाकर किसानों को सीधा कानपुर, दिल्ली और अन्य जगहों से जोड़ने का काम किया था। आज ऐसे ही बहुत तेजी के साथ विकास के काम किए जा रहे हैं।

सभापति जी, केंद्र सरकार द्वारा मेरे लोक सभा क्षेत्र बुंदेलखंड के अंदर डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। पहले किसानों की जमीन मुश्किल से तीस-चालीस या पचास हजार रुपए प्रति बीघा बिकती थी, आज वहां डिफेंस कॉरिडोर घोषित होने के बाद हमारे किसानों के पास जो जमीन थी, उनमें से कुछ किसानों की जमीन डेढ़-दो करोड़ रुपये में बिक रही है। आज वहां किसानों की हालत अच्छी हो रही है, क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से गरौठा विधान सभा एरच का जो

क्षेत्र है, उसमें 17 गांव लिए गए हैं। 17 गांवों के किसानों की जमीन ली गई है। वहां के किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है, लेकिन हमारे जो दूसरे भाग हैं, जो सात जिले हैं, गरौठा तो केवल एक विधान सभा क्षेत्र है, लेकिन बुंदेलखंड में 19 विधान सभाएं और हैं। उन क्षेत्रों के लिए किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, बाहर की कम्पनियां काम करेंगी, तो बुंदेलखंड के किसानों को वहां काम करने के लिए मिलेगा और जब वहां से रोड निकलेगा तो निश्चित ही आस-पास फैक्टरियां लगेंगी और वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जा रहा है। बुंदेलखंड में जो चित्रकूट धाम है, वहां से जालौन और बुंदेलखंड से होते हुए सीधे कन्नौज में मिलाया जाएगा। उसमें बहुत सारे जिले बनेंगे। वहां किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। किसान खुशहाल हो रहे हैं। वे किसान आज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से हमें इतना पैसा मिल रहा है। जहां से रोड निकल रहे हैं, जहां डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, वहां लोगों को निश्चित लाभ मिल रहा है। लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक बुंदेलखंड में सिंचाई के साधन नहीं होंगे, तब तक बुंदेलखंड का किसान अच्छी तरह से जीवन यापन नहीं कर सकता है। किस तरह से वह अपने बच्चों की पढ़ाई कराएगा, कैसे अच्छी शिक्षा देगा और कैसे अपने परिवार का खर्च उठाएगा। यदि इन सारी योजनाओं का क्रियान्वयन अगर सही ढंग से पूर्व में हुआ होता, तो शायद हमारे किसानों की दयनीय स्थिति नहीं होती।

(1635/VB/PS)

इसलिए माननीय कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी के द्वारा जो केन-बेतवा नदियों को जोड़ने का संकल्प लाया गया है, वह बहुत ही अच्छा संकल्प है। हम जानते हैं कि केन नदी से जैसे ही बेतवा नदी को जोड़ दिया जाएगा, तो इससे एमपी में जो बुंदेलखण्ड का भाग है, वहाँ तो इसका पानी जाता ही है, साथ ही जब यह झांसी जिले में आकर बेतवा नदी में मिलेगी, तो उत्तर प्रदेश में जालौन जनपद होते हुए अन्य जनपदों में भी जाएगी। बेतवा नदी जिन जनपदों के किनारे-किनारे जाती है, वहाँ के आसपास के किसानों को उसका लाभ मिलेगा।

लेकिन मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि बरसात के दिनों में नदियों-नालों और तालाबों में जो पानी आता है, वह बड़ी तेजी से समुद्र की ओर चला जाता है। इसे रोकने का काम किया जाना चाहिए। ऐसी योजनाएँ बनानी चाहिए, जिनसे यह पानी रुक सके। जब यह पानी नहीं रुकेगा, जब यह बहकर समुद्र में चला जाएगा, तो स्थिति इसी तरह से बनी रहेगी।

हमें बुंदेलखण्ड में नये-नये बांधों का निर्माण करना होगा। पहले भी हमने कहा कि जो बांध बने हैं, वे वर्षों से बने हुए हैं, उनकी सफाई नहीं हुई है। काश उनकी सफाई हुई होती, तो शायद हमारी जल भण्डारण की क्षमता और बढ़ गई होती। गुरसराय क्षेत्र में एक भसनेह बांध है, उसमें तो इतनी सिल्ट आ गई है कि उसमें पानी ही नहीं बनता है, सिर्फ सिल्ट ही सिल्ट बनी हुई है। अगर उसकी सिल्ट एक बार उठा दी जाए, उसकी मिट्टी उठाकर कहीं दूसरी जगह कर दी जाए, तो वह गहरा हो जाएगा और बरसात में पानी भरने की जो व्यवस्था है, जब वह उससे भर जाएगी, तो इससे गरौठा के आसपास के किसानों को पर्याप्त जल दिया जा सकता है।

अन्य नदियों में भी जगह-जगह पानी को रोका जाए, गांवों में जो तालाब हैं, उन तालाबों का सीमांकन सही तरीके किया जाए। अभी-अभी गर्मी में कुछ तालाब भरे गये हैं। तालाबों को भरने के लिए नहर में पानी नहीं था। पता चला कि चार-पाँच गांव के बीच में एक तालाब को भरा गया है। जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी न मिलने के कारण बहुत-से जानवर मर गये।

आज हम लोग कहते हैं कि जो प्राइवेट ट्यूबवेल है, अभी जब हम 21 तारीख को बोल रहे थे, तब तक जानकारी थी कि शायद किसानों को विद्युत कनेक्शन में सब्सिडी नहीं मिल रही है। आज जानकारी मिली है कि विद्युत कनेक्शन में उनको सब्सिडी देना प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्राइवेट ट्यूबवेलों में और सब्सिडी देनी चाहिए क्योंकि नदियों के किनारे जितने भी क्षेत्र हैं, वे ऊबड़-खाबड़ जंगल टाइप के क्षेत्र हैं। वहाँ तेजी से समतलीकरण किया जाना चाहिए, जो भूमि-संरक्षण विभाग से होता है। भूमि-संरक्षण विभाग पर भी लगाम कसना चाहिए। जो योजनाएँ आती हैं, पता चला कि गांव सभा ने ही उस बांध को बना दिया है। इसके बाद पता चला कि भूमि-संरक्षण विभाग

ने भी उसी बंध को बना दिया है। सरकार चाहती है कि उसका फोटो खींचकर दिया जाए। उसके चित्र लिये जाएं। उसकी फोटो तो ली जाती है, फोटो लेने के बाद, पाँच मीटर छोड़ने के बाद अगर दूसरी तरफ से फोटो लेंगे, तो उसकी पिक्चर बदल जाएगी। उसकी दिशा बदल जाएगी। यह समझ में नहीं आएगा कि यह बंध पुराना वाला है या नया वाला है। इसलिए किसानों को खुशहाल करने के लिए इन सारी योजनाओं को लागू करना होगा।

सभापति महोदय, यह संकल्प विशेष रूप से अच्छा संकल्प है। किसानों को हम अच्छी हालत में ला सकते हैं, उन्हें सम्पन्न बना सकते हैं, उन्हें खुशहाल बना सकते हैं। केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार की सभी योजनाएँ तो अच्छी हैं, लेकिन उनमें समय लग रहा है। मैं आशा करता हूँ कि हमारी केन्द्र की सरकार निश्चित रूप से इस पर चिन्ता करेगी। वह बुंदेलखण्ड के किसानों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने के लिए समय दिया।

(इति)

1639 बजे

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय सभापति जी, मैं चन्देल साहब को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। वे अपने रिजोल्यूशन में एक ऐसे विषय को लाए हैं, जिसके साथ सारे हिन्दुस्तान के लोग, खासकर हिन्दुस्तान के किसान, आम लोग गहनता से जुड़े होते हैं।

(1640/PC/RC)

आपने केन-बेतवा की बात कही है। साथ-साथ स्ट्रे-कैटल, गांवों में गाय और जो दूसरे जानवर घूमते रहते हैं, उसके चलते जो नुकसान होता है, खासकर उस दिन अपनी तक्ररीर में आप पेश कर रहे थे कि हमारे देश की रक्षा करने के लिए और उसकी शहादत को बचाने के लिए जैसे कारगिल में चौबीसों घंटे फौज की तैनाती होती है, उसी तरह गांवों में चौबीसों घंटे हमारे किसान अपनी जमीन पर पहरा देते हैं। यह आपने उस दिन अपनी तक्ररीर में कहा था। इस विषय को मैंने बाद में पेपर में देखा, इसकी नैशनल न्यूजपेपर में बड़ी आलोचना भी हुई है।

1641 बजे

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

चेयरमैन सर, रिवर लिंकिंग हमारे देश के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। Inter-Linking of Rivers Programme is of national importance and has been taken up on high priority. A National Perspective Plan has been prepared by the Ministry of Water Resources. यह अब जल शक्ति मंत्रालय हो गया है। हमारे शेखावत साहब यहां आए हैं। Under this Programme, NWDA has already identified 14 links under the Himalayan rivers component and 16 links under the peninsular river component for inter-basin transfer of water based on field surveys, investigation and detailed study.

Ken-Betwa Link Project was declared as national project in the year 2009 which entailed 90:10 per cent share. जब यह तय हुआ था, तो केन्द्र की सरकार का 90 परसेंट और सूबों की सरकार का 10 परसेंट फंडिंग पैटर्न था। यह जो फंडिंग पैटर्न है, इसे अब बदला गया है। अब केन्द्र की सरकार कहती है कि वह 60 परसेंट फंड देगी और सूबे की सरकारें कहती हैं

कि 40 परसेंट फंड देंगी। केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के फेज़-2 का डीपीआर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार को जनवरी, 2014 में भेजा गया था।

The DPR of Ken-Betwa Phase-II link was sent to States of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh in 2014. DPR of Ken-Betwa Link Project Phase-II including lower Orr dam and other barrages were proposed by the Government of Madhya Pradesh. Subsequently, the Bina Complex Project was added to it and two barrages, namely, Neemkheda and Barari were dropped. The DPR of Ken-Betwa Link Project Phase-II which now include lower Orr, Kotha barrage and Bina Complex Project is under technical appraisal in CWC.

चेयरमैन सर, हमारे देश में यह जो इंटर-लिंकिंग की भावना है, यह बहुत पुरानी भावना है। 160 वर्ष पहले, a British who regularly tussled with his superiors and others visualised a grandiose project which is taking a concrete shape in the 21st century. Sir Arthur Cotton who worked in the Madras Presidency during the Raj period was passionate about irrigation and waterways. His critics say that his head was full of water which according to them explained his crazy ideas. For his admirers, largely Indians, he was Lord and King. Some of the plaques on thousands of his statues that line the river Godavari coast in South India read 'Apara Bhagiratha' (which means the divine king who brought down the river Ganga to Earth) as also Cotton Dora and Lord Cotton. It was Sir Cotton who built the dam that converted the Godavari region and Andhra Pradesh into the country's rice bowl. It was Sir Cotton who first envisaged the linking of various rivers in the North and South India.

(1645/SNB/SPS)

His vision and what he wanted was the connection of various irrigation projects so as to complete the Steam Boat communication from Ludhiana by the Sutlej, Yamuna, Sone, Ganges, Mahananda, Godavari, Krishna Boat Canal and one from Nellore through Carnatic to Ponany so as to produce a point apposite to Aden at an almost nominal cost. That was the grand object. Hence his river linking scheme envisaged both irrigation and cheaper transport through waterways.

इसका मतलब यह है कि जो यह रिवर लिंकिंग है, इसके साथ-साथ हम ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, हम इसके साथ-साथ एन्वायरमेंट का भी रख-रखाव कर सकते हैं। सर, बात यह है कि इस इंटर-लिंकिंग को लेकर बहुत दिनों से हमारे पार्लियामेंट में भी चर्चा हुई है। हमारे पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज 2008-09 में हमें यह देखने का मिल रहा है कि The National Water Grid was earlier prepared by the then Central Water and Power Commission in 1972. Further, apart from CWC, this concept of Inter-basin water transfer was also proposed by Dr. K.L. Rao in 1972 titled 'National Water Grid' and later in 1977 as Garland Canal by Captain Dastur which attracted considerable attention. While Dr. Rao's proposal envisaged transfer of Ganga water to Cauvery through Ganga-Cauvery link, partially by lift and partially by gravity, the proposal of Captain Dastur sought to store water of all tributaries, rivulets in canals at a constant elevation and their utilisation through Himalayan and Central-Southern Garland Canal involving transfer of water in both the directions.

The NPP comprises two components – one Peninsular River Development and another Himalayan River Development. The NPP envisaged additional benefit of 25 million hectare of land irrigation from surface water and 10 million hectare of land by increased use of ground water which would ultimately raise the irrigation potential from the existing level of 140 million hectare of land to 170 million hectare of land and generate 34000 MW of power apart from the benefits of flood control, navigation, water supply, fisheries, salinity, pollution control etc.

The NCPMP of UPA Government in 2004 envisaged a comprehensive assessment of feasibility of the link starting with the Southern rivers in a fully consultative manner. Thereupon, five links, namely, Ken-Betwa, Parbati-Kalisindh-Chambal, Par-Tapi-Narmada, Damanganga-Pinjal and Godavari-Krishna were identified as priority links for bringing consensus amongst the concerned States to take up the work of preparation of DPR. However, one Memorandum of Understanding for Ken-Betwa link was signed and DPR of this link was likely to be completed by the end of 2008. This is what was stated then.

From the perusal of various links under the inter-linking of rivers programme it is observed that out of the 30 identified links, 14 links fall under Himalayan component. Of these, the Committee observed that, the initial reaches of seven water transfer links and their storage lie in the neighbouring countries of Nepal and Bhutan. In December 2002, in pursuance of a direction by the Supreme Court, the then Government constituted a Task Force under the leadership of an MP, Shri Prabhu. He did a stupendous and an outstanding job

in preparing the plan of inter-linking of rivers. Now, there was a Standing Committee at that time which observed:

(1650/RU/KDS)

“The Committee note that according to the present day constitutional division of subjects (which is a very pertinent matter) between the Union and the States, the subject ‘water’ falls both under the Union and the State Lists. It may be pointed out that while Entry 56 of the Union List in the Seventh Schedule in accordance to article 246 empowers the Central Government to make laws, to regulate and develop inter-State rivers and river valleys to the extent to which such regulation and development under the control of the Union is declared by the Parliament by law to be expedient in the public interest.

Entry 17 of the State List of the Seventh Schedule empowers the State to make laws, to regulate and develop water for irrigation, etc. subject to the provision of Entry 56 of the Union List.

Apart from the above, article 254(1) provides that inconsistency between laws made by Parliament and laws made by the Legislatures of States either in respect of subject on which Parliament is competent to enact laws or to any provision of existing laws on matters enumerated in the Concurrent List, then the law made by the Parliament shall prevail on the law made by the Legislature of the State to that extent of repugnancy be void.

The Committee however are constrained to observe that Central Government has not so far made any laws under provision of Entry 56 of the Union List under the Seventh Schedule though there have been several instances of disputes among the States on the issue of water disregarding the verdict of tribunals resulting in avoidable delays especially in execution of projects.

Given this backdrop of things as existing, the Committee invited Memorandum from experts/individuals on the subject of interlinking of rivers wherein the Committee observed that a majority of individuals and experts have opined that the subject, 'water' either needs to be brought under the Concurrent List or the Union needs to enact laws under the previous provisions of Entry 56 of the Union List under the Seventh Schedule."

I am referring this issue because water belongs to the State List. So, I think, the hon. Minister would have been confronting various stumbling blocks before implementing his desired projects. Hence, acrimony has been started between Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. The intention is noble but the implementation is a difficult proposition.

THE MINISTER OF JAL SHAKTI (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT):

What are your suggestions? The hon. Member is a very senior Member. I admire him always. वह शायद यह प्रपोज करेगे कि वाटर को कनकरेंट लिस्ट में लाएं। मैं उनकी भूमिका से ऐसा समझ रहा था, कि अगर ये ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि ये इनके विचार हैं।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, हिन्दुस्तान के विकास के लिए, हिन्दुस्तान के आम लोगों की सुविधा के लिए लिस्ट में लिया जाना चाहिए, ताकि हिन्दुस्तान के आम लोगों के लिए अच्छा हो। सर, मैंने बहुत दिन पहले इस हाउस में यू.पी.ए. सरकार को एक नसीहत दी थी कि- you should nationalise the rivers. The river does not belong to your jurisdiction. It is next to impossible for you to implement this kind of a project called Interlinking of Rivers. Inter-State river linking is a difficult task....(*Interruptions*)

(1655/NKL/MM)

SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT: What you have referred earlier during your speech, they were all intra-State. एक ही स्टेट में सम्भव हुआ है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): आपको एक ही स्टेट तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : मैं आपको बता रहा हूँ कि केवल एक ही स्टेट में हुआ है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): इसका कारण यह है कि सहमति नहीं बन पाती है। आपने तरीका बदल दिया है। अगर सभी स्टेट राजी हो जाते तो आप दूसरा तरीका अपनाते। आपकी करने की इच्छा है, लेकिन आपकी ऐसा करने की क्षमता नहीं है, ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, पावर नहीं है, इसलिए यह अदल-बदल होता है। अभी भी केन और बेतवा ये स्टेट की दो रिवर हैं। इसमें भी बहुत तरह की कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है।

सर, बात यह है कि जब प्राइवेट मैम्बर्स बिल में चर्चा होती है तो कोई यह मानता है कि इंटरलिंगिंग होने से उनको फायदा होगा। Inter-linking could be a panacea for us. People could be saved from the onslaught of drought, flood, inundation, etc.

लेकिन इसके विरोध में भी बहुत से लोगों की राय है और ये कोई छोटे-मोटे लोग नहीं हैं बड़े-बड़े लोगों की राय है। हमें किस तरफ जाना चाहिए इस बारे में हमें सोचना चाहिए। दुनिया में ऐसे बहुत सारे इंटरलिंगिंग हुए हैं। सभी इंटरलिंगिंग का नतीजा अच्छा निकला है, ऐसा नहीं है।

Shri C.P. Rajendran, Professor of Geodynamics at Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bengaluru – इनका यह कहना है – “There is no free surplus water in any river”, क्योंकि लिंगिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य यह होता है कि सरप्लस से डेफिसिट एरिया में पानी को हम ले जाएंगे। The traffic would go from surplus to deficit. लेकिन इनका कहना है – “The fact is there is no free or surplus water in any river. Simple arithmetic rationalisations like tapping the water lost to the sea do not take the eco-hydrological perspectives into consideration. The proponents

fail to see the eco-service dimensions attached to such questions. It seems an honourable proposition, but is fundamentally flawed primarily because it will generate huge uncontrolled human-induced disequilibrium in the natural hydrographic systems and destroy associated ecological niches forever with incalculable repercussions for the long-term well-being of the society as a whole – an unpardonable disservice to future generations.”

Then, what he suggested is this – “Rather than rely on questionable methodologies, alternate cost effective and ecologically sensible ways of water conservation need to be explored. For example, in the Ken-Betwa region, we still find vestiges of traditional ponds for water harvest.”

उस दिन चंदेल साहब बोल रहे थे कि बुंदेलखंड में बड़े-बड़े तालाब हैं, राजाओं ने उन्हें बनवाया था। राजेन्द्रन जी भी वहीं कह रहे हैं – “Why not reinvigorate them? Such methods have met with reasonable success in many parts of Rajasthan and Maharashtra. Previous projects on river channelization elsewhere, particularly in the US, are proven failures. The canalization of Kissimmee river, authorised by the US Congress to mitigate flooding in Florida in 1954, turned out to be an environmental disaster.”

(1700/KSP/SJN)

“It has now been realised that this damaged the river and also resulted in the loss of wetlands. Massive resources are being spent to bring the river back to its original configuration. Despite our spiritual reverence for rivers, we do nothing to protect them. The Indian rivers have become open sewers. The river inter-linking project will be the final nail in the coffin of dying rivers.”

यह मैं नहीं, एक बड़े प्रोफेसर कह रहे हैं। हमारे देश में पानी का जो संकट है, यह हमें हर रोज मालूम पड़ता है। दिन पर दिन हालत बड़ी गंभीर होती जा रही है। मैं चाहता हूँ कि इस विषय पर इस सदन में हम सब चर्चा करें। यह कहा जाता है कि, two World Wars were fought on land. But the Third World War will certainly be fought on water. As we know, water is absolutely fundamental to life. It is difficult even to imagine a form of life that might exist without water. Happily, the Earth is virtually flooded with water. A total volume of 325 million cubic miles cover 71 per cent of the Earth's surface. About 97.5 per cent of this volume is the salt water of the oceans and seas. The remaining 2.5 per cent is fresh water. Water with a salt content of less than 0.1 per cent per 1,000 ppm is the water upon which most terrestrial ecosystem and humans depend. Of this 2.5 per cent, two-third is bound in the polar region and glaciers. Thus, only 0.77 per cent of all water is found in lakes, wetlands, rivers, ground water, soil and the atmosphere. Nevertheless, evaporation from the ocean combined with precipitation helps to resupply that small percentage continually.

So, fresh water is a continually renewable resource. हमारी सोच बदलनी चाहिए। Water should be treated as an asset. It cannot be a disposable item. अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तो हमारे हिन्दुस्तान पर एक बड़ा खतरा आने वाला है। About 60 to 70 per cent of India is vulnerable to drought. हिन्दुस्तान के आधे से भी ज्यादा हिस्से सूखे की चपेट में आ चुके हैं। हमारे हिन्दुस्तान में पांच मिलियन स्प्रिंग्स हैं। हिन्दुस्तान में इन पांच मिलियन में से तीन मिलियन हिमालय डिवीजन में हैं, लेकिन वह भी ड्राई होते जा रहे हैं। इस इकोलॉजिकल डीग्रेडेशन के चलते हमारी हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। हम जो पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं, उसमें से 80 फीसदी से ज्यादा पीने का पानी हम ग्राउंड वाटर से लेते हैं। हमारा जो इरिगेशन है, उसमें 70 से 80 फीसदी पानी को हम ग्राउंड वाटर से लिया करते हैं। अगर हम इसी तरीके से पानी को इक्स्ट्रैक्ट करते रहें, तो हिन्दुस्तान में जल्दी ही वाटर फेमिन आने वाला है। Hindustan is destined to face water famine. We need to ensure regulation of ground water.

Sir, across India, there are five million springs. Mr. Minister, we need to ensure regulation of ground water and such regulation cannot happen through centralised mechanism, but through decentralised aquifer level, community-driven efforts etc.

The United Nations World Water Report, 2018 recommends nature-based solution for water. जब हम आज़ाद हुए थे, तब 1951 में हर व्यक्ति को वाटर प्राप्त होता था। The per capita availability of water in the year 1951 was 5,177 cubic metre.

(1705/GG/SRG)

सर, अभी देखिए कि यह सन् 2001 में घट कर यह 1820 क्यूबिक मीटर पर आ गया है। सन् 2011 में यह घट कर 1545 क्यूबिक मीटर आ गया। अभी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सन् 2055

में यह फिर घटेगा और 1341 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। सन् 2050 में 1140 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। If less than 1700 cubic metre is available, then it is called 'water stress condition'. हमें अगर 1700 क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा, तब कहा जाता है कि यह वॉटर स्टेज है। लेकिन अभी वॉटर लैवल 1545 तक आ गया है, मतलब वॉटर स्ट्रेस शुरू हो गया है और जब एक हजार क्यूबिक मीटर के नीचे आ जाएंगे तब वॉटर स्कारसिटी होगी।

सर, अगले साल हिंदुस्तान के 21 शहरों में पानी नहीं मिलेगा, 21 ऐसे शहर होंगे जहां पानी की कोई बूंद नहीं मिलेगी। यह स्थिति आप सोच लीजिए। सर, सिर्फ एक किलो गेहूं उगाने के लिए हमें 1654 लीटर्स पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है।

सर, मैं आपको शेखावत साहब के मंत्रालय की रिपोर्ट पढ़ कर सुनाता हूँ, थोड़ा वक्त दीजिए। India is suffering from the worst water crisis in its history and millions of lives and livelihood are under threat. Currently, 600 million Indians face high to extreme water stress and about 2 lakh people die every year due to inadequate access to safe water. The crisis is only going to get worse. By 2030, the country's water demand is projected to be twice the available supply, implying severe water scarcity for hundreds of millions of people and an eventual 6 per cent loss in the country's GDP. सर, यह मैं नहीं, बल्कि शेखावत साहब के मंत्रालय की रिपोर्ट बता रहा हूँ।

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत): चौधरी साहब, यह मेरे मंत्रालय की रिपोर्ट नहीं है। For your knowledge, this document is from NITI Aayog which you are referring to. It is not based upon any scientific research. जो विभिन्न अखबारों में, अलग-अलग जगह जो छपा है, उसके बेसिस पर उन्होंने यह लिखा है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): लेकिन शेखावत जी, जैसा यहां लिखा है, एग्जिक्यूटिव समरी में लिखा है कि, as per the report of National Commission for Integrated Water Resources Development of Ministry of Water Resources:

“The water requirement by 2050 in high use scenario is likely to be a milder 1180 BCM, whereas the present day availability is 695 BCM. The total availability of water possible in the country is still lower than this projected demand, at 1137 BCM. Thus, there is an immediate need to deepen our understanding of water resources and usages and put in place intervention that make our water use efficient and sustainable.”

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : चौधरी जी, यहां तक ठीक है। इसके अलावा यह रिपोर्ट नीति आयोग की है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मैं यह अपनी तरफ से नहीं, जो डॉक्यूमेंट मुझे मिला है, मैं उससे ही बात कर रहा हूँ। There is also an opportunity to improve Centre-State and inter-State cooperation across the broader water eco-system. Water management is currently viewed as a zero-sum game by States due to limited framework for inter-State and national management. Here, it is mentioned that 600 million people face high to extreme water stress. 75 per cent of households do not have drinking water on premise. 84 per cent rural households do not have piped water access. आपने हर घर में पाइपड वॉटर देने की बात कही है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि यह एक पाइपड ड्रीम है। पाइपड वॉटर देना ठीक है, लेकिन यह एक पाइपड ड्रीम है। 70 per cent of our water is contaminated. India is currently ranked 120 among 122 countries in the Water Quality Index. यह बड़ी भयंकर बात होती है।

(17110/KKD/KN)

Droughts are becoming more frequent, creating severe problems for India's rain-dependent farmers. Fifty-three per cent of agriculture in India is rainfed. When water is available, it is likely to be contaminated up to 70 per cent of our water supply resulting in nearly, two lakh deaths each year.

Sir, UNESCO'S Report ahead of World Water day on 22nd March should serve as a wake-up call for every Indian. It highlights how India is staring at a deepening water crisis with few steps being taken to ameliorate this bleak situation. It predicts an intensified water crisis across the nation by 2050, with many parts of Central India battling a withdrawal of 40 per cent of the renewable surface water resources.

More than half of our rivers are heavily polluted. Contamination is no longer a problem with surface water alone but also with groundwater resources, which have been found to contain both metallic contamination and also contamination from improper disposal of human excreta.

The Central Pollution Control Board has doubled the number of polluted rivers from 121 to 275 in the last five years, blaming the huge quantities of untreated sewage being dumped into our rivers, for this state of affairs.

सर, यह रिपोर्ट सब के लिए है, आप सुन लीजिए।

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : मंत्री जी को दे दीजिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): पहले सचेत करते हैं, उसके बाद देते हैं। सर, हमने टाइम माँगा है। हम सब ने तय किया है कि इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए।

माननीय सभापति : और वक्ता बोल लेंगे।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): सर, इन्हें बोलने दिया जाए।

माननीय सभापति : ठीक है।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): The CPCB collated monthly water quality analysis figures submitted by all State Pollution Control Boards between 2015 and 2016. The State Pollution Control Boards evaluated 275 rivers across 29 States through 1,275 monitoring stations on the basis of their biochemical oxygen demand -- the concentration of oxygen required for sustaining aquatic life -- under the National Water Quality Monitoring Programme.

Hon. Minister, Sir, the Report found that while Maharashtra had 49 polluted river stretches including Mithi, Godavari, Bhima, Krishna, Ulhas, Tapi, Kundalika, Panchganga, Mula-Mutha, Pelhar, Penganga and Vaitarna, among others, Assam ranked second with 28 river stretches, Madhya Pradesh ranked third with 21 river stretches, Gujarat with 20 river stretches and West Bengal with 17 river stretches.

The situation is no better in the South where the quantum of water in the main rivers including the Godavari, Cauvery and Krishna is much reduced.

Two renowned water activists from Andhra Pradesh have pointed out: "In the Krishna river, there is no water beyond the Srisailem Dam, which means that for the last 140 kilometres, it remains largely a dry river. Similarly,

the Cauvery is particularly dry beyond the Mettur Dam; and the situation is the same with the Godavari river after the Rajahmundry Dam.”

The scientists, who have helped put together the UNESCO Report warn that the situation with groundwater is equally dire. Shri S.K. Sarkar of TERI points out that groundwater depletion in Punjab, Haryana and Delhi, has become so severe that it carries the risk of salinity.

The situation has now frighteningly extended to Central India where fresh surface water resources have been depleted and groundwater is being accessed in larger quantities. So, these are very important issues.

Water expert physicist Prof. Vikram Soni of JNU is in agreement with the UNESCO Report pointing out that because we have loaded our rivers with untreated sewage from our cities, effluents from industries, and pesticides and fertilisers our rivers are neither *nirmal* nor *aviraal*. The only way out is to start treating all sewage in a decentralised manner at the colony level. It has been warned that we will have only half the water that we require by 2030. That is why, experts keep stressing on the need to redraw the agricultural map of the country and switch over to more efficient water practices including drip irrigation. One clear indicator of the strain is the annual *per capita* water availability.

Sir, India is facing severe drought conditions across several States that include Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Telangana, Andhra

Pradesh and Tamil Nadu. Neither the Centre or the State Governments have come up with any long-term plan to tackle this situation.

It is ironic and tragic that over the centuries, India had developed an expertise to manage drought and had also developed an expertise on how to manage floods. Both are the same sides of one coin.

These traditional, community-driven and time-tested models on how to handle droughts as also our water resources, helped to ensure that our rivers, lakes, wetlands and other water bodies remained intact over the centuries but are being totally ignored today.

(1715/CS/RP)

So, I would suggest to the Government that we should try the theory of back-to-basics. हमें अपनी औकात को नहीं भूलना चाहिए।

सर, मैं जानता हूँ कि आप इम्पेशेंट हो रहे हैं।

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): I am not impatient. You may just conclude now.

... (*Interruptions*)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, मैं बस समाप्त कर रहा हूँ। हमारे चन्देल साहब ने आवारा पशुओं का एक और बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहे हैं। हमारे गाँवों में कृषि के साथ-साथ पशुधन भी हमारा सहारा होता है। हमें यह सोचना चाहिए कि रिलिजन तो है, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ-साथ हमें बचने का भी साधन चाहिए। उस दिन चन्देल साहब कहते थे कि 7 लाख गाय एक झुंड की तरह गाँव-गाँव में आ जाती हैं। वे सिर्फ बुन्देलखंड के बारे में बता रहे थे कि वहाँ ऐसी हालत हो गई है। मेरा सवाल है कि हिन्दुस्तान में जो

लाइवस्टाक की इकोनॉमी है, अगर हम उसे देखें तो 3 लाख करोड़ रुपये की हमारे हिन्दुस्तान में पशुधन और साथ-साथ लाइवस्टाक की इकोनॉमी है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा हमारा पशुधन होता है और खासकर गाय होती है। ऐसी हालत हो गई है कि अब सरकार यह सोचती है कि बछड़ा पैदा न हो। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? हम ऐसा इसलिए सोचते हैं, क्योंकि हमने ट्रेड बंद कर दिया है। गाँव में ऐसा होता है कि मान लीजिए गाय बड़ी हो गई है, उसने दूध देना बंद कर दिया है, कोई गाय मेहनत करने में सफल नहीं हो रही है, तो किसान उस गाय को बेच देते हैं। उस गाय को बेचने के बाद वे एक नई गाय खरीदते हैं और उसे पालते हैं। अभी ट्रेड बंद हो गया है। अगर कहीं कोई गाय की ट्रेडिंग करे, तो उसके ऊपर हमला होता है। जो होता है, वह होता है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, जो होते हैं, वे होते हैं। मान लीजिए कि पूरी ट्रेडिंग खत्म हो गई। ट्रेडिंग खत्म होने के बाद एक समय जिस गाय का पालन करना गाँव वालों के लिए सम्पदा था, आज वह उन पर भारी बन रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आपको एक गाय को एक महीने तक अपने घर में बिठाकर खिलाना पड़े तो उसके लिए आपको 7,500 रुपये की जरूरत होती है। गाँव का आदमी यह पैसा कहाँ से लाएगा? वह खुद को तो खिला नहीं सकता है, खुद को वह खिला नहीं पा रहा है, गाय को कैसे खिलाएंगे, इस वजह से वे गाय को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि वे गाय को प्रेम नहीं करते हैं। वे गाय को अपने बच्चे की तरह प्रेम करते हैं, अपनी संतान की तरह प्रेम करते हैं। उन्हें मजूरी में उन्हें छोड़ना पड़ता है। उसके बाद वह गाय दूसरे की खेती पर हमला करती है, क्योंकि वह भी भूखी, प्यासी रहती है। अब आप यह कहेंगे कि हमने शेल्टर बना दिए। हम इन शेल्टर का हिसाब आपको देते हैं, इससे आपको मालूम पड़ जाएगा। In 2012, India had five million stray cattle roaming in the streets. तब तक गौ रक्षकों का इतना हमला नहीं हो रहा था, लेकिन आवारा पशु तो हैं ही और हैं तो हैं। That is before the current cycle of legislative action started. लेजिस्लेटिव एक्शन मतलब बहुत सारे राज्यों में से बैन हो गए हैं। India also had an

estimated 40 million cows and bulls aged above 12, that are at high risk of being abandoned.

(1720/RV/RCP)

इन्हें कब छोड़ दिया जाएगा, यह पता नहीं है, क्योंकि जब इनसे दूध नहीं मिलेगा, जब ये खेतों में काम नहीं कर पाते हैं तो ये बोझ बन जाते हैं और मजबूरन उन्हें छोड़ना पड़ता है। Various surveys say, India has 5000 cow shelters. Cow shelters बहुत हैं। उत्तर प्रदेश में हैं, बुंदेलखण्ड में भी हो सकते हैं। At 200 cows per shelter, that capacity would be barely one million. मान लीजिए कि एक-एक cow shelters में 200 गायें रहेंगी। अगर 5000 cow shelters होंगे तो आप एक मिलियन मतलब दस लाख गायें रख पाएंगे। Given the numbers, no easy solutions are possible. The ones being deployed today by Governments run on weak legs and little funds. अभी गाय की आबादी चार करोड़ है। इनकी भी उम्र बढ़ेगी। आज जो 5,000 cow shelters हैं, जहां दस लाख गाय रख सकते हैं। आप दस सालों के बाद तो उसमें नहीं रख सकेंगे। इसलिए इतने गायों को आप कहां रखेंगे? इसका कोई समाधान आपके पास नहीं है। इसलिए गांव-गांव में अन्य प्रथा चालू हो गयी है।

मैं सरकार और मंत्री, सभी को यह कहूंगा कि आप थोड़ा रेशनल बनिए, क्योंकि आज मैकेनाइजेशन के कारण गांव-गांव में गायों की जरूरत कम पड़ रही है। इसलिए गायों के ऊपर निर्भरता भी अभी कम होने लगी है। इसके लिए हमें विकल्प सोचना चाहिए। बहुत-से cow clubs भी बने हैं। एक तरफ पानी की, दूसरी तरफ स्ट्रे कैटल, साथ-साथ हमारी कृषि, इन सब चीजों में एक संतुलन की जरूरत है। हम जानते हैं कि हमारे मिनिस्टर जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि हर सरकार को जरूर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन, जिस तरीके से पानी का संकट उभर रहा है और सारे हिन्दुस्तान में पानी के लिए जो त्राहि-त्राहि मच रही है, इससे बचने की क्षमता इन्सान की नहीं

है। जब इन्सान की क्षमता नहीं है तो जो जानवर बोल नहीं सकते हैं, उन जानवरों की क्षमता क्या होगी? इसलिए गायों को छोड़ दिया जाता है।

चन्देल साहब ने इन सारे विषयों को देखा है। इसके कारण वे चाहते हैं कि इसका कोई समाधान निकले। मैं भी चन्देल साहब के साथ खड़ा होकर सरकार से निवेदन करूंगा कि इन सारी चीजों के मद्देनजर एक कॉम्प्रीहैन्सिव प्लान बनाए, जिससे हमारे देश में हम सब ठीक रहें, हमारा पशुधन भी ठीक रहे, हम सब सही तरीके से जिएं, बढ़ें, यह हमारा लक्ष्य होगा।

धन्यवाद।

(इति)

1723 बजे

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूँ कि आपने कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी के द्वारा एक अत्यन्त ज्वलन्त विषय, जो न केवल बुंदेलखण्ड की समस्या है, बल्कि जैसा अभी अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा और इससे पूरा सदन सहमत है कि अगर हमने कहीं न कहीं जल संचयन नहीं किया तो पानी का संकट इस देश के समक्ष एक गम्भीर संकट बन जाएगा। अगर हमने आने वाले दिनों में इस संकट का समाधान नहीं किया तो यह एक ऐसी चुनौती बनेगी कि कदाचित्त यह समाज के लिए और हमारे-आपके लिए भयावह स्थिति बन जाएगी। मैं समझता हूँ कि उस क्षेत्र का चन्देल जी प्रतिनिधित्व करते हैं। भानु जी और हमारे बहुत सारे प्रतिनिधियों ने इसके बारे में विस्तार से बात की है। इस प्रस्ताव को या इस संकल्प को लाने के पीछे उनकी मंशा क्या है या उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य यही है कि जब एक तरफ इस देश की आजादी के बाद क्षेत्रीय असंतुलन है और उस क्षेत्रीय असंतुलन के लिए हमारी सरकार के द्वारा या अतीत में केन्द्र की योजनाएं चलायी गयी हों या राज्य सरकार के द्वारा इतनी योजनाएं चलायी गयी हों, उसके बावजूद भी जो क्षेत्रीय असंतुलन है, उसे हम कैसे दूर कर सकें। इसके माध्यम से दो-तीन समस्याएँ उठायी गयी हैं कि आज पूरे बुंदेलखण्ड इलाके में, चाहे वह उत्तर प्रदेश का बुंदेलखण्ड हो या मध्य प्रदेश का बुंदेलखण्ड हो, वहां पानी का जो जलस्तर गिर रहा है, वह भविष्य के लिए एक गम्भीर संकेत है।

(1725/MY/SMN)

आज हमारे पूर्व वक्ताओं ने बुंदेलखंड के बारे में जैसी चर्चा की कि वहां कई ब्लॉकों में 300 से 400 फीट नीचे पानी चला गया है, उन क्षेत्रों को प्रशासन और शासन ने डार्क जोन घोषित कर दिया है। अब इंडिया मार्क टू हैंडपंप से पानी नहीं मिलता है। यह स्थिति पूर्वांचल में भी है, चाहे हमारा जनपद सिद्धार्थ नगर या बस्ती हो, ऐसे कई विकास खंडों को भी डार्क जोन घोषित कर दिया गया है। अगर पानी का स्तर निरंतर गिर रहा है तो आने वाले दिनों में हमारे लिए पेयजल का

संकट होगा। आप कल्पना कीजिए कि हम जिस अन्ना प्रथा की बात कर रहे हैं, जब लोग अपने लिए पानी और अन्न का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, तब स्वाभाविक है कि वे अपने पशुओं के लिए कहां से पानी तथा चारे का इंतजाम करेंगे। इसी कारण बुंदेलखंड में पलायन की जो स्थिति थी, उसका भी जिक्र किया गया है। कोई भी मजबूर होकर अपना घर छोड़ना नहीं चाहता है। सभी अपने गांव में अपने बुजुर्ग माता-पिता के लिए बुढ़ापे के लाठी का सहारा बनना चाहते हैं। उनके लिए संभव नहीं है कि वे अपने बुजुर्ग माता-पिता को छोड़कर गांव से सुदूर अपने परिवार की रोजी-रोटी के लिए मेहनत और मशक्कत करें।

बुंदेलखंड की धरती बुंदेलों की धरती रही है और आप जानते हैं कि इस बुंदेलखंड की धरती का इतिहास रहा है। मध्य प्रदेश हिन्दुस्तान का हृदय प्रदेश है। मध्य प्रदेश के पन्ना, छत्तरपुर, टीकमगढ़, दतिया, सागर, दमोह तथा भिंड जिलों की जो लहार है, ग्वालियर की भंडोर है या रायसेन, नरसिंहपुर, शिवपुर की पिछोड़, करेरा तहसील गुना की, मुंगावली, अशोक नगर, विदिशा, करबई, बासौदा, होशंगाबाद, सुहागपुर, जबलपुर और पाटन हैं, इन 13 जिलों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड है, उसकी भी भौगोलिक पृष्ठभूमि वही है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भाषाई और सांस्कृतिक इकाई मानकर जो विभाजन हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड है, उसमें झांसी, ललितपुर, जालोन, महोबा, बांदा, चित्रकूट तथा हमीरपुर हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश का एक पठारी इलाका है। इस इलाके का जो नामकरण हुआ, एक रघुवंशी हेमकरन बुंदेला थे, उन्हीं के नाम से इस भूमि का नाम बुंदेलखंड हुआ। यह वीर भूमि कही जाती थी। यहां पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने भी एक बार मधुकर पत्रिका में 15 मई, 1941 को लिखा था कि शांति निकेतन का भी जो प्राकृतिक सौन्दर्य है, वह बुंदेलखंड की छटा के सामने पानी भरता है। आज जिस धरती से, महर्षि पराशर हों, वेद व्यास हों, कुम्भज हों, दनलक हों, लोमष हों, इन ऋषि-मुनियों की प्रगाढ़ स्थली रही है और पावन धरती रही है, वह तुलसीदास,

केशवदास, भूषण, याज्ञनिक, बीरबल, लक्ष्मीबाई, छत्रसाल, हरदौल, आल्हा-ऊदल जैसी विभूतियों से जाना जाता है।

आज हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर स्वाभाविक रूप से वहां लोगों के समक्ष पानी का संकट है, पानी के संकट के नाते लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अन्ना प्रथा, जो एक गंभीर संकट हो गया है, जिसके बारे में कई लोगों ने चर्चा की। यह स्वाभाविक है कि आज इसकी चर्चा हो रही है। इस वीर भूमि की चर्चा होती थी उस बुंदेलखंड के लिए, उसमें महाराज छत्रसाल का शौर्य, पराक्रम और वीरता की बात होती थी।

“इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस
छत्रसाल सो लरंकी, रहूं न कहूं हौंसा”

इसका मतलब एक-एक बच्चा जानता है। जब आल्हा ऊदल की बात होती है या छत्रसाल की बात होती है, तो छत्रसाल की पराक्रम तथा वीरता के आगे कोई भी लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था।

यह स्वाभाविक है कि आज इस संकल्प के माध्यम से हम सब लोग इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। निश्चित तौर से हम चाहे इस पक्ष के हो या उस पक्ष के हो, अभी जो चर्चा हो रही है, आने वाले दिनों में बुंदेलखंड में पानी की समस्या विकराल रूप धारण करने वाली है। हमारा उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या देश के वैस्ट बंगाल से लेकर नॉर्थ ईस्ट में सभी जगहों पर पानी का संकट हो रही है। इस संकट के कारण मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में कहीं न कहीं प्रधान मंत्री की यह चिंता स्वाभाविक है और मुझे लगता है कि यह समस्या कोई अचानक विद्यमान नहीं हुई है, बल्कि पानी का संकट वर्षों से लगातार बढ़ता जा रहा है।

(1730/CP/MMN)

मैं प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक अलग जल शक्ति मंत्रालय बना कर एक निश्चय किया, संकल्प किया कि हम प्रत्येक घर को स्वच्छ पेयजल, पीने का पानी देंगे।

मैं समझता हूँ कि यह किसी पहली सरकार की इच्छा शक्ति है, जो देश के प्रत्येक घर में पेयजल पहुंचाने का संकल्प ले रही है। आज हम एक प्रस्ताव के माध्यम से एक क्षेत्र के संकट की बात कर रहे हैं।

सभापति जी, आप देख रहे होंगे कि भारत बहुत बड़ा देश है और विविधताओं से भरा पड़ा हुआ है। यूनिटी इन डायवर्सिटी है। मुझे लगता है कि भाषाई रूप से, क्षेत्रफल रूप से, भौगोलिक रूप से बहुत अंतर है। शायद यह पहली बार संकल्पना होगी कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर हम पूरे क्षेत्र के लोगों को देखें, तो कठिनाइयां एक जैसी हो सकती हैं। उनकी भाषा अलग हो सकती है, जबान अलग हो सकती है, फूड हैबिट अलग हो सकती है, लेकिन आवश्यकताएं लोगों की वही हैं। चाहे छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश के तमाम आदिवासी इलाके हों, उन आदिवासी इलाकों के घरों तक जहां कभी कल्पना नहीं की होगी कि उन गांवों में बिजली का पोल पहुंचे। हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि वर्ष 1947 की आजादी के इतने समय बाद कि हम घर में बिजली पहुंचाएंगे और सौभाग्य योजना के माध्यम से निःशुल्क बिजली का कनेक्शन देंगे। मैं समझता हूँ कि यह भी शायद पहली बार किसी सरकार की सोच थी। यह सोच क्या होगी? जिस क्षेत्रीय असंतुलन की बात कर रहा हूँ या उस क्षेत्र के देश के उन आदिवासी इलाकों में, पिछड़े इलाकों में, देश के जो 115 ऐसे आकांक्षा जनपद हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में भी 8 जनपद हैं। सिद्धार्थनगर हो, श्रावस्ती हो, बलरामपुर हो, बहराइच हो या देश के सभी राज्यों में ऐसे जनपद हैं। पहली बार नीति आयोग की ओर से प्रधान मंत्री के निर्देश पर जनपद चिह्नित किए गए। इन जनपदों में जो एक बेसिक पैरामीटर है - एजुकेशन का, हेल्थ का, इनफ्रास्ट्रक्चर का। आज भी आप कल्पना करिए कि इन 115 जनपदों में शायद बुनियादी शिक्षा का अभाव था। लोगों को प्राइमरी एजुकेशन के लिए, बेसिक एलीमेंट्री एजुकेशन के लिए, माध्यमिक एजुकेशन के लिए और हायर एजुकेशन के लिए तहसील स्तर पर जाना पड़ता था। आज उन गांवों में सभी को बुनियादी शिक्षा मिले। Directive Principles of State Policy के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व में 6 से 14 साल की उम्र तक के

लिए हमने यहीं कानून पास किया था, आप भी उसके साझीदार है। Right to free and compulsory education, सबको मुफ्त बुनियादी शिक्षा और कम्पल्सरी शिक्षा दिला सकें, उस दिशा में भी इस तरह के कदम उठाए गए हैं। निश्चित तौर से हर सरकारों के समक्ष इस तरह की चर्चाएं बहुत रही होंगी। चाहे शिक्षा की बात हो या लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात हो, बुनियादी ढांचे की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, जब से यह सदन 1952 से है, इस सदन में जो भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि चुनकर आते रहे हैं, उन्होंने अपनी जवाबदेही और कर्तव्य का निश्चित रूप से निर्वहन किया है।

देश की आजादी वर्ष 1947 में हुई। वर्ष 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार बनी। एक निश्चय किया गया, सबसे पहले निश्चय उन्होंने गांव का, घर का नहीं किया। पहले यह निश्चय किया कि देश के जो 18 हजार गांव बचे हुए हैं, चाहे वह नार्थ-ईस्ट के गांव हों, सिद्धार्थ नगर के हों, मेरठ का गांव हो, किठौर हो, जिन गांवों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची, ऐसे उन 18 हजार गांवों में बिजली पहुंचाने का काम योजना के माध्यम से पूरा करने का संकल्प लिया और पूरा किया। पहली बार हम पूरी दुनिया के सामने कह सकते हैं कि हमने देश के हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया। उसके बाद प्रधान मंत्री जी ने संकल्प लिया कि यह हमारा लक्ष्य नहीं था कि हम केवल गांव तक बिजली पहुंचाएंगे। गांव में बिजली पहुंचाने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि हम हर घर को बिजली देंगे।

(1735/NK/VR)

चाहे वह गरीबी रेखा के नीचे हो या ऊपर, शायद यह पहली बार होगा जब यह संकल्प किया गया, कोई किस कैटेगरी में है, सभी का हक बनता है। हम आज भी लालटेन या ढिबरी युग में न रहें, बल्कि सभी के बच्चों को बिजली या एलईडी के बल्ब में पढ़ने का मौका मिले। क्या हम कभी 'उज्ज्वला' की कल्पना कर सकते थे। झारखंड के आदिवासी इलाके में सड़क नहीं थी, जहां

अस्पताल नहीं, जहां स्कूल नहीं। उनके घरों में ईंधन के लिए जंगल से अपने परिवार के लिए पूरा-पूरा दिन लकड़ी चुन कर खाना बनाने में लग जाता था, महिलाओं का एक ही काम था।

आज बुंदेलखंड की महिलाओं के समक्ष अभी भी यही है। वे कहती हैं कि पानी लाने में उनका जीवन बीत जाता है, पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाती हैं और अपने घरों के लिए पेयजल का इंतजाम करती हैं। महिलाओं की हिम्मत और पुरुषार्थ है, महिलाएं घरों में शादी करके डोली में आती हैं और बुजुर्ग हो जाती हैं। आज जहां देश में लोगों के घरों में वॉटर सप्लाई है, घरों में टैप है और स्वच्छ पानी पी रहे हैं। क्या यह हक बुंदेलखंड के गांवों को नहीं है, यह हक पूर्वांचल या सिद्धार्थ नगर के गांवों का नहीं है?

आज इस पर चर्चा हो रही है। उससे पहले एक मंत्रालय भी बनाया। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार की नीति और कार्यक्रमों का एक रोडमैप होता है। उसमें स्पष्ट रोडमैप दिया कि हर घर तक पेयजल को टैप के माध्यम से पहुंचाएंगे। आज यह एक अधिकार होगा और संतोष का विषय होगा, लोग आत्मविश्वास के साथ कह सकेंगे। सरकार द्वारा कहा जाता था कि एक ग्रामीण भारत और एक शहरी भारत है, जो आधुनिक सुख-सुविधाओं से युक्त हो और गांव में लोग अभाव में रहें। आज उस असंतुलन को दूर करने की दिशा में सरकार ने कारगर कदम उठाए हैं। सरकार ने निश्चित तौर से एक योजनाबद्ध ढंग से रूपरेखा बनाई है। उस रूपरेखा के बाद आज चाहे सौभाग्य योजना हो या आयुष्मान हो, आज उसकी भी चर्चा हुई। क्या हम कभी कल्पना कर सकते थे कि दस करोड़ परिवार, देश की लगभग आधी आबादी पचास करोड़ लोगों को अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो सरकार के एक्सचेकर से देश इम्पैनल्ड अस्पताल पांच लाख रुपये प्रति वर्ष तक इलाज करा सकते हैं, उस परिवार कि जिन्दगी या किसी की सुहाग की रक्षा के लिए, किसी बेटे की जिन्दगी की सलामती के लिए सरकार अपने राजकोष से पांच लाख रुपये देगी। यह दर्द और कल्पना उसी की हो सकती है, जिसने इन चीजों को करीब से देखा हो या भोगा हो। वह निश्चित रूप से यह समझता होगा कि यदि भारत माता ने उसे यह अवसर दिया है तो हम आने वाले

दिनों में देश में किसी को भी पैसे के अभाव या दवा के अभाव में मौत के मुंह में नहीं जाने देंगे। इसके लिए मैं निश्चित रूप से सरकार को बधाई दूंगा। आज हम पेयजल संकट की बात करते हैं, उस संकट में कहीं न कहीं उन योजनाओं की बात होती है। आज चंदेल जी ने कहा, वहां पर पुराने राजाओं ने दस हजार तालाब बनवाए थे। आज लगातार पानी की कमी है या पानी नहीं हो रहा है, उसके कारण तालाब सूख जाते हैं। केन-बेतवा की लगातार बात उठ रही है, वह एक लाइफलाइन होगी। यह कल्पना अटल जी की सरकार की थी। सबसे बुनियादी चीज पानी था, उस पानी के लिए कहीं न कहीं यह सोच बनी। अगर एक जगह पानी नहीं है, हम उसको रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स से जोड़ें। जैसे केन-बेतवा प्रोजेक्ट का जिक्र हो रहा है। पिछले दिनों इसी सदन में गडकरी जी ने कहा, चाहे मोटरवरेज की बात हुई या लिंकिंग प्रोजेक्ट्स की बात हुई, उस संबंध में भी उन्होंने काफी चर्चा की थी। मंत्री जी भी यहां बैठे हैं, वे नौजवान हैं। आज मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं थोड़ा उल्लेख करना चाहूंगा। आज वॉटर मैनेजमेंट वक्त की जरूरत है। हम पानी की कमी की चर्चा करते हैं। आखिर जब बरसात के दिनों में मानसून आता है, मानसून आ रहा है, मान लीजिए मानसून आने में विलंब हो गया।

(1740/SK/SAN)

जब मानसून आएगा और बारिश शुरू होगी तो उस समय कम से 1475 किलोमीटर तक यानी उत्तराखंड के खटीमा से लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ता हुआ बिहार का रक्सौल, जो भारत और नेपाल की सीमा है, तक असर होता है। चाहे नेपाल की जलकुंडी, करनाली, बाढ़गंगा नदी हो या बिहार से मिलती हुई कोसी नदी हो, जब बारिश शुरू होती है, नेपाल में जो भी रिज़र्वायर बना रखा है, वह भर जाता है, वह उस रिज़र्वायर को खोल देते हैं। इसके बाद आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह का जलप्लावन, किस तरह की बाढ़ की विभीषिका का सामना सिद्धार्थ नगर, देवरिया, श्रावस्ति, बलरामपुर, बहराइच और बिहार के कोसी नदी से मिले हुए जिले के लोग करते हैं।

माननीय मोदी जी की सरकार ने 1000 करोड़ रुपये बिहार को दिए, उत्तर प्रदेश के नैशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से पैसा दिया। हर साल बाढ़ नियत है, इसमें हजारों करोड़ रुपये खर्च होते हैं, लेकिन उस पानी का समुचित इस्तेमाल भी नहीं होता है। यह पानी नेपाल की फुटहिल्स में आता है, नेपाल के रिज़रवायर से, नेपाल की नदियों से पानी का वेग और प्रवाह आता है, उससे पूरे पूर्वी और पश्चिमी बिहार में बाढ़ की विभीषिका का सैलाब आता है। इससे बहुत जन-धन की क्षति होती है, घरों की क्षति होती है, लोग बह जाते हैं।

आपने देखा होगा, जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी थी, उस समय बाढ़ आई थी। वह एक-एक जिले में गए थे। पहली बार उन्होंने प्रयास किया। किसानों की जो फसल की क्षति हुई, योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों की फसलों की क्षति के बारे में कहा जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था। पहले था कि अगर 50 प्रतिशत फसल की क्षति होगी तो सरकार मुआवजा देगी। माननीय मोदी जी का सरकार में आने के बाद सबसे पहला फोकस उनका किसानों पर था। किसानों के लिए उनके मन में दर्द था क्योंकि किसान अपनी जिंदगी की कमाई लगा देता है खाद और यूरिया के लिए पैसा उधार लेता है, उधार से पम्पिंग सैट से खेत की सिंचाई कराता है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि का वही कन्सेप्ट है, वही सोच है। किसान को 1000-2000 रुपये की यूरिया खरीदनी होती है या किसी को सिंचाई के लिए ट्यूबवेल या पम्पिंग सैट का पैसा देना होता है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि अपने पैसे से सिंचाई कर सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों के जीवन में बुनियादी गुणात्मक परिवर्तन किया है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पानी से बहुत नुकसान होता है। योगी आदित्यनाथ जी ने खराब फसलों की क्षतिपूर्ति हर जनपद में की। उन्होंने 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपये कर्ज भी माफ किया। हर साल जो बाढ़ आती है, बाढ़ नियत रहेगी अगर उस पानी का मैनेजमेंट नहीं हुआ तो हर साल जन-धन की हानि होगी, क्षति होगी। बहुत दिनों से कई बार चर्चा हो रही है, लेकिन इस पर कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ है। आप प्रयास करें, नेपाल

सरकार से वार्ता करें ताकि भारत-नेपाल सरकार इन नदियों पर रिज़रवायर बनाए, बिजली उत्पादन के लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए। यहां बहुत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन सकते हैं। आज भी हमारे देश में एक लाख मेगा वाट का पोटेंशियल है।

अब हम रिन्युअल एनर्जी पर जोर दे रहे हैं, थर्मल पावर, एनटीपीसी पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि अगर कभी कोयले का स्टॉक खत्म होगा या कम होगा...

श्री भगवंत मान (संगरूर): माननीय सभापति जी, कोरम नहीं है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): आप कोरम का विषय उठाना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: सामान्यतः यह प्राइवेट मैम्बर्स का समय रहता है, आप ही का विषय है। क्या आप इसके बाद भी कोरम का विषय उठाना चाहते हैं, तो उठा सकते हैं। यह आपका अधिकार है। उसके बाद जो परिणाम होगा फिर वही होगा।

(1745/MK/SM)

श्री भगवंत मान (संगरूर): अभी 10-15 माननीय सदस्य सुन रहे हैं, तो क्या कोरम पूरा हो गया?

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं।

... (व्यवधान)

श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापति महोदय, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। इधर वाले लोग कहां गए, कांग्रेस के लोग कहां हैं, टी.एम.सी. के लोग कहां हैं? मैं यह कह रहा हूँ कि क्या कोरम पूरा है, क्या हमें वेट करना चाहिए? वे बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मैं उनके बोलने पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूँ।

माननीय सभापति: घंटी बजाई जा रही है--

...(व्यवधान)

माननीय सभापति: अब रिकार्ड में कुछ नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

(1755/RPS/SPR)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): माननीय सदस्यगण, सभा में गणपूर्ति नहीं है। इसलिए अब सभा सोमवार, 1 जुलाई, 2019 पूर्वाह्न 1100 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1756 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 1 जुलाई, 2019/ 10 अषाढ 1941 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।